इकाई-1

बिहार के एक गाँव की कहानी

चित्र-1.1

गाँव फतेहपुर

अवलोकन :

इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से सम्बन्धित कुछ मूल विचारों से छात्रों को परिचय कराना है। गाँव फतेहपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है जबकि अन्य क्रियाएँ जैसे–पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएँ, मानव प्रयास, मुद्रा आदि है। फतेहपुर गाँव की प्रारंभिक कहानी से स्पष्ट होगा कि गाँव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं।

चित्र-1.2

विकास की ओर बढ़ता गाँव

फतेहपुर गाँव में श्री फतेहश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर इस गाँव का नाम ''फतेहपुर'' पड़ा।

फतेहपुर गाँव अपने आस-पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भली भाँति जुड़ा हुआ है। इस गाँव के पूरब में पुनपुन नदी है तो पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। जो पटना से मात्र 9 कि० मी० की दूरी पर सड़क से पूरब की ओर स्थित है। इस सड़क पर प्राय: बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गाँव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। गाँव में अधिकांश लोग भू-स्वामी हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं, उनके मकान ईंट और सीमेन्ट के बने हुए हैं। गरीब लोगों की संख्या गाँव की कुल जनसंख्या का एक चौथाई है, जो गाँव के एक कोने में काफी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके मकान मिट्टी और फूस के बने हैं। सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना से नजदीक होने के कारण ही घरों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं रख-रखाव के लिए गाँव में ही पावर ग्रीड की स्थापना की गई है। खेती में भी प्राय: सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। गाँव में छह प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई

© BSTBPC Not to be Published

स्कूल एवं साथ ही एक डिग्री कॉलेज भी हैं। गाँव में दो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक निजी हॉस्पीटल भी हैं, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। डाकघर की सुविधा होने के साथ ही इस गाँव में एक आँगनबाड़ी केन्द्र भी है जहाँ महिलाओं की संगोष्ठी अक्सर देखी जाती है। कला मंच (स्टेज) सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय एवं प्रसिद्ध काली मंदिर आधुनिक आकर्षण का केन्द्र भी उपलब्ध है।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फतेहपुर गाँव अन्य गाँव, कस्बों की तुलना में काफी आधुनिक एवं उन्नत है। यहाँ सड़क, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, कॉलेज और स्वास्थ्य केन्द्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से करें :–

चित्र–1.3

उत्पादित खाद्यान्न को विक्रय हेतु ले जाता कृषक

© BSTBPC Not to be Published

हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। गाँव–कस्बा–शहर–राज्य–देश–विश्व की ओर हम देखते हैं कि लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं। खेतिहर किसान, खेत–कारखानों में काम करनेवाले मजदूर, कारीगर, शिक्षक, डाक्टर, इंजीनियर, दुकानदार आदि समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं ।

फतेहपुर की कहानी हमें किसी भी गाँव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी । बिहार के गाँवों में खेती ही उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादक गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएँ कहा गया है, जिनमें लघु विनिर्माण, परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी आदि शामिल हैं। खेती में आई नयी तकनीक एवं क्रांति के बाद भी गाँव के लोगों में आज भी कृषि के परंपरागत तरीके अधिक लोकप्रिय हैं।

उत्पादन (PRODUCTION) :

अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है।

उत्पादन के साधन को जानने से पूर्व हम उत्पादन के बारे में समझ स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

© BSTBPC Not to be Published

यह अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य भाग है। उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही **उत्पादन** कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बढ़ई जब लकड़ी को काट–छाँटकर उससे टेबुल या कुर्सी बनाता है तो उसे उत्पादन कहा जाएगा क्योंकि इससे लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं बल्कि उपयोगिता का सृजन करना है। अर्थशास्त्र के इस भाग में उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन और उद्यम) एवं उत्पादन के तरीकों तथा सिद्धान्तों का अध्ययन किया गया है।

उत्पादन के साधन (Factors of Production) :

वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। अर्थात् जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देता है वह

उत्पादन का साधन है। उदाहरण के लिए, अन्न उपजाने के लिए भूमि, हल-बैल, बीज, मजदूर, सिंचाई, दवाई, इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह कारखानों में उत्पादन करने के लिए भूमि, मकान, मशीन, मजदूर, पूँजी, संगठनकर्त्ता, बाजार इत्यादि का सहयोग आवश्यक होता है। इस प्रकार उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है।

उत्पादन के निम्नलिखित पाँच साधन हैं।

1. भूमि (Land)
2. श्रम (Labour)
3. पूँजी (Capital)
4. व्यवस्था या संगठन (Organisation),
5. उद्यम या साहस (Enterprise)।

अब हम इनकी व्याख्या अलग-अलग करेंगे।

उत्पादन के साधन

1. भूमि
2. श्रम
3. पूँजी
4. व्यवस्था या संगठन
5. उद्यम या साहस

(1) भूमि (LAND) : उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह से है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से है। इस प्रकार भूमि के अन्तर्गत भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज आदि सम्मिलित है। अर्थात् प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गयी चीजों को भूमि कहा जाता है। प्रकृति के इन मुफ्त उपहारों से सर्वदा उत्पादन में सहायता मिलती है। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन (Passive Factor) है लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है।

© BSTBPC Not to be Published

प्रो0 मार्शल (Marshall) के अनुसार-''भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं वरन् उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है, जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है।''

भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक प्रयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है।

भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है जैसे-एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है।

1.1 भूमि स्थिर है (Land is Static) :

फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ काम करने वालों में 75 प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इनलोगों का हित खेतों में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। खेती में प्रयुक्त भूमि-क्षेत्र वस्तुत: स्थिर होता है। फतेहपुर गाँव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि-क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। प्रारम्भ में इस गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। तब से अब तक इस गाँव में कृषि-योग्य भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हो सका है।

भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, यद्यपि गाँवों में भूमि का माप एकड़, बीघा, कट्ठा, धुर आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं?

बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। जुलाई से अक्टूबर बरसात के मौसम (**खरीफ फसल**) में किसान मुख्यत: धान एवं हरी सब्जियाँ उगाते हैं। इसके बाद नवम्बर से फरवरी जाड़े के मौसम (**रबी फसल**) में प्राय: गेहूँ, दलहन, तिलहन एवं आलू की खेती होती है। उत्पादित अनाजों में से किसान अपने खाने के लिए रखकर शेष खाद्यान्न फसलों को अपने पास के मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ने अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है।

© BSTBPC Not to be Published

भारत में सभी गाँवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे, दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यत: वर्षा पर निर्भर है ।

1.2 बहुविध फसल प्रणाली (Multiple Cropping System) :

एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्राय: सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू एवं अन्य हरी सब्जियों का भी उत्पादन करने लगे हैं।

चित्र-1.4

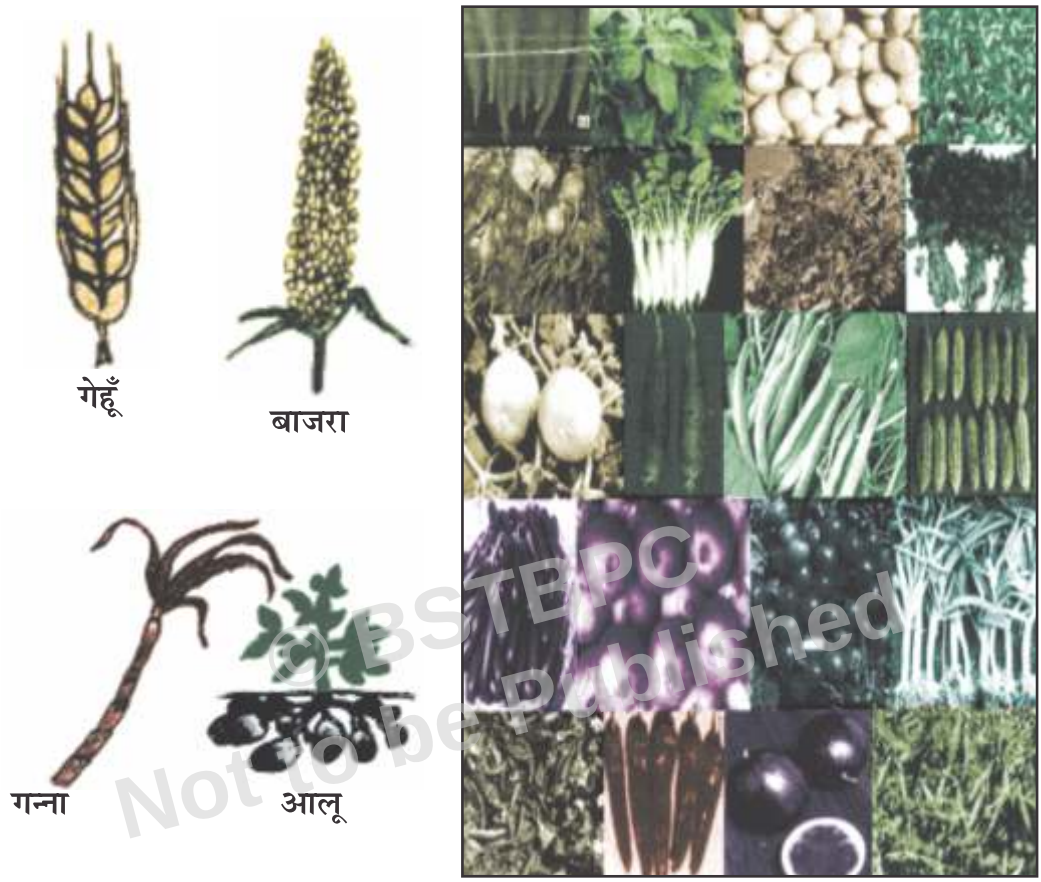

© BSTEPC
Not to be Published

विभिन्न प्रकार की हरी-भरी सब्जियाँ

1.3 किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है (Distribution of Land) :

आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है।

1960-70 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी जिनमें अधिकतर असिंचित भूमि थी। मुरारी अपने तीन पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे लेकिन परिवार अपनी दो भैंसों के दूध बेचकर होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। मुरारी की मृत्यु के पश्चात् यह

भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बँट गई। प्रत्येक के पास 1 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परन्तु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद भी मुरारी के बेटे अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर ठीक ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ महीनों में उन्हें अतिरिक्त कार्य करके अपना भरण पोषण करना पड़ता है। इस गाँव में कुछ किसानों के पास अधिक भूमि हैं किन्तु बढ़ती जनसंख्या तथा बँटते परिवार के कारण भूमि का वितरण असमान है अर्थात् कुछ के पास अधिक और बहुसंख्यक के पास कम भूमि है। इस गाँव में भूमि का असमान वितरण है।

चित्र-1.5

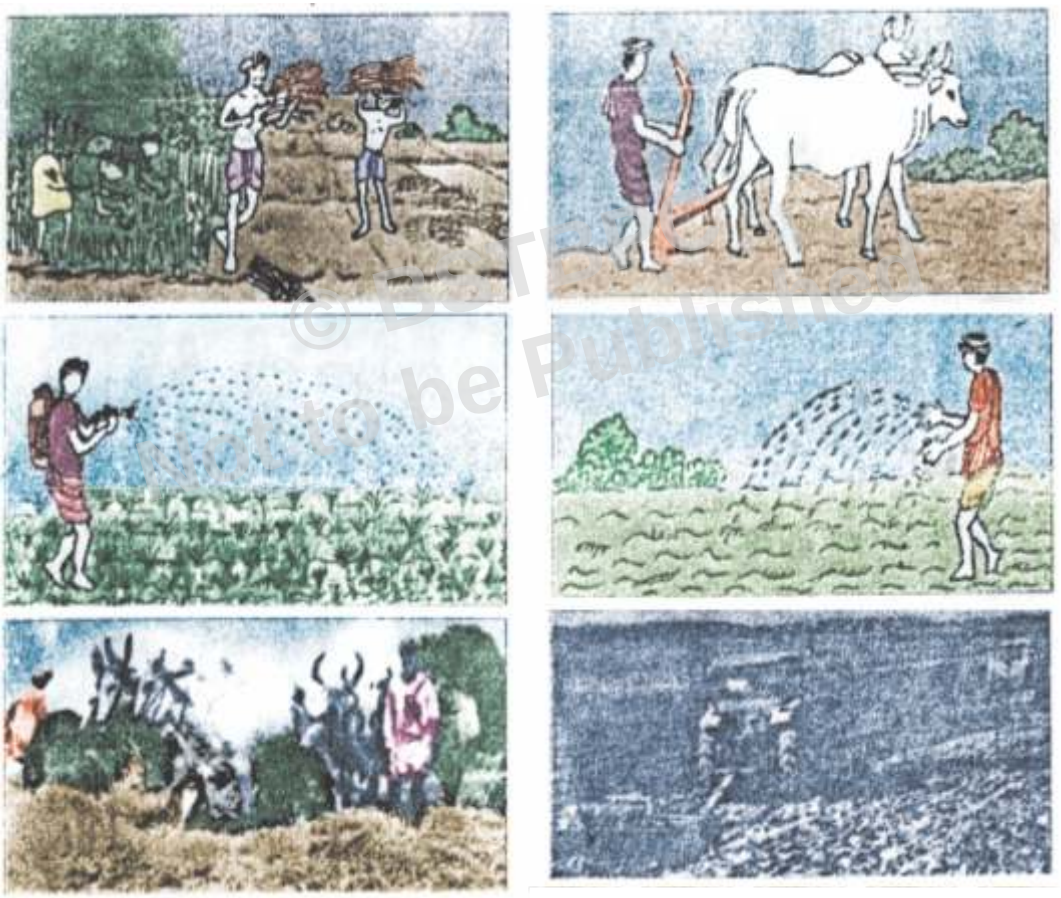

खेतों में कार्य : गेहूँ की फसल-कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई

(2) श्रम (LABOUR) :

श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन सम्भव नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से श्रम दो प्रकार का होता है (i) **शारीरिक श्रम (Physical Labour)** (ii) **मानसिक श्रम (Mental Labour)**। उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रम का उपयोग किया जाता है। श्रम को उत्पादन का **सक्रिय साधन (Active Factor)** कहा जाता है लेकिन उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य से किये जाने चाहिए। अर्थात् भूमि के अतिरिक्त श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक साधन है। उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। खेती के लिए छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को मजदूरी पर लाते हैं।

मजदूरी (Wages) : राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है, अर्थात् श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत (Price) मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है।

© BSTBPC Not to be Published

प्राय: खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों के होते हैं या सीमान्त किसान के होते हैं। शायद ही किसी श्रमिक के पास अपनी भूमि होती है। प्राय: वे दूसरे के खेतों में कार्य कर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, जैसा किसानों का होता है बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है, जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है।

आरेख : 1.1

प्रो० मार्शल (Marshall) के अनुसार–"श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है चाहे वह हाथ से किया जाय या मस्तिष्क से।"

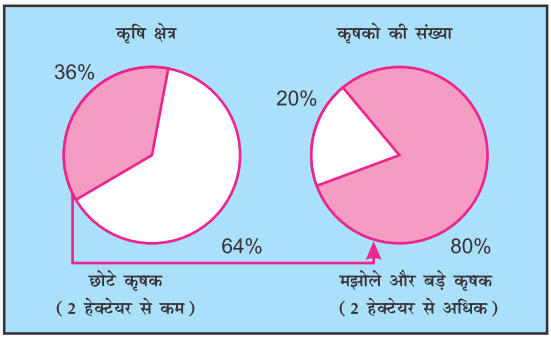

(3) पूँजी (CAPITAL) :

साधारण बोलचाल की भाषा में पूँजी का मतलब रुपये-पैसे से लगाया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में पूँजी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में पूँजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है, जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिये किया जाता है। इस प्रकार बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने, मकान आदि पूँजी के अन्तर्गत आते हैं। द्रव्य के केवल उसी भाग को पूँजी में सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है।

दूसरे शब्दों में धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे **पूँजी** कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पूँजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है, जिसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है।

प्रो० मार्शल (Marshall) के अनुसार– "प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब सम्पत्ति जिससे आय प्राप्त होती है, पूँजी कहलाती है।"

उत्पादन के साधन में पूँजी की अपनी एक अहम् भूमिका है बिना पूँजी के किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए।

© BSTBPC Not To be Published

3.1 पूँजी की व्यवस्था–अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूँजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों अथवा खेती के लिए विभिन्न सामानों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं । छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे खेती या वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके आवश्यक पूँजी की व्यवस्था कर लेते हैं।

सविता की कहानी

सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी एक हेक्टेयर जमीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे सिंचाई के लिए पानी और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूँजी के रूप में ही उसे 3000 रु. चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर चार महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊँची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रु. प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। तीन बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेवारी है। सविता इन कठिन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। उसे यह पता नहीं है कि सरकार बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों के लिए कर्ज की व्यवस्था की है।

© NCERT Not to be Republished

(4) संगठन (ORGANISATION) :

भूमि, श्रम एवं पूँजी उत्पादन के साधन हैं लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यकता यह है कि उन्हें एकत्रित कर उत्पादन कार्य में लगाया जाए। यह कार्य विशेषकर व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्त्ता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में व्यवस्था या संगठन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कम पूँजी रहने पर उत्पादन के साधन को और ही व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की जरूरत पड़ती है ताकि सीमित उत्पादन के साधन का समुचित प्रयोग हो सके। जितना ही अच्छा उद्यमी होगा उतना ही व्यवस्था या संगठन चुस्त होगा। यही कारण है कि **संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है।**

अत: हम कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं और जो व्यक्ति यह कार्य करता है, उसे व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्त्ता कहते हैं।

(5) साहस या उद्यमी (ENTERPRISES) :

उत्पादन करने में संगठनकर्त्ता या उत्पादनकर्त्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है लेकिन विभिन्न कारणों और विशेषकर भविष्य की अनिश्चितताओं के चलते उत्पादन में घाटा भी हो सकता है। अर्थात् उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है जो इस जोखिम का वहन करता है उसे ही **उद्यमी** या **साहसी** कहा जाता है। आधुनिक समय में उत्पादन के जोखिम को वहन करने के लिए साहसी की भूमिका बहुत ही बढ़ गई है। यदि उत्पादन के फलस्वरूप साहसी को लगातार घाटा हो तो ऐसी अवस्था में साहसी का साहस टूट जाता है, तत्पश्चात् उत्पादन की पूरी प्रक्रिया ठप हो जाती है। इसलिए साहसी उत्पादन प्रक्रिया के पूर्व ही यह सोच लेता है कि हमें अंतिम क्षण तक उत्पादन को चालू रखना है।

अत: उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं।

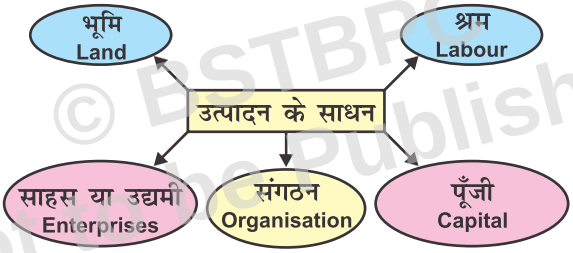

© BSTBPC Not to be Published

उत्पादन क्या हो (What to Produce) :

यह वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है। इसका कारण यह है कि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटाकर ही दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह समस्या मुख्यत: साधनों के आवंटन की समस्या होती है। जैसा हमने ऊपर देखा है कि किसी देश के सीमित साधनों का कई प्रकार से प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए : एक अर्थव्यवस्था की उपलब्ध भूमि में हम चावल, गेहूँ, मकई आदि खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं अथवा गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन, कपास इत्यादि कच्चे माल का जिनका उद्योग-धंधों में प्रयोग होता है उनका उत्पादन कर सकते हैं। इस भूमि पर हम कल-कारखानों आदि की भी स्थापना कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी देश के लोहा एवं इस्पात का प्रयोग

अस्त्र-शस्त्र के निर्माण में हो सकता है या मशीन और उपकरणों के उत्पादन के लिए अथवा इनका प्रयोग मकान, पुल, मॉल बाजार आदि के लिए किया जा सकता है। अर्थात् स्पष्ट है कि उत्पादन के साधनों का कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है।

I. उत्पादन के साधनों की महत्ता (Importance of Factors of Production) :

वास्तव में देखा जाए तो समय एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ उत्पादन के विभिन्न साधनों के सापेक्षिक महत्व में अन्तर हुआ है। आदिकाल में मनुष्य जब जंगलों में रहता था तो फल तोड़कर, शिकार करके तथा झरनों का जल पीकर अपना जीवन-यापन कर लेता था। इस सब कार्यों में श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, फिर भी श्रम की अपेक्षा भूमि का अधिक महत्व था। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ मनुष्य को इन चीजों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ी तथा वे स्वयं फल तथा अनाजों का उत्पादन करने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे श्रम का महत्व बढ़ता गया। खेती, कल-कारखाने इत्यादि कार्य करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए मनुष्य को पूँजी की भी आवश्यकता हुई। आज सभ्यता एवं आर्थिक विकास के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होता है तथा पूँजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के इस युग में उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे-भूमि, श्रम, पूँजी को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यह काम व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्त्ता करता है। अतः आज व्यवस्था अथवा संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। व्यवस्था को भी एक प्रकार का श्रम माना जाता है क्योंकि व्यवस्थापक या संगठनकर्त्ता भी उत्पादन में एक अच्छे किस्म का श्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम देख चुके हैं कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली में बहुत जोखिम है। अतः इस जोखिम को सहन करने के लिए व्यवस्था अथवा संगठन के अतिरिक्त साहसी की आवश्यकता पड़ती है। आजकल उत्पादन के साधन के रूप में साहस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता।

उत्पादन तथा उपयोगिता सृजन के तरीके।
1. रूप उपयोगिता
2. स्थान उपयोगिता
3. समय उपयोगिता
4. स्वामित्व उपयोगिता
5. सेवा उपयोगिता
6. ज्ञान उपयोगिता

इस प्रकार उत्पादन के साधनों के सापेक्षिक महत्व के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार उत्पादन में भी सभी साधनों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।

© BSTBPC Not to be Published

II. वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण :

वस्तुएँ कई प्रकार की होती हैं और एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

(i) उपभोग की वस्तुएँ **(Consumer Goods)**

(ii) उत्पादक वस्तुएँ **(Producer Goods)**

उपभोग की वस्तुएँ वे हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। भोजन, वस्त्र, मकान, पुस्तक, कलम, रेडियो आदि उपभोग की वस्तुएँ हैं। ये वस्तुएँ भी दो प्रकार की होती है। (क) एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएँ तथा (ख) टिकाऊ वस्तुएँ। खाद्य एवं पेय पदार्थ इत्यादि उपभोग की गैर-टिकाऊ वस्तुएँ हैं जिनका हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत रहने का मकान, साइकिल, टेलीविजन, घड़ी आदि टिकाऊ वस्तुएँ है, जिनका एक लंबे समय तक उपभोग होता है।

उत्पादक वस्तुएँ उन वस्तुओं को कहते हैं, जिनका अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की वस्तुएँ अर्थव्यवस्था की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करती है। उत्पादक वस्तुएँ भी गैर-टिकाऊ तथा टिकाऊ होती है। कच्चामाल, खाद, बीज इत्यादि गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएँ कहलाती है। दूसरी ओर मशीन, यंत्र, उपकरण इत्यादि टिकाऊ उत्पादक वस्तुएँ हैं जो काफी समय तक उत्पादन-कार्य में सहायक होती है।

किशोर की कहानी

किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भाँति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर-परिवार की आवश्यकताएँ पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसगाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी-कभी वह गुड़ तथा अन्य वस्तुओं को लेकर पास के मंडी जाता है। हरेक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणामस्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक धन कमाने लगा है।

© DSTPC Not to be Published

विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन

(i) उपभोग की वस्तुएँ (Consumer goods)
- एकल प्रयोग की या गैर–टिकाऊ वस्तुएँ (Single used or non-durable goods)
- टिकाऊ वस्तुएँ (Durable goods)

(ii) उत्पादक वस्तुएँ (Producer goods)
- एकल प्रयोग की या गैर–टिकाऊ वस्तुएँ (Single used or non-durable goods)
- टिकाऊ वस्तुएँ (Durable goods)

© BSTBPC Not to be Published

सारांश:–

उत्पादन का अर्थ– अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है।

उत्पादन के साधन– उत्पादन के पाँच साधन प्रमुख हैं जैसे–(i) भूमि, (ii) श्रम, (iii) पूँजी, (iv) व्यवस्था या संगठन और (v) साहस या उद्यम।

अर्थव्यवस्था में इन सभी उत्पादन के साधनों का समान महत्व है। किसी देश, राज्य, शहर या गाँव के वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय जीवन में उत्पादन का बहुत महत्व है।

गाँव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों की तुलना में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसी वजह से किसान उतनी ही भूमि पर अब अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि सीमित तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है।

खेती की नयी विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूँजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूँजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80 प्रतिशत भाग है, उन्हें पूँजी की व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई होती है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूँजी नहीं निकाल पाते अत: उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व परिवार के भरण-पोषण के लिए खेतिहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है।

श्रम पूर्ति, उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में अधिक प्रचुर है अत: नयी विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस-पड़ोस के गाँवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिक, गाँव में ही गैर-कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है।

इस समय गाँव में गैर-कृषि क्षेत्रक बहुत बड़ा नहीं है। भारत में गाँव के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर-कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि, गाँव में अनेक प्रकार के गैर-कृषि कार्य होते हैं। (हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखें हैं), प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है।

© BSTBPC Not to be Published

हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँव में गैर-कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत, गैर-कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूँजी से भी गैर-कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूँजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है, या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर-कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर-कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो, जहाँ वस्तुएँ और सेवाएँ बेची जा सकें। फतेहपुर में हमने देखा कि आस-पड़ोस के गाँवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध हैं जैसे-जैसे ज्यादा गाँव कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे भविष्य में गाँवों में गैर-कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे।

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

1. उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं?

(क) तीन (ख) चार

(ग) पाँच (घ) दो

2. उत्पादन का अर्थ?

(क) नयी वस्तु का सृजन (ख) उपयोगिता का सृजन

(ग) उपयोगिता का नाश (घ) लाभदायक होना

3. उत्पादन का निष्क्रिय साधन है?

(क) श्रम (ख) संगठन

(ग) साहसी (घ) भूमि

4. निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन-सी है?

(क) वह नाशवान है (ख) वह मनुष्य निर्मित है

(ग) उसमें गतिशीलता का अभाव है (घ) उसमें समान उर्वरता है

5. अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है?

(क) प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएँ (ख) जमीन की ऊपरी सतह

(ग) जमीन की निचली सतह (घ) केवल खनिज सम्पत्ति

6. निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है?

(क) बढ़ई (ख) भिखारी

(ग) ठग (घ) शराबी

7. उत्पादन का साधन है?

(क) वितरण (ख) श्रम

(ग) विनिमय (घ) उपभोग

8. निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है?

(क) संगठन (ख) उद्यम

(ग) पूँजी (घ) उपभोग

© BSTBPC Not to be Published

9. **निम्नलिखित में से कौन पूँजी है?**

(क) फटा हुआ वस्त्र

(ख) बिना व्यवहार में लायी जानेवाली मशीन।

(ग) किसान का हल।

(घ) घर के बाहर पड़ा पत्थर।

10. **जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है, उसे कहते हैं?**

(क) व्यवस्थापक (ख) पूँजीपति

(ग) साहसी (घ) संचालक मंडल

11. **निम्नलिखित में कौन श्रम के अन्तर्गत आता है?**

(क) सिनेमा देखना

(ख) छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना

(ग) शिक्षक द्वारा अध्यापन

(घ) संगीत का अभ्यास आनन्द के लिए करना।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. श्रम को उत्पादन का ..... साधन कहा जाता है।
2. शिक्षक के कार्य को ..... श्रम कहा जाता है।
3. .....अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूँजीगत साधन है।
4. सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की ..... बहुत बढ़ गई है।
5. वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के ..... से होता है।
6. उत्पादन की नयी तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत ..... होती है।

III. सही कथन में टिक (✓) तथा गलत कथन में क्रॉस (×) करें :

1. अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है।
2. किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है।
3. अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है।
4. ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है।

© BSTBPC Not to be Published

IV. स्तंभ 'क' के कथन का स्तंभ 'ख' के कथन के साथ मिलान करें :

स्तंभ 'क'	स्तंभ 'ख'
1. भूमि का पारिश्रमिक	(क) लाभ
2. श्रम का पारिश्रमिक	(ख) वेतन
3. पूँजी का पारिश्रमिक	(ग) लगान
4. व्यवस्थापक का पारिश्रमिक	(घ) मजदूरी
5. साहसी का पारिश्रमिक	(ङ) ब्याज

V. लघु स्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 20 शब्दों में दें)

1. उत्पादन से आप क्या समझते हैं?
2. उत्पादन तथा उपभोग में अन्तर कीजिए।
3. उत्पादन के विभिन्न साधन कौन-कौन से हैं?
4. फतेहपुर गाँव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है?
5. भूमि तथा पूँजी में अन्तर करें।
6. क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों?
7. उत्पादन में पूँजी का क्या महत्व है?

© BSTBPC Not to be Published

VI. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 100 शब्दों में दें)

1. उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के कौन-कौन से साधन हैं? व्याख्या करें।
2. उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें।
3. फतेहपुर गाँव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
4. मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूँजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं?

उत्तर

I. वस्तुनिष्ठ :

(1) ग, (2) ख, (3) घ, (4) क, (5) क, (6) क,
(7) ख, (8) घ, (9) ग, (10) ग, (11) ग।

II. रिक्त स्थान :

(1) सक्रिय, (2) मानसिक, (3) मशीन एवं यंत्र,
(4) आवश्यकताएँ, (5) सहयोग, (6) वृद्धि।

III. सही-गलत :

(1) सही, (2) गलत, (3) सही, (4) सही, (5) गलत।

IV. मिलान :

(1)-ग, (2)-घ, (3)-ङ, (4)-ख, (5)-क

© BSTBPC Not to be Published

परियोजना कार्य (Project Work) :

1. फतेहपुर गाँव में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह से मदद की है?
2. आप अपने गाँव या कस्बों के किन्हीं दो परिवारों के भूमि वितरण की एक सारणी बनाइए।
3. एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग-अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए।
4. मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूँजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं?
5. सविता के किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? बताएँ।
6. आप अपने गाँवों में और अधिक गैर-कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या कर सकते हैं?

संदर्भ :

- N.C.E.R.T वर्ग IX अर्थशास्त्र ।
- हाई स्कूल अर्थशास्त्र – तेजप्रताप सिंह (भारती भवन)
- भारतीय अर्थव्यवस्था – भगवान प्रसाद सिंह
- योजना मासिक पत्रिका
- अर्थशास्त्र – डॉ० सुमन
- कुरुक्षेत्र – मासिक पत्रिका
- बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण – 2006-07
- भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्र दत्त एवं के० पी० एम० सुन्दरम् ।

© BSTBPC
Not to be Published

इकाई -2

मानव एक संसाधन

चित्र सं० 2.1

© BSTBPC Not to be Published

परिचय:–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। पिछले अध्याय में हमनें गाँव की एक कहानी के माध्यम से उत्पादन

के साधनों का अध्ययन किया था, उन साधनों में से एक साधन 'साहस' था। साहस उत्पादन का एक सक्रिय-साधन के रूप में माना गया है और यह साहस कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि सजीव है, जो 'मानव' के रूप में जाना जाता है। इसलिए मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार है। जिस प्रकार बिना चाभी के ताला नहीं खोला जा सकता उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन-प्रक्रिया या विकास-कार्य नहीं प्रारंभ की जा सकती।

उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। इस संसाधन को 'मानवीय पूँजी' के रूप में भी हम जान सकते हैं। अर्थात् मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरी हैं। वर्तमान में 'मानवीय संसाधन' को 'मानवीय पूँजी' कहा जाता है क्योंकि यह उत्पादन क्रिया का प्रमुख अंग अथवा स्रोत है।

उद्देश्यः–

© BSTBPC Not to be Published

किसी देश के विकास के लिए समुचित रूप से संसाधन का प्रयोग होना चाहिए। संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु 'मानवीय पूँजी' का मजबूत होना आवश्यक है। 'मानवीय पूँजी' मुख्यतः **भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रंबंधन** इत्यादि पर निर्भर करता है जबकि संसाधन हमारे भौतिक-पूँजी की ओर इंगित करता है। इस आधार पर भौतिक एवं मानवीय पूँजी में अंतर देखा जाता है।

मानवीय पूँजी सजीव और सक्रिय होता है जबकि भौतिक पूँजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। भौतिक पूँजी को उत्पादक और उसे सक्रिय करने में मानवीय पूँजी की अहम् भूमिका होती है।

मनुष्य में छिपी हुई क्षमता को प्रखर करने के लिए उसे मजबूत करना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम इस अध्याय में मानव पूँजी के विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से मानवीय पूँजी को कैसे समृद्ध किया जाए? इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

मानवीय-पूँजी जितना समृद्ध होगा उतना ही देश व राज्य की प्रगति के साथ-साथ मानव का जीवन-स्तर उच्च स्तर का होगा।

मानव एक संसाधन रूप में

चित्र : 2.2

मानव एक संसाधन रूप में ।

'मनुष्य संसाधन के रूप में' का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या का **'कौशल'** और **'योग्यताएँ'**। जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएँ एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे संसाधन बन जाते हैं, अर्थात् जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर लेता है तो वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह संसाधन रूप में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में अशिक्षित, अप्रशिक्षित, अज्ञानी, अकुशल एवं अस्वस्थ तथा कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित प्रशिक्षित, कुशल, ज्ञानी एवं विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है और अर्थ-व्यवस्था की चतुर्मुखी विकास में इनका योगदान अधिक होता है।

बच्चो! क्या तुम्हें मालूम है कि तुम एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जिसे शिक्षा प्रदान कर एक महत्वपूर्ण मानवीय पूँजी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

इस शिक्षा के द्वारा तुम देश के उत्पादन क्षमता के केन्द्र में रहोगे। डॉक्टर, इन्जीनियर, प्रबंधक या शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण संसाधन का अंग बन कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे।

© BSTBPC Not to be Published

उदाहरण स्वरूप–जिस प्रकार एक देश अपने भौतिक संसाधनों को कारखानों के माध्यम से भौतिक पूँजी में परिवर्तित कर देता है उसी प्रकार छात्र रूपी मानव संसाधन को अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर देता है, अर्थात् मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है। निवेश का स्वरूप भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत चित्र में मानव को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा संसाधन के रूप में दिखाया गया है।

चित्र सं० 2.3

© BSTBPC Not to be Published

मानव पूँजी

भौतिक एवं मानवीय पूँजी

बच्चो! अब तक तुमने मानव संसाधन के बारे में पढ़ा और उसके महत्व को समझा परंतु मानव पूँजी, भौतिक-पूँजी से किस प्रकार भिन्न है? अब हम इसे जानने का प्रयास करेंगे।

भौतिक पूँजी एवं मानव-पूँजी दोनों ही निवेश का परिणाम है परंतु दोनों के बीच कुछ अंतर है। इन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है–

मानवीय पूँजी एवं भौतिक पूँजी में अंतर

(Difference between Human Capital and Physical Capital)

मानवीय पूँजी तथा भौतिक पूँजी दोनों निवेश (Investment) का परिणाम होती हैं। लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर हैं जिन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है–

भौतिक पूँजी (Physical Capital)	मानवीय पूँजी (Human Capital)
(i) भौतिक पूँजी उत्पादन का **निष्क्रिय साधन** (Passive Resource) है।	(i) मानवीय पूँजी उत्पादन का **सक्रिय साधन** (Active Resource) है।
(ii) भौतिक पूँजी **मूर्त्त** (Tangible) होती है जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है।	(ii) मानवीय पूँजी **आमूर्त्त** (Intangible) होती है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता। केवल मानवीय पूँजी की **सेवाओं** (Services) को खरीदा या बेचा जा सकता है।
(iii) भौतिक पूँजी को इसके स्वामी (Owner) से **अलग** किया जा सकता है।	(iii) मानवीय पूँजी को इसके स्वामी से **अलग नहीं** किया जा सकता ।
(iv) भौतिक पूँजी देश के अंदर पूर्णत: **गतिशील** (Perfectly Mobile) होती है।	(iv) मानवीय पूँजी **पूर्णत: गतिशील नहीं** (Not Perfectly Mobile) होती। यह राष्ट्रीयता (Nationality) तथा संस्कृति (Culture) से बाधित होती है।
(v) भौतिक पूँजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें **ह्रास** (Depreciation) होता है।	(v) मानवीय पूँजी में **उम्र बढ़ने के साथ इसमें ह्रास हो सकता है** लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगातार निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है।
(vi) भौतिक पूँजी से इसके स्वामी को **निजी लाभ** (Private Benefit) होता है।	(vi) मानवीय पूँजी से इसके स्वामी को **निजी लाभ** (Private Benefit) भी होता है तथा साथ ही समाज को सामाजिक लाभ भी होता है।

© BSE Bihar Not to be Published

मानवीय पूँजी-निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास

मानव का संसाधन के रूप में परिवर्तन – शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, सूचना तकनीक इत्यादि द्वारा।

पूँजी के दो रूप होते हैं भौतिक पूँजी और मानव पूँजी। उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, औजार, उपकरण, फैक्टरी की इमारतें कच्चेमाल इत्यादि का उपयोग किया जाता है तो यह भौतिक पूँजी कहलाता है परन्तु जब ज्ञान, कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो यह मानव पूँजी कहलाता है। जिसके विभिन्न स्त्रोतों का नीचे वर्णन किया जा रहा है–

मानव पूँजी के स्त्रोत

- भोजन
- वस्त्र
- आवास
- स्वास्थ
- शिक्षा
- प्रशिक्षण
- सूचना-तकनीक
- प्रबंधन

भोजन– मनुष्य को जीवित एवं स्वस्थ रहने के लिए शरीर को भोजन देना आवश्यक होता है। जब मनुष्य भूखा होगा तो वह पेट भरने की चिंता के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रिया नहीं कर सकेगा अतः भोजन मानव संसाधन की एक प्रमुख आवश्यकता है।

वस्त्र– जब मनुष्य को भोजन की पूर्ति हो जाती है तो वह शरीर ढकने हेतु कपड़े(वस्त्र)की माँग करता है। मनुष्य के लिए वस्त्र, भारत जैसे बदलते मौसम वाले देश में भी एक आवश्यक माँग है। यह एक अलग बात है कि ठंढी जगह में अधिक वस्त्र और गर्म अथवा सामान्य मौसम की जगह में कम वस्त्र की आवश्यकता होती है।

आवास– मनुष्य की तीसरी अनिवार्य माँग सर छिपाने के लिए आवास अर्थात् घर है जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम में सुरक्षित रख पाता है।

चित्र : 2.4

स्वास्थ्य–स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है अर्थात् मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूँजी है और इसमें खर्च (व्यय) कर बढ़ोत्तरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य

© BSTBPC Not to be Published

व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्ततः **स्वास्थ्य पर व्यय मानव-पूँजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है।**

चित्र : 2.5

शिक्षा—मानव पूँजी-निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है । शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव-पूँजी के रूप में समृद्धि पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। जिस प्रकार कम्पनियाँ एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर व्यय करती है उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूँजी की क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादक बना देता है।

© BSTBPC Not to be Published

नोबेल पुरस्कार विजेता **'प्रो० अमर्त्य सेन'** ने शिक्षा को मानव-पूँजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का **'मूल-अधिकार'** बनाने पर जोर दिया है। विगत् वर्षों के आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षितों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है।

नीचे दिए तालिका में भारत में शिक्षा के स्तर को प्रतिशत में दिखाया गया है –

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
1951	18.3	27.2	8.9
1961	28.3	40.4	15.3
1971	34.5	46.0	22.0
1981	43.6	56.4	29.8
1991	52.2	64.2	39.3
2001	65.4	75.9	54.2

उपरोक्त सारणी को आरेख द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं।

भारत में साक्षरता दर

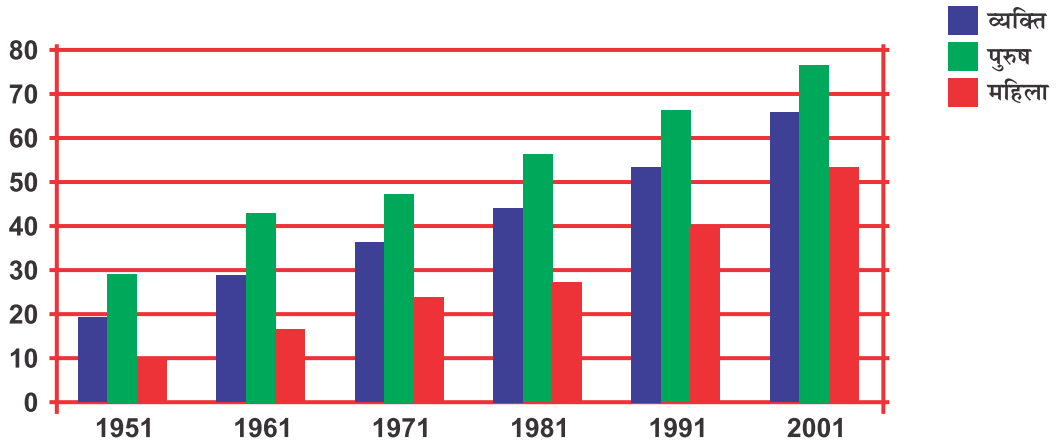

उपर्युक्त सारणी और आरेख से स्पष्ट है कि देश की साक्षरता दर में प्रति दशक वृद्धि हुई है। फिर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक साक्षरता रही है। यह तथ्य महिलाओं के प्रति पिछड़ी विचारधारा को परिलक्षित करता है। भारत में पुरुषों और महिलाओं में अधिक शिक्षा प्रसार के लिये हम सबों को संकल्प लेना चाहिए।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 2.6

रेशम कीटपालन कार्यक्रम में प्रशिक्षण देते हुए अधिकारी

प्रशिक्षणः–शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा पाते हैं। इस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती हैं तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ते हैं। आधुनिक युग में बढ़ते हुए माँग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और बढ़ गयी है क्योंकि हमें विश्व के बाजारों के बीच अपने को कुशल साबित करना है।

भारत में मानवीय पूँजी-निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास
(Human Capital Formation or Human Resource Development in India)

भारत की विकास योजनाओं का अन्तिम उद्देश्य मानवीय पूँजी–निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास करना है ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों (Economic Reforms) को सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है जिसका पता जनसंख्या–सम्बन्धी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य–सुविधाओं के स्तर आदि से चलता है। वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता–दर, जन्म तथा मृत्यु–दर, शिशु–मृत्यु दर आदि मानवीय विकास के सूचक (Indicators of Human Development) हैं। मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई है। इसे अग्रांकित तालिका में दिखलाया गया है–

© BSTBPC Not to be Published

भारत में मानवीय विकास के मूल सूचक
(Basic Indicators of Human Development in India)

वर्ष	जीने की औसत आयु	साक्षरता-दर (प्रतिशत)	जन्म-दर (प्रति-हजार)	मृत्यु-दर (प्रति-हजार)	शिशु मृत्यु-दर (प्रति-हजार) जन्म	1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (रुपये)
1951	32.1	18.3	39.9	27.4	146	3687
1961	41.3	28.3	41.7	22.8	146	4429
1971	45.6	34.5	36.9	14.9	129	5002
1981	54.4	43.6	33.9	12.5	110	5352
1991	55.9	52.2	29.5	9.8	80	7321
2001	63.8	65.4	25.8	8.1	63	10306

Source: Govt. of India, Economic Survey 1996-97, & 184 and Economic Survey 2002-03

इस तालिका से स्पष्ट है कि भारत में योजनाकाल में जीने की औसत आयु (Life Expectancy) में वृद्धि हुई है, **साक्षरता की दर** (Literacy Rate) भी बढ़ी है, **जन्म-दर** (Birth Rate), **मृत्यु-दर** (Death Rate) तथा **शिशु मृत्यु-दर** (Infant Mortality Rate) में कमी हुई है एवं 1993-94 के मूल्यों के आधार पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। आँकड़े इस बात के सूचक हैं कि देश में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय प्रगति हुई है।

भारत में शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित है। जिसके द्वारा मानवीय पूँजी के अवयव को विकसित किया जाता है–

संक्षित शब्दों का पूर्ण रूप

U. G. C. - University Grants Commission (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

N.C.E.R.T.- National Council of Educational Research and Training (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्)

S.C.E.R.T.- State Council of Educational Research and Training (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

I.C.A.R. - Indian Council of Agricultural Research (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

I.C.M.R. - Indian Council of Medical Research (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्)

I.C.S.S.R. - Indian Council of Social Science Research (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्)

© BSTBPC Not to be Published

सूचना तकनीकः– आधुनिक युग सूचना तकनीक का युग है। सूचना तकनीक मानव संसाधन को समृद्ध करने की पूँजी है। इसके आधार पर मनुष्य अपने-आप को ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है तथा उसके तकनीक के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करता है। सूचना तकनीक के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में सीमित पूँजी-लगाकर भी मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सीखने का मौका मिलता है। इस तकनीक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में भी ग्रामीण स्तर पर सूचना का लाभ लिया जा रहा है।

चित्र : 2.7

© BSTBPC
Not to be Published

स्कूली बच्चे इन्टरनेट पर कार्य करते हुए

प्रबंधन:– शिक्षा के स्तर से प्रबंधन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है। उत्पादन के समस्त साधनों को जब हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का परिचायक है। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति ही कुशल संगठन का नेतृत्व कर सकता है और बुद्धि की कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है।

जनसंख्या

जनसंख्या का अभिप्राय मनुष्य की आबादी से है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूँजी है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करती है, अर्थात् देश के आर्थिक विकास में सहयोग करती है। इसलिए जनसंख्या को साधन और साध्य भी माना जाता है। लेकिन प्रत्येक चीज की वृद्धि की एक सीमा होती है और उसका उल्लंघन करना घातक ही होता है।

किसी देश के साधन-संसाधन वहाँ के आबादी के सापेक्ष होते हैं, उसे एक अनुकूल या आदर्श जनसंख्या कह सकते हैं, परन्तु विपरीत स्थिति में जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, तो इसे जनाधिक्य (अत्यधिक जनसंख्या) कहते हैं। जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित हैं परन्तु अगर भारत की बात की जाए तो यह जनाधिक्य के सबसे खतरनाक स्तर पर है जिसे '**जनसंख्या-विस्फोट**' (Population Explosion) की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। यह चित्र सं० 2.6 से स्पष्ट होता है।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 2.6

देश में तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या

आँकड़े गवाह हैं कि आबादी बेलगाम, बेतहासा एवं अनियंत्रित रूप से बढ़ती ही जा रही हैं। आजादी के समय भारत की जनसंख्या **33 करोड़** थी जो तीव्र गति से बढ़ती हुई **2001 में 102.70 करोड़** हो गयी है। भारत की जनगणना (Census) प्रत्येक दस वर्षों पर की जाती है। इसे निम्न सारणी से देखा जा सकता है–

भारत की जनसंख्या

जनगणना वर्ष	जनसंख्या करोड़ में	दशक में परिवर्तन करोड़ में (प्रतिशत में)	दशक में वृद्धि की दर
1901	23.84	+0.24	–
1911	25.21	+1.37	+5.75
1921	25.13	–0.08	–0.31
1931	27.90	+2.77	+11.00
1941	31.87	+3.97	+14.22
1951	36.11	+4.24	+13.31
1961	43.92	+7.81	+21.64
1971	54.82	+10.90	+24.80
1981	68.33	+13.51	+24.66
1991	84.63	+16.30	+23.86
2001	102.70	+18.01	+21.30

© BSTBPC Not to be Published

उपर्युक्त सारणी में दर्शाये गए दशकीय जनसंख्या वृद्धि को बार-चार्ट के द्वारा भी दिखाया जा सकता है–

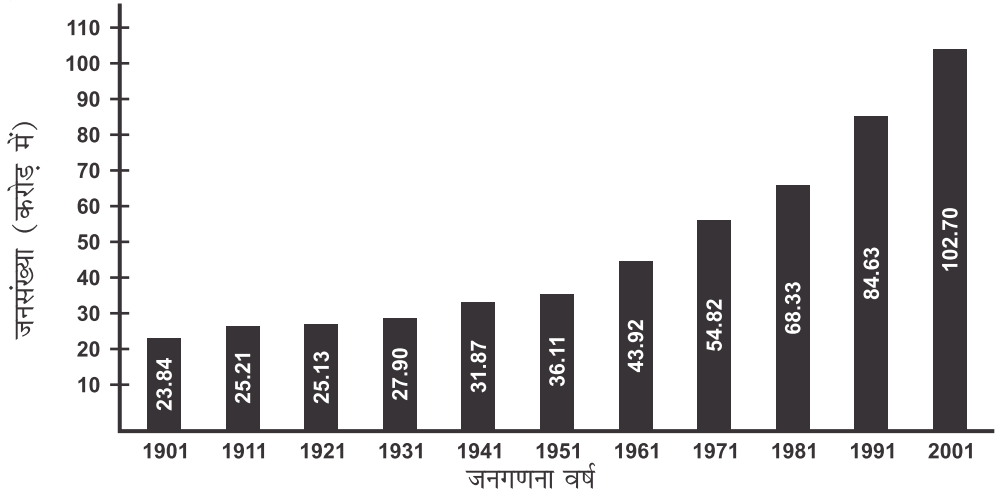

भारत की जनसंख्या राज्य स्तर पर **2001** में निम्न प्रकार से थी जिसे नीचे दिए गए वृत्त–आरेख से भी देख सकते हैं–

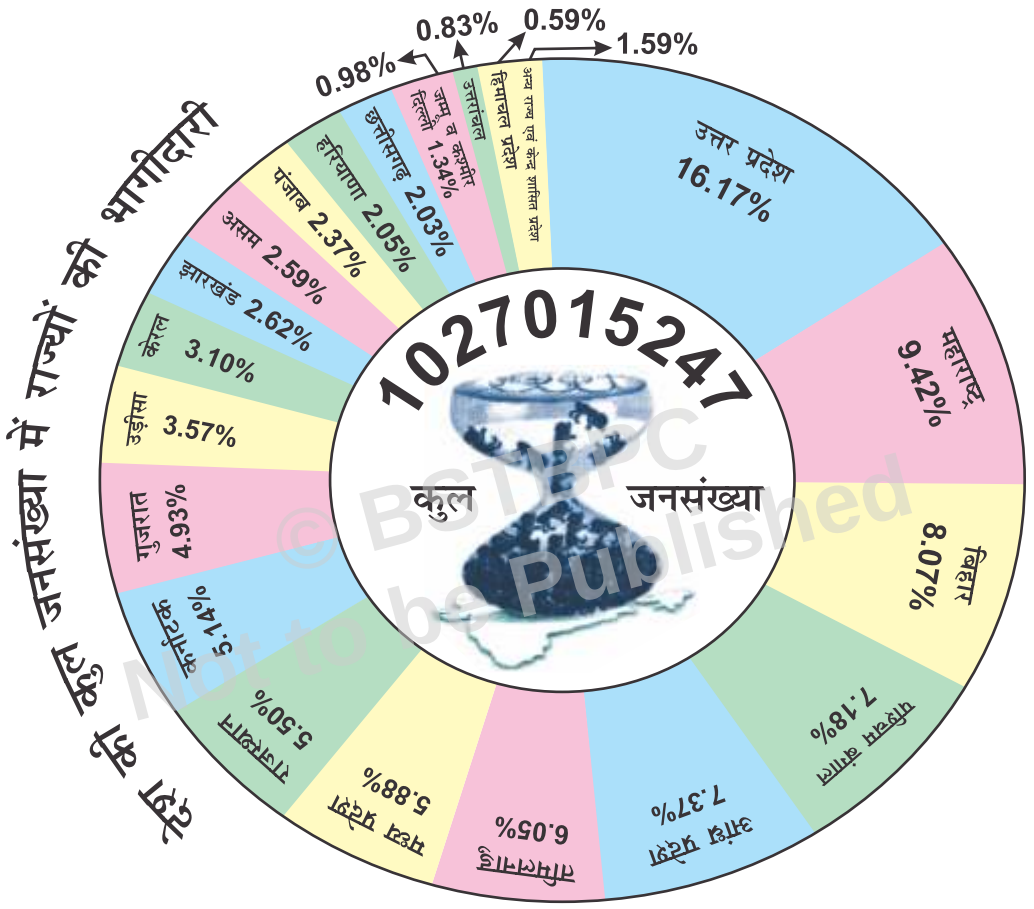

© BSTBPC Not to be Published

बिहार : जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयव

2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8,28,78,796 (8.28 करोड़), जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.07 प्रतिशत है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर-प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा बड़ा राज्य हैं। 1991 में बिहार (अविभाजित बिहार) की जनसंख्या, भारत का कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत (10%) से कुछ अधिक थी, जो उत्तर-प्रदेश के बाद बिहार, देश का दूसरा बड़ा राज्य था। झारखण्ड राज्य बन जाने के उपरान्त विभाजित बिहार की जनसंख्या में कमी आ गयी।

बिहार में जनसंख्या वृद्धि-दर–

वर्ष 1991-2001 की अवधि में बिहार की जनसंख्या वृद्धि-दर **28.43** प्रतिशत है, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि-दर **21.34** प्रतिशत से अधिक है। **1991-2001** के दशक में राज्य के 22 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की औसत जनसंख्या वृद्धि-दर **28.43** प्रतिशत से अधिक रही है। इनमें से नए जिला **'शिवहर'** का स्थान सर्वप्रथम था जिसकी जनसंख्या वृद्धि-दर **36.16** प्रतिशत थी । दूसरी तरफ नालंदा की जनसंख्या वृद्धि-दर **18.64** प्रतिशत थी, जो सबसे कम थी जो 1981 से 1991 के दशक में **21.73** प्रतिशत थी। अर्थात् नालंदा की जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित तौर पर घटी है।

© BSTBPC Not to be Published

नीचे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों को दर्शाया गया है –

(1) (अवरोही क्रम में)

राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले	
1. पटना	47,09,851
2. पूर्वी चम्पारण	39,33,636
3. मुजफ्फरपुर	37,43,836
4. मधुबनी	35,70,651
5. गया	34,64,983

(2) (आरोही क्रम में)

राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले	
1. शिवहर	5,14,288
2. शेखपुरा	5,25,137
3. लखीसराय	8,01,173
4. मुंगेर	11,35,499
5. खगड़िया	12,76,677

पुनः बिहार में जनसंख्या-वृद्धि के अनुसार पाँच सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों एंव पाँच सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों को दर्शाया गया है–

(3) (अवरोही क्रम में)

राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलें	
1. शिवहर	36.16%
2. पूर्णिया	35.23%
3. नवादा	33.03%
4. सहरसा	33.03%
5. जमुई	32.90%

(4) (आरोही क्रम में)

राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलें	
1. नालन्दा	18.64%
2. मुंगेर	20.34%
3. लखीसराय	23.94%
4. बांका	24.47%
5. भोजपुर	24.58%

जनसंख्या घनत्व–

© BSTBPC Not to be published

जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। **2001 के जनगणना** के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व **880 प्रतिवर्ग किलोमीटर** है जबकि **1991 में यह 685 प्रतिवर्ग किलोमीटर** थी। बिहार राज्य के पाँच सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को नीचे दिखलाया गया है–

(5) (अवरोही क्रम में)

राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग किमी) वाले 5 जिलें	
1. पटना	1,471 व्यक्ति
2. दरभंगा	1,442 व्यक्ति
3. वैशाली	1,332 व्यक्ति
4. सारण	1,231 व्यक्ति
5. बेगूसराय	1,222 व्यक्ति

(6) (आरोही क्रम में)

राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग किमी) वाले 5 जिलें	
1. कैमूर	382 व्यक्ति
2. जमुई	451 व्यक्ति
3. बांका	533 व्यक्ति
4. प०चंपारण	582 व्यक्ति
5. औरंगाबाद	607 व्यक्ति

लिंगानुपात (स्त्री-पुरुष अनुपात)

लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रतिहजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या से है। भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या की यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। वर्ष **2001** की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रतिहजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या **921** थी जबकी **1991** में यह संख्या **907** थी। बिहार का स्त्री-पुरुष अनुपात भारत के स्त्री-पुरुष अनुपात से कम है।

राज्य के सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात वाले पाँच जिले तथा सबसे कम स्त्री-पुरुष अनुपात वाले पाँच जिलों को दिखाया गया है–

(7) (अवरोही क्रम में)

राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलें		
1.	सिवान	1033
2.	गोपालगंज	1005
3.	सारण	965
4.	नवादा	948
5.	मधुबनी	943

(8) (आरोही क्रम में)

राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिलें		
1.	पटना	873
2.	भागलपुर	878
3.	मुंगेर	878
4.	खगड़िया	890
5.	सीतामढ़ी	893

© BSTBPC Not to be Published

आओ करें

(1) बच्चो! आप अपने घर के सदस्यों का स्त्री-पुरुष अनुपात निर्धारित करें।

(2) आप अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्त्री-पुरुष अनुपात को ज्ञात करें।

(3) अपने वर्ग में स्त्री-पुरुष अनुपात को ज्ञात करें।

बिहार की साक्षरता–

यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ-साथ उस भाषा को लिखना-पढ़ना भी जानता हो तो उसे **'साक्षर'** कहते हैं।

2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरों की संख्या–**31675607** है, जिसमें पुरुष साक्षरों की संख्या– **20978955** है। साक्षर महिलाओं की संख्या–**10696652** है। अर्थात् दो साक्षर पुरुषों की तुलना में केवल एक महिला साक्षर है। **2001** में बिहार में साक्षरता दर **47.53** प्रतिशत है जबकि **1991** में यह **37.49** प्रतिशत थी। इस प्रकार पिछले दशक में बिहार की साक्षरता में मोटे-तौर पर दस प्रतिशत **(10%)** की वृद्धि हुई है, फिर भी भारत के साक्षरता वृद्धि-दर से काफी कम है। भारत की साक्षरता-दर **65.38** प्रतिशत है।

नीचे बिहार राज्य के सर्वाधिक साक्षरता-दर वाले पाँच जिलों तथा सबसे कम साक्षरता-दर वाले पाँच जिलों को दर्शाया गया है ।

© BSTBPC Not to be Published

(9) (अवरोही क्रम में)

राज्य में सर्वाधिक साक्षरता-दर वाले 5 जिले	
1. पटना	63.82%
2. रोहतास	62.36%
3. मुंगेर	60.11%
4. भोजपुर	59.71%
5. औरंगाबाद	57.50%

(10) (आरोही क्रम में)

राज्य में सबसें कम साक्षरता-दर वाले 5 जिले	
1. किशनगंज	31.02%
2. अररिया	34.94%
3. कटिहार	35.29%
4. पूर्णिया	35.51%
5. मधेपुरा	36.19%

आओ ! क्रियाशीलता ज्ञान-वृद्धि करें

बच्चो! तुम अपनी टोली बनाकर अपने मुहल्ले या गाँव में साक्षर व्यक्तियों की संख्या का पता लगाओ। साथ में स्त्री-पुरुष साक्षरता संख्या का पता लगाकर एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित करो।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या :

किसी भी राज्य के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया उसके विकास की गति को बताती है। शहरीकरण से आर्थिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है यानि शहरीकरण एवं विकास दोनों का घनिष्ठ संबंध है। **जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही अग्रणी (आगे) होगा।**

बिहार में शहरीकरण की स्थिति काफी नाजुक है। बिहार के जिन जिलों का शहरीकरण हुआ उनमें **पटना**, **मुजफ्फरपुर**, **भागलपुर**, **छपरा**, **गया** एवं **वैशाली** प्रमुख हैं। जब औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः जन्म लेती है। बिहार के कुछ जिलों का शहरीकरण सेवाओं एवं शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ जैसे- **पटना** ।

© BSTBPC Not to be Published

वर्तमान में बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात 89:11 (2001 जनगणना के अनुसार) है।

बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण–

बिहार में अत्यधिक जनसंख्या-वृद्धि के कारणों को हम बिंदुवार रूप में इस प्रकार देख सकते हैं–

- गर्म जलवायु
- संयुक्त परिवार प्रथा
- बाल विवाह
- अशिक्षा
- गरीबी
- परम्परागत मान्यताएँ
- परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव
- अन्य कारण

बिहार राज्य में अत्यधिक रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्न उपायों को बिंदुवार रूप में इस प्रकार देखेंगे–

- तीव्र आर्थिक विकास
- परिवार नियोजन
- धन तथा आय का समान तथा न्यायपूर्ण वितरण
- आत्म-संयम
- शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार
- जागरूकता
- सरकारी प्रयास

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

भारत में नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया है कि **''दीर्घकालीन विकास''** (Sustainable Development) तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। विकास क्रिया को बनाये रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना नितांत जरूरी है, इसी उद्देश्य से 15 फरवरी, 2000 को भारत सरकार के द्वारा **'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति'** (National Population Policy) की घोषणा की गयी। इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया है।

© BSTBPC Not to be Published

इस नीति के **तत्कालीन**, **मध्यकालीन** तथा **दीर्घकालीन** उद्देश्य हैं। तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भनिरोध की आपूर्ति, तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, मूलभूत पुनर्जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवकों तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है।

मध्यकालीन उद्देश्य के अन्तर्गत कुल प्रजनन दर को **2010** तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है।

इस प्रकार इस नीति की **दीर्घकालीन उद्देश्य 2045** तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बनाना है जो दीर्घकालीन विकास की जरूरतों, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप माना गया है। **2045** तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में मुख्यत: निम्नलिखित उपायों की चर्चा की है–

(1) शिशु मृत्यु-दर को प्रति हजार **30** के नीचे लाना।

(2) मातृ मृत्यु-दर (Maternal Mortality Rate) को प्रति लाख **100** से नीचे लाना।

(3) सार्वजनिक प्रतिरोध (Universal Immunisation) ।

(4) प्रशिक्षित लोगों द्वारा अच्छे अस्पतालों में **80 प्रतिशत प्रसव** (Deliveries) कराना।

(5) एड्स (AIDS) के प्रति लोगों को जागरूकता करना तथा इसे रोकने के उपाय करना।

(6) दो बच्चों के छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रोत्साहन (Insentive) देना ।

(7) सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना ।

(8) बाल-विवाह को रोकने के कानून का सख्ती से पालन करना।

(9) लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु **20 साल** या इससे अधिक करना।

(10) जो औरतें 21 वर्ष की आयु के बाद शादी करें और दो बच्चों के बाद **अनुर्वरीकरण** करा ले उनके लिए विशेष पुरस्कार (Reward) की व्यवस्था करना।

(11) गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले वैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) की व्यवस्था करना, जो दो बच्चों के बाद **अनुर्वरीकरण** (Sterlization) करा लें।

(12) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नजर रखने के लिए National Comission on Population का गठन करना।

© BSTBPC Not to be Published

इस नीति में **2012** तक जनसंख्या को 1100 मिलियन तक सीमित रखने के लिए 10 वर्षों के लिए एक **Action Plan** की चर्चा की गई है जिसमें निम्नलिखित बातें हैं–

(1) ग्राम पंचयात स्तर पर **स्वयंसेवी वर्ग** (Self- Help Groups) बनाये जिनमें मुख्यत: गृहिणियाँ होंगी जो स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं तथा पंचायतों से संपर्क रखेंगी।

(2) **प्रारंभिक शिक्षा** (Elementary Education) को अनिर्वाय एवं नि:शुल्क करना।

(3) जन्म एवं मृत्यु के साथ-साथ विवाह एवं गर्भाधान (Pregnancy) के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बनाना।

इस नीति के द्वारा सरकार **2045** तक जनसंख्या को स्थिर कर देने की आशा करती है। लेकिन इस नीति की आलोचना में यह कहा जाता है कि सरकार ने जनसंख्या-नियंत्रण का सारा बोझ औरतों पर ही डाल दिया है और मर्दों को स्वतंत्र छोड़ दिया है। दो बच्चों के बाद अनुर्वरीकरण के लिए औरतों के साथ-साथ मर्दों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जनसंख्या-नियंत्रण का बोझ औरतों एवं मर्दों पर बराबर-बराबर पड़ना चाहिए।

राज्य में भी **गाडगिल फार्मूला** के अन्तर्गत '**राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000**' को अपनाने की सिफारिश की गयी है। इस फार्मूला के तहत केन्द्र-सरकार द्वारा अर्जित आय में राज्यों को उचित हिस्सा मिलें इसकी पुष्टि की गयी है अर्थात् जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के लोगों का प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय-आय में हिस्सा भी अधिक होगा। विशेषकर बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना निहायत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर कमी होगी और साथ ही गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या को झेलने के लिए मजबूर होंगे।

सारांश

मानव पूँजी आर्थिक विकास की पूँजी है। मानव पूँजी निर्माण से ही भौतिक पूँजी का विस्तार संभव है। शिक्षित, प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिक का अशिक्षित, अप्रशिक्षित एवं अकुशल व्यक्ति के अपेक्षा आय के सृजन में अंशदान काफी अधिक बनाने हेतु जरूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्चजीवन स्तर पर विशेष ध्यान देकर मानव विकास को आगे की ओर बढ़ाया जाए। **मानव पूँजी भौतिक पूँजी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।** मानव पूँजी का आशय लोगों में निहित उत्पादकीय ज्ञान एवं कौशल से है।

विशेषकर अधिक जनसंख्या वाले देश एवं राज्य के लिए मानव संसाधन पूँजी का मजबूत होना राष्ट्रहित के लिए एक स्तंभ के समान है। जिस राज्य व देश की मानव पूँजी का अवयव जितना ही मजबूत होगा उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी।

© BSTBPC Not to be Published

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

1. मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं?

(क) भोजन और वस्त्र (ख) मकान

(ग) शिक्षा (घ) उपयुक्त सभी

2. निम्न में से कौन मानवीय पूँजी नहीं है?

(क) स्वास्थ्य (ख) प्रशिक्षण

(ग) अकुशलता (घ) प्रबंधन

3. प्रो० अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है?

(क) मूल अधिकार (ख) मूल कर्त्तव्य

(ग) नीति-निर्देशक तत्व (घ) अनावश्यक

4. जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है?

(क) 75.9 प्रतिशत (ख) 65.4 प्रतिशत

(ग) 54.2 प्रतिशत (घ) 64.5 प्रतिशत

5. जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है?

(क) 65.4 वर्ष (ख) 60.3 वर्ष

(ग) 63.8 वर्ष (घ) 55.9 वर्ष

6. बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है?

(क) पटना (ख) पूर्वी चम्पारण

(ग) मुजफ्फरपुर (घ) मधुबनी

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. मानव पूँजी-निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ..... होता है।

© BSTBPC Not to be Published

2. ..... संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है।
3. मानवीय साधन के विकास के लिए ..... अनिवार्य है।
4. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ..... करोड़ है।
5. 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य ..... है।
6. बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर ..... है।

III. एक वाक्य में उत्तर दें :

1. मानव संसाधन क्या है?
2. हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
3. साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है?
4. भौतिक व मानव-पूँजी में दो अंतर बताएँ।
5. विश्व जनसंख्या की दृष्टि से-भारत का क्या स्थान है?
6. जन्म-दर क्या है?
7. मृत्यु दर क्या है?
8. एक साक्षर व्यक्ति कौन है?
9. प्रारम्भिक (प्राथमिक) शिक्षा क्या है?
10. पेशेवर शिक्षा क्या है?

© BSTBPC Not to be Published

IV. संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दें :

1. G.D.P
2. U.G.C.
3. N.C.E.R.T.
4. S.C.E.R.T.
5. I.C.M.R.

V. लघु उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 20 शब्दों में दें)

1. मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें।
2. मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है?
3. किसी देश में मानव-पूँजी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं?
4. किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है?
5. भारत में जनसंख्या के आकार को एक बार चार्ट (ग्राफ) द्वारा स्पष्ट करें ।
6. बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या-वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम लिखें।
7. बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखें।
8. बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है इसके मुख्य दो कारण लिखें ।

VI. दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न :

(उत्तर 100 शब्दों में दें)

1. मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन को मानव पूँजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है?
2. मानव पूँजी और भौतिक-पूँजी में क्या अंतर है? इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानव पूँजी भौतिक पूँजी से श्रेष्ठ है?
3. भारत में मानवीय-पूँजी निर्माण के विकास का परिचय दें।
4. मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका की विवेचना करें।
5. भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

© BSTBPC Not to be Published

उत्तर

I. वस्तुनिष्ठ :

(1) घ (2) ग (3) क (4) ख (5) ग (6) क

II. रिक्त स्थान :

(1) वृद्धि (2) मानव (3) शिक्षा (4) 102.70
(5) बिहार (6) 47 प्रतिशत

परियोजना कार्य (Project Work) :

I. प्रश्नावली द्वारा क्षेत्र के जनसंख्या संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करें। (व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा)

1. उत्तर दाता का नाम – .....
2. उम्र – .....
3. शिक्षा – .....
4. लिंग – .....
5. अपने परिवार के कुल सदस्यों की संख्या – .....
6. अपने परिवार के कुल पुरुषों की संख्या – .....
7. अपने परिवार के कुल महिलाओ की संख्या – .....
8. परिवार के कुल लड़कों की संख्या – .....
9. परिवार के कुल लड़कियों की संख्या – .....
10. परिवार की मासिक आमदनी – .....
11. परिवार के आय का मुख्य स्त्रोत – .....

II. मानव पूँजी के स्त्रोत को वरीयता के अनुसार देते हुए एक चित्रमय नोट तैयार करें।

III. देश की कुल जनसंख्या में राज्यों की भागीदारी प्रतिशत को एक वृत्त-चित्र द्वारा दर्शायें।

IV. भारत की जनसंख्या के प्रतिशत वृद्धि(दशकीय) को ग्राफ में बिंदुरेखीय द्वारा प्रदर्शित करें।

© BSTBPC Not to be Published

संदर्भ :

- N.C.E.R.T. वर्ग IX अर्थशास्त्र
- भारतीय अर्थव्यवस्था–डॉ० भगवान प्रसाद सिंह
- अर्थशास्त्र – डॉ० सुमन
- H.R.D. Report 2000
- भारत की जनगणना रिपोर्ट – 2001
- बिहार की अर्थव्यवस्था – डॉ० पी० सी० वर्मा
- बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07

© BSTBPC
Not to be Published

इकाई-3

गरीबी

परिचय-

पिछले अध्याय में हमने मानव को उत्पादन का एक **'सक्रिय संसाधन'** के रूप में देखा। अब हम इस अध्याय में मानव संसाधन के स्वरूप पर प्रकाश डालें। यदि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता भी पूरा नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति एक खास **संवर्ग** में जाना जाता है और यह संवर्ग की पहचान ही उसकी **''गरीबी''** को दर्शाता है। बिहार अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा राज्य है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में बसती है जिसकी आमदनी बहुत ही कम है जिसके कारण वह अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है और गरीबी की मार उसे हमेशा सताती रहती है।

इस अध्याय में हम गरीबी रेखा, गरीबी उत्पन्न के कारण तथा इसके समाधान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 3.1

भूख और प्यास- रोटी की आस

गरीबी :
भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है, जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है।

उपर्युक्त चित्र 3.1 में बिहार के गाँव के एक परिवार की गरीबी को दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि गरीबी के कारण लोग भूख और प्यास से तड़पते रोटी की आस में टकटकी लगाए हुए हैं।

उद्देश्य :

बच्चो! इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि हम तुम्हें गरीबी का अर्थ बतायें तथा इसके कारण, इसके निवारण, इसके प्रकार एवं इसके दुष्चक्र की चर्चा के साथ गरीबी के विभिन्न आयामों से परिचित करायें।

इस अध्याय में बिहार राज्य के गरीबी के ऊपर भी विस्तृत प्रकाश आँकड़े सहित प्रस्तुत किया गया है। 'गरीबी उन्मूलन' हेतु केंद्र एवं राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर किया गया है। अत: गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। **सरकारी स्तरों** पर भी गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों का वर्णन करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ सरकार के ऊपर इसके निवारण को छोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है बल्कि गैर-सरकारी संस्था के द्वारा भी गरीबी कैसे मिटायी जाए? इसका भी प्रयास इस अध्याय के माध्यम से अवगत करना है।

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गाँवों के **भूमिहीन श्रमिक** भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी **झुग्गियों** में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण-स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले **बाल-श्रमिक** भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर गरीबी को देखते हैं। वास्तव में, देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। साथ ही भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक गरीबों का **संकेद्रण** हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लम्बे अंतराल के बाद भी पूरे देश के लिए यह एक गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है।

© BSTBPC Not to be Published

गरीबी के दो विशिष्ट मामले

शहरी गरीबी

रामपुकार की कहानी

पैंतीस वर्षीय रामपुकार बिहार में पटना के निकट गेहूँ के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह छह सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के चार बच्चे शामिल हैं। उसे जहानाबाद के समीप गाँव में रह रहे अपने बूढ़े माता-पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामपुकार और निकट के शहर आरा में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं।

रामपुकार शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक कामचलाँऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी राधा देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। रामपुकार का परिवार किसी प्रकार दिन में दो बार दाल और चावल का अल्प-भोजन जुटा लेता है पर यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं होता । उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास दो जोड़े फटे-पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते । जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प-पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती ।

चित्र : 3.2

रामपुकार की कहानी

राजेन्द्र सिंह की कहानी

राजेन्द्र सिंह बिहार में नालन्दा के पास एक गाँव इसलामपुर का रहनेवाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे-मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 60 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। आठ सदस्यों का परिवार हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। राजेन्द्र सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएँ पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। राजेन्द्र सिंह वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 3.3

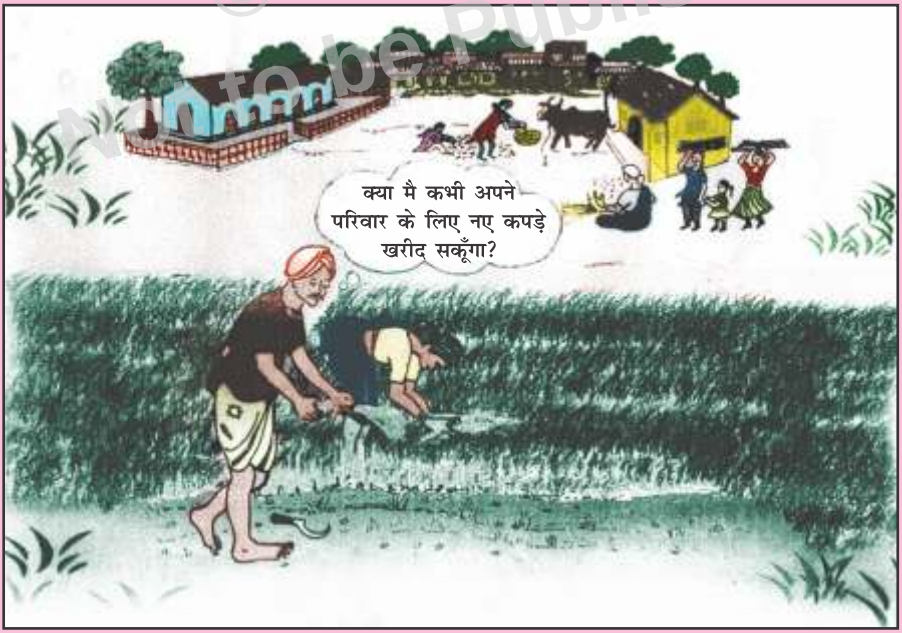

राजेन्द्र सिंह की कहानी

पीछे के दो विशिष्ट उदाहरण गरीबी के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि गरीबी का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी ईलाज नहीं करवा पाता। गरीबी का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। साथ ही यह नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर के अभाव को भी बतलाता है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। गरीब लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी-कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे-स्टेशनों इत्यादि लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति या आदमी गरीबी में जीना नहीं चाहता।

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। **राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगा।**

© BSTBPC
Not to be Published

राजेन्द्र सिंह की कहानी

राजेन्द्र सिंह बिहार में नालन्दा के पास एक गाँव इसलामपुर का रहनेवाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे-मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 60 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। आठ सदस्यों का परिवार हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। राजेन्द्र सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएँ पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। राजेन्द्र सिंह वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है।

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 3.3

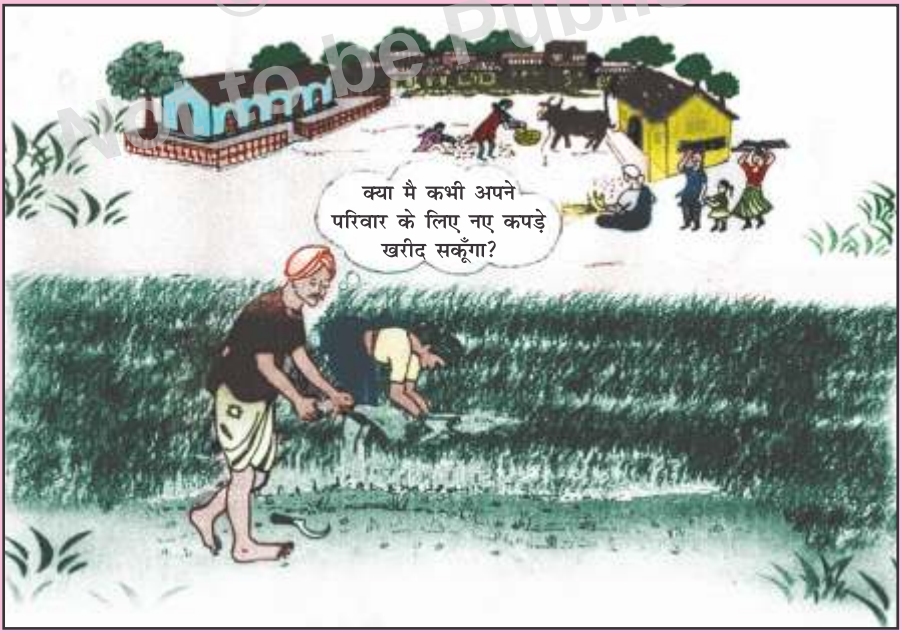

राजेन्द्र सिंह की कहानी

पीछे के दो विशिष्ट उदाहरण गरीबी के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि गरीबी का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी ईलाज नहीं करवा पाता। गरीबी का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। साथ ही यह नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर के अभाव को भी बतलाता है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। गरीब लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी-कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे-स्टेशनों इत्यादि लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति या आदमी गरीबी में जीना नहीं चाहता।

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। **राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगा।**

© BSTBPC
Not to be Published

गरीबी का दुष्चक्र
(VICIOUS CIRCLE OF POVERTY)

गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति की स्थिति से है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्पविकास होता है।

एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ''नर्क्स'' (Nurkse) गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में करते हैं –

''नर्क्स'' का कहना है कि गरीबी का दुष्चक्र बताता है कि चक्रीय रूप में जुड़ी शक्तियाँ एक-दूसरे के साथ इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती है कि गरीब देश सदैव गरीबी की अवस्था में ही रहता है।

गरीबी के दुष्चक्र कई प्रकार के होते हैं, उनमें से दो मुख्य इस प्रकार है – जिन्हें चित्र 'क' और चित्र 'ख' में दर्शाया गया है जो निम्नलिखित है।

चित्र : 3.4

क

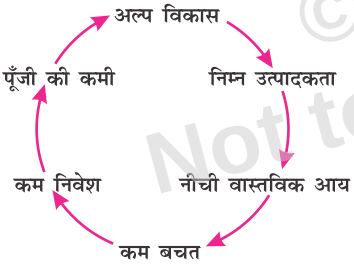

ख

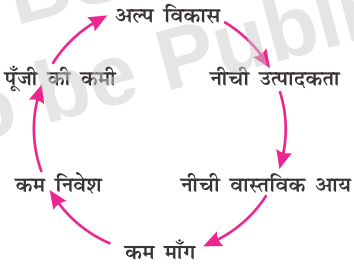

निर्धनता का दुष्चक्र या गरीबी का दुष्चक्र

गरीबी का दुष्चक्र: इससे अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं, जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्पविकास होता है।

चित्र 'क' दर्शाता है कि एक अल्पविकसित देश में कुल उत्पादन कम होता है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय भी कम अथवा नीची होती है। इसी कारण लोग कम बचत करते हैं जिसका स्वत: अर्थ है **कम निवेश** तथा **कम पूँजी निर्माण**। कम पूँजी निवेश वाले देश सदैव अल्पविकसित रहते हैं तथा यह प्रक्रिया चक्रवत चलती रहती है।

चित्र 'ख' दर्शाता है कि एक अल्पविकसित देश की उत्पादकता नीची होती है, जिसका परिणाम कम वास्तविक आय होता है। जब लोगों की वास्तविक आय कम होती है, तो माँग में कमी आती है। इससे बाजार का आकार छोटा होने के कारण निवेश गिर जाता है, जिसके कारण कम पूँजी निर्माण होता है तथा यही प्रक्रिया फिर से आरंभ होती है।

© BSTBPC Not to be Published

सूचकांक द्वारा गरीबी की माप

चूँकि गरीबी के अनेक पहलू है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं लेकिन अब गरीबी को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग-प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित गरीबी का विश्लेषण वर्तमान समय में अब बहुत सामान्य होता जा रहा है।

सामाजिक अपवर्जन :

इस अवधारणा के अनुसार गरीबी को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि गरीबों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहनेवाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे गरीबों के साथ रहना पड़ता है। मोटे तौर पर यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, जिनका उपभोग दूसरे (उनसे 'अधिक अच्छे') करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति-व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया है।

© BSTBPC Not to be Published

असुरक्षा :

गरीबी के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों (जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के भावी वर्षों में गरीब होने या बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, सुनामी, बाढ़) आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उन सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में, सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है।

गरीबी-रेखा

गरीबी पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया गरीबी रेखा की अवधारणा होती है। गरीबी के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है। काल एवं स्थान के अनुसार गरीबी रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्त्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए **अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता की वस्तु मानी जाती है।**

भारत तथा बिहार में गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। कैलोरी का अर्थ भोजन से मिलने वाला सामान्य पोषक तत्व है। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक श्रम करते हैं यानि शारीरिक कार्य अधिक करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गयी है। अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रतिव्यक्ति मौद्रिक व्यय तथा कीमतों में वृद्धि के आधार पर **मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय** (MPCE) के द्वारा वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रु० प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रु० प्रतिमाह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक राशि निश्चित की गई थी। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक रहती हैं। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, एक व्यक्ति के द्वारा खर्च किये जाने वाले उस राशि से है जिससे उसके आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ अर्थात् खाद्यान्न वस्तु एवं आवास प्राप्त होता है।

गरीबी रेखा :

योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। MPCE के आधार पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रु० प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित किया है।

आकलन के वर्ष अर्थात् वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा, यदि उसकी आय लगभग 1,640 रु० प्रतिमाह से कम है। इसी तरह के पाँच सदस्यों वाले परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए कम से कम 2,270 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। गरीबी रेखा का आकलन

© BSTBPC Not to be Republished

समय-समय पर (सामान्यतः हर पाँच वर्ष पर) प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात् नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एन. एस. एस. ओ) के द्वारा कराया जाता है, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता या गरीबी रेखा के लिए एक मापदंड का प्रयोग करते हैं, जैसे–एक डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर ।

गरीबी के अनुमान :

भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हाल के वर्षों में कुछ कम हुई है। इसे निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका-3-1

	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत)			निर्धनों की संख्या (करोड़)		
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त योग
1973 – 74	56.4	49.0	54.9	26.1	6.0	32.1
1993 – 94	37.3	32.4	36.0	24.4	7.6	32.0
1999 – 00	27.1	23.6	26.8	19.3	6.7	26.0
2004 – 05	21.8	21.7	21.8	17.0	5.0	20.0

© BSTBPC Not to be Published

स्रोत :– आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में गरीबी अनुपात वर्ष 1973 में लगभग 55 प्रतिशत थी जो वर्ष 1993 में घटकर 36 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2000 में गरीबी रेखा के नीचे के गरीबों का अनुपात और भी गिर कर 26 प्रतिशत पर आ गया । यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों (1973-93) में गिरा है, गरीब लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान में भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है।

असुरक्षित समूह

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार, आर्थिक समूहों में सबसे अधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण खेतिहर मजदूर परिवार और नगरीय अनियत मजदूर तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परिवार हैं।

आरेख 3.1 : भारत में गरीबी 2000 सर्वाधिक असुरक्षित समूह

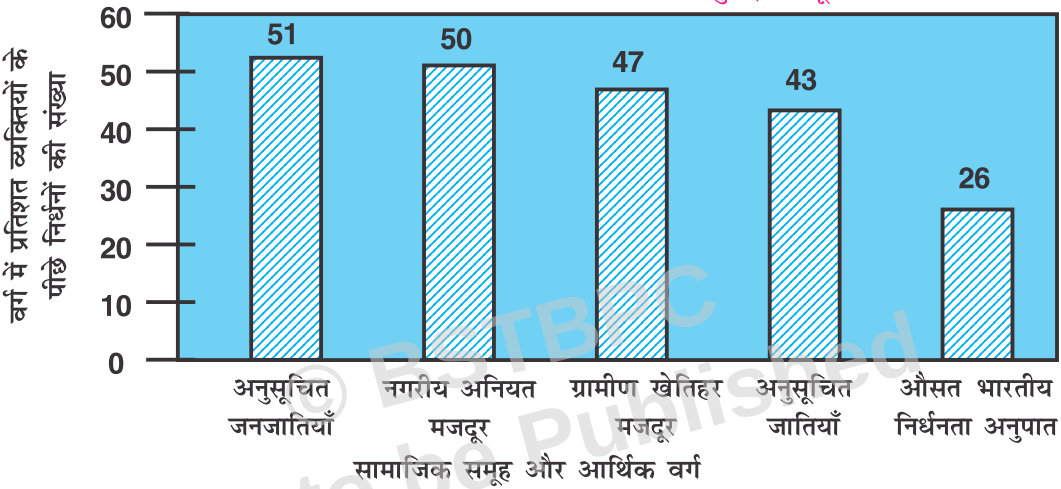

© BSTBPC Not to be Published

स्रोत : रिपोर्ट ऑन एंप्लायमेंट एंड अनएंप्लायमेंट अमौंग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया नं0 469, 472 एन.एस.एस.ओ., मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में गरीब लोगों के प्रतिशत को दिखाता है। ऐसे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनियत मजदूर गरीबी रेखा के नीचे हैं। लगभग 50 प्रतिशत भूमिहीन कृषक मजदूर और 43 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी गरीब हैं।

इन सामाजिक समूहों के अलावे परिवारों में भी आय की **असमानता** है। गरीब परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जा सकता है। इसलिए महिलाएँ, शिशु (खासकर बच्चियाँ) और वृद्ध गरीबों में भी गरीब होते हैं। इसे एक चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

गैर-सरकारी प्रयास :

गरीबी के निदान के रूप में कुछ गैर-सरकारी प्रयास भी किए जा रहें हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. स्वरोजगार :- सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर-सरकारी प्रयास भी गरीबी दूर करने के लिए गाँवों एवं शहरों के स्तर पर काफी कारगार सिद्ध हुआ है। इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए व्यक्ति स्वयं रोजगार को चुनता है और अपनी इच्छानुसार काम कर आय अर्जित करता है तथा धीरे-धीरे बैंक से लिए गए कर्ज को चुकता करता जाता है। कर्ज समाप्ति के बाद व्यक्ति का वह रोजगार अपना हो जाता है और वह व्यक्ति स्वावलम्बी हो जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के रहन-सहन में आय बढ़ने के कारण बदलाव आ जाता है।

2. सामूहिक खेती :-

कृषि में छोटे-छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाने लगा। भारतीय कृषि में मूलत: कुछ विसंगतियाँ हैं जैसे-खेतों का विखंडन, खेतों पर मेड़ों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव होना, फसलों की सुरक्षा का अभाव इत्यादि। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सामूहिक खेती का उद्‌गम हुआ। फलस्वरूप गरीब कृषक तथा गरीब मजदूर की खेती में लगायी जाने वाली पूँजी की सुरक्षा की गारंटी भी सामूहिक खेती की ही देन है। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और लोग एक-दूसरे के दुख व हानि आपस में बाँटते हैं जिसके कारण किसी खास पर हानि का बोझ नहीं पड़ता है और गरीब से गरीब भी अपने इस प्रयास से जीवनशैली में बदलाव लाते हैं।

चित्र : 3.7

एक साथ कई महिलाएँ धान की रोपनी करती हुई।

इस चित्र 3.7 में यह स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि खेतों में एक साथ काफी महिलाएँ सामूहिक रूप से खेती कर रही हैं जो आपस में काम के अलावा अपने सुख-दुख को भी बाँटती हैं।

© BSTBPC Not to be Published

बिहार में गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में

वित्तमंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2001–02 ने भारत के कुछ राज्यों में गरीबी के अनुपात का वर्णन किया है जिसे निम्न आरेख से दिखाया गया है:-

आरेख 3.2 भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात

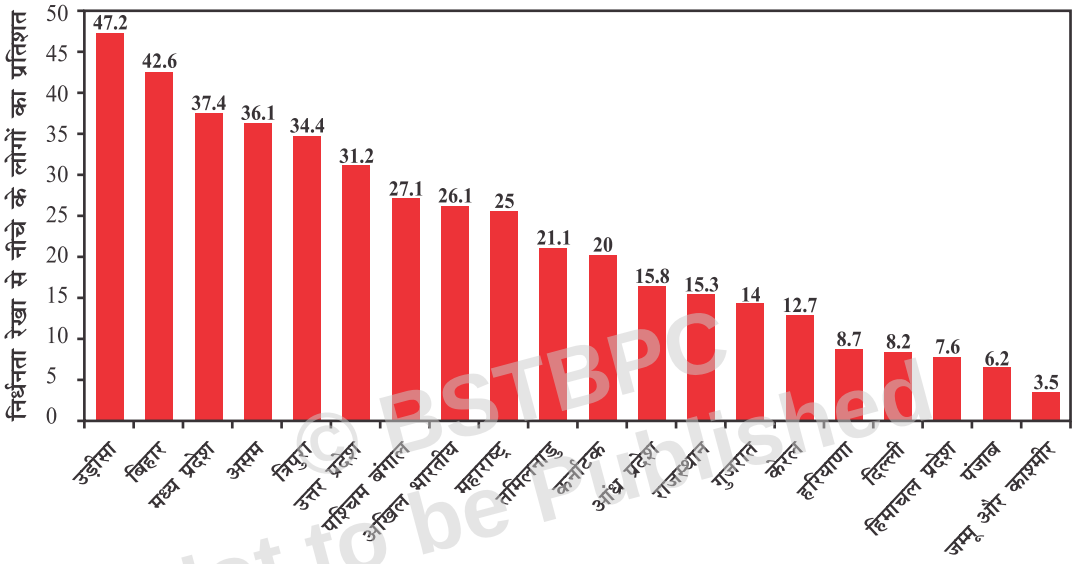

© BSTBPC Not to be Published

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2001–02 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

इसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत बिहार में 42.6 प्रतिशत है जबकि जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य में यह प्रतिशत मात्र 3.5 है। **बिहार भारत के गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है जबकि उड़ीसा प्रथम जहाँ कि गरीबी अनुपात 47.2 प्रतिशत है।** इस प्रकार देखते हैं कि बिहार के साथ अन्य राज्यों में भी गरीब लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय गरीबी में सुदीर्घकालिक कमी हुई है इसके कारण गरीबी कम करने में सफलता की दर बिहार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है।

गरीबी के कारण

भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं जिसमें निम्न प्रमुख है:-

गरीबी के मुख्य कारण:-
- जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि
- कृषि का पिछड़ापन
- पूँजी का अभाव
- प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव
- औद्योगीकरण का अभाव
- आय तथा धन की विषमता
- बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी
- विदेशी शासन
- प्रतिकूल सामाजिक वातावरण
- यातायात के साधनों की कमी

1. जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि-भारत की गरीबी का मुख्य कारण देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश में पहले तो जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक थी जो अब लगभग 1.7% पर आ गई है। फिर भी यह विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। इसके चलते लोगों का जीवन-स्तर गिर रहा है तथा देश की गरीबी बढ़ रही है।

2. कृषि का पिछड़ापन-भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन उत्तम खाद, बेहतर किस्म के बीज तथा सिंचाई की सुविधा के अभाव में वह पिछड़ी हुई अवस्था में है।

© BSTBPC Not to be Published

3. पूँजी का अभाव-पूँजी की कमी देश में गरीबी को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। बचत के अभाव में अपेक्षित विनियोग नहीं हो पाता। पूँजी निर्माण की गति धीमी रहती है जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं का विकास तथा विस्तार नहीं हो पाता।

4. प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव-भारत में प्राकृतिक साधनों एवं मानवीय साधनों की प्रचुरता है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 50% प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का आर्थिक विकास के लिए प्रयोग नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों का गरीब होना स्वाभाविक है।

5. औद्योगीकरण का अभाव-हमारे देश में उद्योगों का विकास एवं विस्तार तेजी से नहीं हुआ है जिसके कारण कृषि क्षेत्र से जनसंख्या का हस्तांतरण उद्योगों में नहीं हुआ है। इसके कारण लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में तथा बेकारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लोगों में गरीबी वर्तमान है।

6. आय तथा धन की विषमता-हमारे देश में आय एवं धन के वितरण में काफी

विषमता है। देश की आय एवं सम्पत्ति का अधिकांश भाग कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है। इसके कारण एक ओर धनी और धनी बनते हैं जबकि गरीब और अधिक गरीब, जिसके कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है।

7. बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी–भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश है। उद्योग धंधों के अविकसित होने के कारण यहाँ व्यापक रूप में बेरोजगारी पायी जाती है। काम के इच्छुक लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। अत: बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है जो गरीबी की समस्या का एक मुख्य कारण है।

8. विदेशी शासन–हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों ने काफी लंबे समय तक शासन किया जिसने हमेशा शोषण की नीति का अनुसरण किया । ब्रिटिश शासकों की नीति ऐसी थी जो उनके आर्थिक नीति के अनुरूप थी तथा भारत के हितों के विरुद्ध थी। उनकी इस नीति के कारण भारत के विकसित कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और लाखों लोग गरीबी के शिकार हो गए।

© BSTBPC Not to be Published

9. प्रतिकूल सामाजिक वातावरण–भारत में शिक्षा का घोर ही अभाव है। अधिकांश भारतीय अशिक्षित एवं रूढ़िवादी होते हैं जिसके कारण वे अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना नहीं चाहते। इसके कारण भी देश में गरीबी विद्यमान है।

10. यातायात के साधनों की कमी–भारत में यातायात के साधनों की कमी है, इसके चलते हमारे आर्थिक विकास की गति मंद है। देश के विकास के लिए इन साधनों का विकास भी आवश्यक है।

गरीबी उन्मूलन के उपाय

हमलोगों ने देखा है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में निवास करती है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी का भार दृष्टिगोचर होता है। गरीबी आज भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। गरीबी उन्मूलन के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं जिनमें निम्न प्रमुख हैं:–

1. प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग–चूँकि भारत में प्राकृतिक साधनों की

कमी नहीं है। अभी तक उनका पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे हैं। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है लेकिन भारतीय गरीब हैं जिसका अर्थ यह है कि भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है किन्तु यहाँ के निवासी गरीबी का जीवन व्यतित करते हैं। अतः गरीबी दूर करने के लिए देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए।

गरीबी उन्मूलन के निम्न उपायः-

1. प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग
2. जनसंख्या पर नियंत्रण
3. कृषि उत्पादन में वृद्धि
4. देश का औद्योगीकरण
5. पूँजी की व्यवस्था
6. यातायात के साधनों का विकास
7. आय तथा धन का समान वितरण
8. रोजगार के अधिक अवसर
9. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास
10. निवेश में वृद्धि

2. जनसंख्या पर नियंत्रण–देश की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करके ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन का रूप देना जरूरी है।

3. कृषि उत्पादन में वृद्धि–हमारा देश मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग जनसंख्या का 2/3 भाग (दो–तिहाई) कृषि पर आश्रित है। कृषि को आधुनिक बनाकर उत्तम खाद, बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। कृषि का तीव्र विकास करके गरीबी को दूर किया जा सकता है।

4. देश का औद्योगीकरण–गरीबी की समस्या के समाधान के लिए देश का औद्योगीकरण भी अनिवार्य है। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा। लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनकी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होगी।

5. पूँजी की व्यवस्था–चूँकि कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त पूँजी आवश्यक है। भारत में बचत एवं पूँजी निर्माण की दर बहुत कम है। पूँजी की समुचित व्यवस्था करने के लिए देश में पूँजी को भी आकृष्ट करना होगा।

6. यातायात के साधनों का विकास–यातायात के साधनों के विकास द्वारा देश में विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यातायात के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है जो गरीबी दूर करने में सहयोग देती है।

7. आय तथा धन का समान वितरण–देश में आय तथा धन का समान वितरण करने की आवश्यकता है। धनी लोगों पर प्रगतिशील कर लगाने की जरूरत है तथा उनकी आय पर सीमा–निर्धारण होना चाहिए। प्रगतिशील कर का अर्थ आय बढ़ने के साथ करों की दरों में बढ़ोत्तरी होना है। निर्धन वर्ग के लोगों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए धनी वर्ग

© BSTBPC Not to be Published

के लोगों से साधन जुटाने की आवश्यकता है। इन सुविधाओं के विकास द्वारा उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी तथा गरीबी दूर करने के अवसर मिलेंगे।

8. रोजगार के अधिक अवसर–सरकार को छोटे तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। रोजगार में वृद्धि करने के लिए अधिक सार्वजनिक कार्य को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

9. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास–देश में मौजूद लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी और यह गरीबी को कम करने में मदद करेगी।

10. निवेश में वृद्धि–कुछ राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश इत्यादि पिछड़े हुए राज्य हैं। इन राज्यों में गरीब लोगों की संख्या काफी हैं। अत: गरीबी दूर करने के लिए इन राज्यों में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है।

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास

सरकारी प्रयास

- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
- राज्य रोजगार गारंटी कोष
- मध्याह्न भोजन योजना
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
- समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- जवाहर रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना

गैर सरकारी प्रयास :-

- स्वरोजगार
- सामूहिक खेती
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)

© BSTBRC Not to be Published

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं योजना में गरीबी दूर करने संबंधी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा देश एवं स्थानीय स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो गरीबी दूर करने में काफी मददगार साबित हुए।

गरीबी दूर करने के लिए किये गये सरकारी प्रयास निम्न हैं :–

1. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रमः– यह भारत सरकार के द्वारा 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिले में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए हैं, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने को इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन शत–प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और इस मद में भारत के केन्द्रीय सरकार के द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

2. राज्य रोजगार गारंटी कोषः–इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा।

3. मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme-MDMS)–यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना में स्कूली बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसका भार भी केंद्र सरकार ही वहन करती है। इस योजना पर 2007-08 में लगभग 7324 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। इसमें केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को ही सम्मिलित किया जाता है।

चित्र : 3.6

बिहार के एक स्कूल में अधिकारी की उपस्थिति में मध्याह्न-भोजन का बँटवारा बच्चों के बीच किया जा रहा है।

4. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमः– इस कार्यक्रय को सबसे पहले पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सन् 1974-79 में देश से गरीबी निवारण हेतु लागू किया गया । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था–देश की गरीब जनता को कम से कम न्यूनतम जरूरतों जैसे–पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि की पूर्ति कराना था।

5. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमः– (Integrated Rural Development Programme (IRDP)) गरीबी निवारण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 से देश के सभी प्रखंडों में लागू किया गया। यह एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसमें गाँवों के गरीबों को उत्पादक परिसंपत्ति (Productive Assets) देकर उनकी आय में वृद्धि की

© BSTBPC Not to be published

कोशिश की जाती है ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर गरीबी रेखा के ऊपर जा सकें।

6. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarn Jayanti Gram Rozgar Yojana (SGSY)) :- अप्रैल, 1999 में IRDP का नाम स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कर दिया गया। यह केंद्र सरकार द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में चालू रखा गया।

7. जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana) :-यह एक मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को अप्रैल, 1989 में प्रारंभ किया गया था।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) को मिला दिया गया है। NREP को अक्टूबर, 1980 में सीमांत किसान, कृषि श्रमिक आदि को उनके बेकार समय में पूरक रोजगार-सृजन की दृष्टि से प्रारंभ किया गया तथा RLEGP को अगस्त 1983 में प्रारंभ किया गया था जिसके माध्यम से भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की बात कही गयी।

© BSTBPC Not to be Published

8. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Prime Minister's Rozgar Yojana):- 1993-94 में यह योजना शहरी क्षेत्र में बेकार शिक्षित युवकों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गई थी। 1994-95 में इसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी विस्तारित किया गया। 1999-2000 में इसके द्वारा करीब 2.20 लाख लोगों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 2001 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ की संपूर्ण रोजगार योजना की घोषणा की।

9. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY):- इस योजना को 2000-01 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में गुणवत्ता के सुधार के लिए जैसे-स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों में सुधार के उद्देश्य से रखा गया है।

10. स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (Swarn Jayanti Shahari Rozgar Yojana or SJSRY) :- इस कार्यक्रम को दिसम्बर, 1997 से प्रारंभ किया गया है। यह योजना शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार तथा कम रोजगाररत लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। 2004-05 में इस योजना के लिए 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

गैर-सरकारी प्रयास :

गरीबी के निदान के रूप में कुछ गैर-सरकारी प्रयास भी किए जा रहें हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. स्वरोजगार :- सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर-सरकारी प्रयास भी गरीबी दूर करने के लिए गाँवों एवं शहरों के स्तर पर काफी कारगार सिद्ध हुआ है। इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए व्यक्ति स्वयं रोजगार को चुनता है और अपनी इच्छानुसार काम कर आय अर्जित करता है तथा धीरे-धीरे बैंक से लिए गए कर्ज को चुकता करता जाता है। कर्ज समाप्ति के बाद व्यक्ति का वह रोजगार अपना हो जाता है और वह व्यक्ति स्वावलम्बी हो जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के रहन-सहन में आय बढ़ने के कारण बदलाव आ जाता है।

2. सामूहिक खेती :-

कृषि में छोटे-छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाने लगा। भारतीय कृषि में मूलत: कुछ विसंगतियाँ हैं जैसे-खेतों का विखंडन, खेतों पर मेड़ों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव होना, फसलों की सुरक्षा का अभाव इत्यादि। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सामूहिक खेती का उद्‌गम हुआ। फलस्वरूप गरीब कृषक तथा गरीब मजदूर की खेती में लगायी जाने वाली पूँजी की सुरक्षा की गारंटी भी सामूहिक खेती की ही देन है। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और लोग एक-दूसरे के दुख व हानि आपस में बाँटते हैं जिसके कारण किसी खास पर हानि का बोझ नहीं पड़ता है और गरीब से गरीब भी अपने इस प्रयास से जीवनशैली में बदलाव लाते हैं।

चित्र : 3.7

एक साथ कई महिलाएँ धान की रोपनी करती हुई।

इस चित्र 3.7 में यह स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि खेतों में एक साथ काफी महिलाएँ सामूहिक रूप से खेती कर रही हैं जो आपस में काम के अलावा अपने सुख-दुख को भी बाँटती हैं।

© BSTBPC Not to be Published

3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम:-गाँव स्तर पर सामूहिक खेती के जैसा ही सामुदायिक विकास का **उद्‌गम** हुआ। इसके अन्तर्गत विकास के कार्यक्रम को लोग एक साथ मिलकर करते हैं और उससे प्राप्त मजदूरी व लाभ को बराबर-बराबर आपस में बाँटते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रत्येक **वांछित व गरीब** लोगों को काम करने का एक साथ मौका मिलता है। इस प्रयास से इस समूह में लगे सारे लोगों की गरीबी, आय बढ़ने के कारण दूर हो जाती है।

4. स्वयं सहायता समूह:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिला एवं ग्रामीण पुरुष को गाँव के स्तर पर ही जो काम मिलता है उसे बिना प्रशिक्षण के ही करते हैं। इसके अन्तर्गत पुरुष एवं महिला जो एक साथ काम करने के लिए इच्छुक होते हैं उन्हें बैंक के द्वारा समूह में कर्ज देकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक समूह में 15 से 20 लोग ही होते हैं एवं महिला तथा पुरुष का अलग-अलग समूह बनाया जाता है। समूह में एक सचिव तथा एक अध्यक्ष होते हैं और समूह के सभी सदस्यों का बैंक में खाता होता है। कर्ज वापसी की जवाबदेही समूह के सभी सदस्यों को बराबरी का होता है। समूह में जो भी आमदनी होती है उसे आपस में बराबर-बराबर बाँट दिया जाता है।

इस प्रकार अप्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं और अपनी गरीबी को दूर करने में सफल होते हैं।

© BSTBPC
Not to be Published

सारांशः

भारत में गरीबी आजादी के छः दशकों के बीत जाने के बावजूद भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गरीबी की अवधारणा एक विस्तृत अवधारणा है। यह समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज का बहुत बड़ा हिस्सा न्यूनतम जीवन स्तर से भी वंचित रह जाता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध जीवन-स्तर से है। दुनिया के गरीब देशों के समूह को **'तीसरी दुनिया** कहा जाता है। भारत सहित **'तीसरी दुनिया'** के देशों में व्यापक गरीबी विद्यमान है। इसके अंतर्गत गरीबी के दो विशिष्ट मामले दर्शाये गए हैं जो ग्रामीण एवं शहरी के रूप में दर्शाया गया है। ग्रामीण गरीबी एवं शहरी गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा को आधार बनाया गया है। खासकर बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार 1.3 करोड़ जनसंख्या है जिसमें देश की कुल गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का 1/7 वाँ भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है। यहाँ की औसत उपलब्धियाँ काफी नीचे है। बिहार की जनसंख्या का 40 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिहार में गरीबी का परिदृश्य काफी जटिल है। 80 प्रतिशत घरों के मालिक अशिक्षित हैं। बिहार राज्य का पशुधन भी निम्न कोटि का है। गरीबी और बेरोजगारी बिहार की अतीत से जुड़ गया है जिसके कारण इन दोनों समस्याओं से छुटकारा पाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। भारत व राज्य सरकार के स्तर पर इस समस्या के निवारण हेतु भी अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परन्तु इसकी उपलब्धियाँ अभी भी उतनी दिख नहीं पड़ती है जितना दिखना चाहिए। फिर भी सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयास निरंतर चलायी जा रही है। समय के अंतराल में इसकी उपलब्धि अवश्य दृष्टिगोचर होगी और गरीबी से छुटकारा आम जनता को मिल सकेगी।

© BSTBPC Not to be Published

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

1. बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से
   (क) कम है (ख) बराबर है
   (ग) अधिक है (घ) इनमें से कोई नहीं
2. बिहार में 1999- 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था
   (क) 42.6 (ख) 44.3
   (ग) 54.3 (घ) इनमें से कोई नहीं
3. भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है?
   (क) आर्थिक विषमता (ख) औद्योगिक विकास
   (ग) गरीबी (घ) औद्योगिक पिछड़ापन
4. गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है?
   (क) पहला (ख) दूसरा
   (ग) तीसरा (घ) चौथा
5. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है?
   (क) उड़ीसा (ख) झारखंड
   (ग) पं० बंगाल (घ) उत्तर प्रदेश
6. गरीबी रेखा के नीचे रहना
   (क) अमीरी का द्योतक है (ख) गरीबी का सूचक है
   (ग) खुशहाली का सूचक है (घ) इनमें से किसी का भी सूचक नहीं है।
7. शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है।
   (क) 2400 कैलोरी (ख) 2100 कैलोरी
   (ग) 2300 कैलोरी (घ) 2200 कैलोरी

© BSTBPC Not to be Published

8. **निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं:-**

(क) कृषि (ख) उद्योग

(ग) बाढ़ (घ) इनमें से कोई नहीं

9. **MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रु०प्रतिमाह किया गया।**

(क) 328 रु० (ख) 524 रु०

(ग) 454 रु० (घ) 354 रु०

10. **SGSY योजना की शुरूआत कब की गयी ?**

(क) 2000 ई० (ख) 1999 ई०

(ग) 2001 ई० (घ) 1998 ई०

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:-

(i) बिहार आर्थिक दृष्टि से एक.....राज्य है।

(ii) योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे आनेवाले लोगों की प्रतिशत में..... .....हुई है।

(iii) भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या.....है।

(iv) जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें.....कहा जाता है।

(v) जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे.....कहते हैं।

(vi) MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्रों में.....रु० प्रतिमाह किया गया ।

(vii) 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में.....करोड़ जनसंख्या गरीब है।

III. सही कथन को टिक (✓) तथा गलत कथन को क्रॉस (✗) करें।

(i) राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है।

(ii) ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योगों के विकास की आवश्यकता है।

(iii) जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है।

(iv) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गयी है।

(v) शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की अपेक्षा कम काम करते हैं।

(vi) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता है।

© BSTBPC Not to be Published

IV. निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूपेण लिखें:-

(क) NSSO (ख) MPCE

(ग) SHG (घ) SGSY

(ङ) JRY (च) IRDP

(छ) MDMS (ज) NREP

(झ) PMRY (ञ) PMGY

V. लघु उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 20 शब्दों में दें)

1. योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है?
2. गरीबी के दो विशिष्ट मामले की विवेचना करें।
3. गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं।
4. क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है?
5. किन-किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब हैं?
6. गरीबी के कारणों में जनसंख्या-वृद्धि की क्या भूमिका है?
7. भारत में गरीबी के किन्हीं चार प्रमुख कारण बताएँ।
8. गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त चर्चा करें।
9. भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर-सरकारी प्रयासों को बताएँ।
10. बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है?
11. बिहार में ग्रामीण गरीबी के चार प्रमुख कारणों को बताएँ।
12. बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं पाँच उपायों को बताएँ।

VI. दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न :

(उत्तर 100 शब्दों में दें)

1. भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है?

© BSTBPC Not to be Published

2. भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए।
3. भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए।
4. भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियाँ बतायें।
5. बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन-से हैं? इस समस्या के समाधान के लिए उपाय बतायें।

उत्तर

I. वस्तुनिष्ठ :

(1) ग (2) क (3) ख (4) ख (5) क
(6) ख (7) ख (8) ग (9) क (10) ख

II. रिक्त स्थान :

(1) पिछड़ा (2) कमी (3) अधिक (4) अमीर
(5) गरीब (6) 454 रु० (7) 17 करोड़

III. सही-गलत :

(1) सही (2) सही (3) गलत (4) सही (5) गलत (6) सही

© BSTBPC Not to be Published

परियोजना कार्य (Project Work) :

1. एक गरीब परिवार की कहानी लिखें।
2. विभिन्न प्रकार के गरीबी को चित्र द्वारा दिखाएँ।
3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का अपने गाँव में मूल्यांकन करें।
4. ग्रामीण महिला के बीच गरीबी के प्रमुख कारणों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा विद्यालय में प्रदर्शित करें।
5. अकाल एवं बाढ़ से उत्पन्न गरीबी के समय आपके गाँव में लोग कैसे जीविकोपार्जन करते हैं? उसका वर्णन करें।
6. वर्ग स्तर पर गरीबी संबंधित करें।
7. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होने वाली गरीबी पर एक कहानी लिखें।

संदर्भ :

- N.C.E.R.T. वर्ग IX अर्थशास्त्र
- भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास –श्रीमति उर्मिला शर्मा
- अर्थशास्त्र – डॉ० सुमन
- भारती भवन – वर्ग IX
- भारत का आर्थिक विकास – डॉ० दीपा श्री
- आर्थिक सर्वेक्षण – 2006-07
- भारत की 2001 जनगणना रिपोर्ट
- गरीबी और अकाल – डॉ० अमर्त्य सेन
- आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य – डॉ० अमर्त्य सेन
- कुरुक्षेत्र–मासिक पत्रिका

© BSTBPC Not to be Published

इकाई-4

बेकारी

परिचय :

रोजगार एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे कोई व्यक्ति जीवन-यापन के लिए साधन अर्जित करता है अर्थात् यह साधन नकद अथवा वस्तु के रूप में हो सकता है, यही अर्जित साध्य उसकी **आमदनी** कहलाती है। जो व्यक्ति ऐसा क्रिया-कलाप करने में असफल रहते हैं तो वे **बेकार** या **बेरोजगार** कहलाते हैं।

प्राय: बेकारी तथा गरीबी साथ-साथ चलते हैं क्योंकि जो व्यक्ति जीविकोपार्जन में असमर्थ होते हैं, वे निश्चय ही गरीब होते हैं।

जब व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा हो और उसे मनपसंद कार्य नहीं मिल पाता है तो वे बेकारी का दंश झेलते हैं। कभी-कभी इच्छानुसार काम न मिलना भी बेकारी को प्रकट करता है। भारत एवं बिहार राज्य में बेकारी के कई किस्म पाए जाते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा इस अध्याय में आगे करेंगे।

इस बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित अनेक कार्यक्रम राज्य के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं, जिस पर भी विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में आगे करेंगे।

© BSTBPC Not to be Published

उद्देश्य :

भारत में बेरोजगारी एक विकराल समस्या है। देश में बेकारी का क्या स्वरूप है और यह कितने प्रकार की है, यह जानना आवश्यक है। जानकारी के आधार पर ही इसे दूर करने के उपाय सुझाएँ जा सकते हैं। विकसित एवं अल्पविकसित राष्ट्र में पायी जाने वाली बेकारी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है इसलिए इसके निराकरण हेतु अपनाये गये उपाय भी दोनों ही राष्ट्रों में भिन्न होंगे ।

इस विषयवस्तु का अध्ययन भारत जैसे विकासशील देश एवं बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की बेकारी विद्यमान है जिसका मूल समझना नितांत आवश्यक है जिसके निराकरण के लिए सही उपाय एवं नीति अपनायी जा सके ।

बेकारी की परिभाषा :

बेकारी एक आर्थिक समस्या है, जिसका गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। अर्थव्यवस्था में व्यक्ति **प्रचलित-मजदूरी** पर काम करना चाहता हो किन्तु उसे काम नहीं मिले तो उसे बेकार या बेरोजगार कहा जाता है। दूसरें शब्दों में कहा जाय तो काम चाहनेवाले व्यक्तियों को इच्छा व योग्यता होने पर भी जब प्रचलित मजदूरी पर काम रहने पर भी नहीं मिल पाये तो हम ऐसी स्थिति को बेकारी की स्थिति कहते हैं। **अतः बेकारी की धारणा में दो मुख्य बातें आती हैं–**

दो मुख्य बातें हैं–

(1) काम खोजना

(2) काम के लिए उपलब्ध रहना ।

इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे–

'आकाश' की माँ **'सीता देवी'** अपने घरेलू काम काज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति **'किशन'** की मदद करती थी। आकाश का भाई **'जीतू'** और बहन **'सीतू'** अपना समय खेलने और घूमने फिरने में बिताते थे। क्या आप सीता देवी, जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों?

बेकारी उस परिस्थिति को कहते हैं जब **प्रचलित-मजदूरी** की दर पर काम के इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता हो। सीता देवी की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम-शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और न ही जीतू और सीतू और सीता देवी को बेकार या बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र **15 वर्ष से 59 वर्ष** के बीच की हो। आकाश के भाई और बहन (जीतू-सीतू) इस आयु वर्ग में नहीं आते। इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। आकाश की माँ सीता देवी को भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह घर के बाहर काम कर पारिश्रमिक प्राप्त करने को इच्छुक नहीं है। आकाश के दादा-दादी या नाना-नानी जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे श्रम-बल जनसंख्या आयुवर्ग (15-59) में नहीं है बल्कि वृद्ध हो चुके हैं।

© RSTBPC Not to be Published

भारत तथा बिहार राज्य में वर्तमान श्रम-शक्ति की प्रतिशत मात्रा **सारणी एक (1)** में दिखायी गयी है।

सारणी-1

भारत एवं बिहार में श्रम-शक्ति

1999 – 2000

श्रम-शक्ति प्रतिशत में,

देश/राज्य	ग्रामीण (Rural)	शहरी (Urban)
भारत		
पुरुष	85.4	78.6
महिला	45.6	20.9
कुल	66.2	51.1
बिहार		
पुरुष	86.9	75.7
महिला	28.9	12.5
कुल	59.2	48.4

© BSTBPC Not to be Published

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट 2001

बेरोजगारी के प्रकार :

बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक बड़ी समस्या है जिसके कारण हमारी श्रम शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है।

भारत एवं बिहार के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पायी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर पाया जाता है जो मुख्य रूप से इस प्रकार देखा जा सकता है–

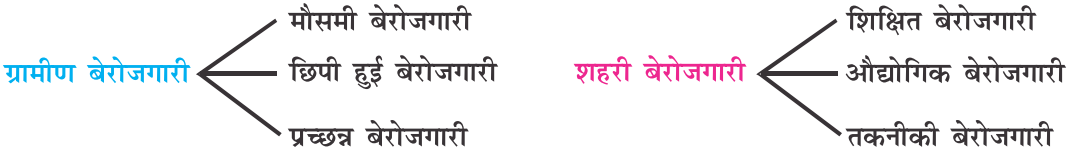

नीचे सारणी (2) में बेकार श्रम-शक्ति (ग्रामीण व शहरी) की प्रतिशत मात्रा को भारत एवं बिहार राज्य के स्तर पर दिखाया गया है।

सारणी-2

भारत एवं बिहार में ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी दर

1999 – 2000

बेरोजगारी दर श्रमशक्ति के प्रतिशत में

देश/राज्य	ग्रामीण (Rural)	शहरी (Urban)
भारत		
पुरुष	7.20	7.30
महिला	7.00	9.40
कुल	7.20	7.70
बिहार		
पुरुष	7.20	8.70
महिला	6.20	13.50
कुल	7.00	9.30

© BSTBPC Not to be Published

स्त्रोत–योजना आयोग दसवीं पंचवर्षीय योजना Vol-1, Page-165

उपरोक्त बेरोजगारी के प्रकार को हम इस प्रकार देखेंगे–

ग्रामीण बेरोजगारी

मौसमी बेरोजगारी

मौसम में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न बेकारी को **मौसमी बेरोजगारी** कहते हैं। खेती के मौसम में काम मिलना और खेती के मौसम न होने के कारण काम न मिलने की स्थिति को मौसमी बेरोजगारी माना जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि-क्षेत्र में पायी जाती है। भारत की कृषि **मौनसून** पर निर्भर है, जो हमेशा परिवर्तित-रूप में रहती है जिसको हम सूखा या बाढ़ के रूप में पाते हैं।

चित्र : 4.1

© BSTBPC Not to be Published

काम धंधे की उम्मीद पर अन्य काम करते लोग

भारतीय कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। चूँकि कृषि-कार्य विभिन्न चरणों में बंटा होता है—जैसे-**रोपनी, पटौनी, निकौनी** तथा **कटनी** इत्यादि। कृषि के प्रत्येक चरण के पश्चात् कृषक-मजदूर बेकार बैठ जाते हैं, क्योंकि गाँव में इस समयावधि के लिए कृषकों के पास अन्य वैकल्पिक काम की कमी पायी जाती है और ऐसी परिस्थिति में ही मौसमी बेरोजगारी का जन्म होता है।

छिपी (प्रच्छन्न) हुई बेरोजगारी :

प्रच्छन्न बेरोजगारी के अन्तर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखण्ड होता है, जहाँ उन्हें काम मिलता है, ऐसा प्राय: कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में पाँच लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उनमें आठ लोग लगे होते हैं। इनमें तीन लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों उसी खेत में काम करते हैं जिसपर पाँच लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान पाँच लोगों द्वारा किए गये योगदान में वृद्धि नहीं करता, यानि कुल

उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती है। अगर उन पाँच लोगों में से तीन लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में पाँच लोगों के काम की आवश्यकता है और तीन अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न (अदृश्य) रूप से लगे रहकर नियोजित होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है।

शहरी बेरोजगारी

शिक्षित बेरोजगारी :

शिक्षा सुविधाओं का प्रसार तथा दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात् पढ़े-लिखे लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता तो इसे **'शिक्षित बेरोजगार'** की संज्ञा दी जाती है। आज **मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक-युवतियाँ** रोजगार पाने में असमर्थ हैं जो शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में शामिल हैं। बिहार में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक है।

औद्योगिक बेरोजगारी :

वर्त्तमान दौर औद्योगिक विकास का दौर है। औद्योगिक प्रसार का ढाँचा आधुनिक तकनीक पर आधारित होने के कारण मानव श्रम-शक्ति का उपयोग कम होता है। फलस्वरूप औद्योगिक बेरोजगारी पनपती है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों से श्रम-शक्ति, रोजगार प्राप्ति हेतु शहर की ओर आते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की छँटनी भी बढ़ती मशीनीकृत व्यवस्था में तेजी से जारी है जिससे औद्योगिक बेरोजगारों की संख्या शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है।

© BSTBPC Not to be Published

तकनीकी बेरोजगारी :

वर्त्तमान समय में तकनीकी परिवर्त्तन के फलस्वरूप इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पायी जाती है। आधुनिक-युग में नए-नए तकनीक के कारण पूर्व में कार्यरत कर्मियों की छँटाई कर दी जाती है जैसे- कपड़ा मिलों ने बड़ी संख्या में **हैण्डलूम-बुनकरों** को बेकार बना दिया है। बिहार के **भागलपुर, गया** इत्यादि जिलों में मशीनी उत्पादन क्रिया के कारण परम्परागत हैण्डलूम में लगे लोगों में तकनीकी बेरोजगारी फैली है।

तकनीकी बेरोजगारी के अन्तर्गत ये भी देखा गया है कि एक ओर तकनीकी कुशलता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है।

आओ बच्चों उपर्युक्त प्रकार की बेरोजगारी को एक कहानी से समझें :

कहानी

आओ बच्चों तुम्हें एक गाँव की कहानी के द्वारा बेकारी के विभिन्न प्रकारों के बारें में बतलाते हैं। बिहार का एक गाँव है जिसका नाम **गोबिन्दपुर** है। यह नवादा जिला का एक प्रखण्ड है। यह काफी पुराना प्रखण्ड है। इसकी सीमाएँ झारखण्ड राज्य से सटी हुई है। इस गाँव की विशेषता है कि यहाँ एक बरसाती नदी भी है जिसका नाम सकरी नदी है। कृषि के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस गाँव में **नहर, आहर, पैन, झरना, डैम** इत्यादि कुछ भी नहीं है। सिंचाई का कोई ठोस उपाय नहीं है। गाँव में बिजली है परन्तु बहुत कम समय अर्थात् एक-आधे घंटे तक ही रहती है वह भी पूरे गाँव में नहीं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ की कृषि पूर्ण-रूपेण प्रकृति के मौनसून पर ही निर्भर करती है।

इस गाँव की आबादी लगभग आठ हजार है जिसमें सभी जातियों का मिश्रण है। गाँव के लोगों की मुख्य पेशा कृषि मजदूरी एवं छोटे व्यापार है। गाँव के एक परिवार के मुखिया का नाम **रामधनी** है। इसके तीन पुत्र, दो पुत्रियाँ हैं। तीन पुत्रों में दो पिता के काम में सहयोग करता है। रामधनी का मुख्य पेशा अपनी खेती तथा दूसरे के खेतों में मजदूरी करना है। अपनी खेती मात्र सात कट्ठा जमीन पर करता है। मुख्य फसल के रूप में धान तथा गेहूँ उपजाता है। कभी-कभी पत्नी मालती देवी तथा दो पुत्र **विजय** एवं **अजय** काम करता है। फसल के समय में दो माह काम कर बैठ जाते हैं क्योंकि बरसात के समय इनके पास कोई काम नहीं होता। फिर इनकी आवश्यकता कटनी के समय में होती है। यानि यह परिवार कृषि में छिपे हुए बेकारी की सामना करता है। बिना दो पुत्र के भी यह परिवार उतना अनाज उत्पादन करता है जितना स्वयं एवं पत्नी के साथ काम करके करता था। **विजय** एवं **अजय** काम के अभाव में परिवार को सहयोग करता है। दोनों भाई अशिक्षित हैं। एक बार दोनों भाई काम के लिए कलकत्ता चले गये और एक चमड़े के उद्योग में काम करने लगे। पहले तो वे वहाँ मजदूरी करते थे फिर जब औद्योगीकरण के कारण नई तकनीक का मशीन आ गया तो उन्हें वहाँ से निकाल

दिया गया क्योंकि वे मशीनी काम नहीं जानते थे। फलस्वरूप फिर वे बेकार हो गये। यहाँ पर दोनों भाई को तकनीकी शिक्षा न होने के कारण बेकार रहना पड़ा। यदि वे प्रशिक्षित होते तो शायद ऐसी बातें न होती। इस दशा में दोनों भाई **तकनीकी बेरोजगारी** के शिकार हो गये।

अब दोनों भाई फिर से गाँव वापस आ गये। परिवार का बोझ दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। पिता के कंधों पर इनके बहनों की शादियों का भी बोझ बढ़ता जा रहा था। तब दोनों भाई सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण-कार्यक्रम में भाग लेने का मन बना लिया और दोनों प्रखण्ड कार्यालय जाकर प्रशिक्षण के बारे में जाना। दोनों ने साइकिल मरम्मती का प्रशिक्षण ले लिया। प्रशिक्षण के पश्चात् दोनों ने बैंक से ऋण के रूप में 10,000/- (दस हजार) रुपये निकाल कर एक छोटी सी साइकिल-रिपेयरिंग दुकान खोल लिया। गाँव में साइकिल मरम्मती की कोई और दुकान न थी नतीजा यह हुआ कि दोनों भाई की मेहनत ने इस गाँव की दुकान में रंग लाई और काम करने लगा। धीरे-धीरे बैंक का कर्ज भी अदा होने लगा। इस प्रकार यहाँ पर बचे दोनों भाइयों ने **स्वरोजगार** के माध्यम से अपनी आय बढ़ाई और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल कर एक सफल रोजगार युवक के रूप में अपनी पहचान बना लिया। अब गाँव के सभी लोग **'अजय-विजय'** दुकान को जानने लगे।

इस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार दो बेकार नवयुवक विभिन्न प्रकार के बेकारी को झेला फिर सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम से कैसे लाभान्वित हुआ ।

बेकारी का जन्म :

आपने इस अध्याय में बेकारी क्या है, तथा बेकारी के विभिन्न प्रकारों को जाना। अब हम आगे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कौन-कौन से कारण हैं जिसके कारण बेकारी जन्म लेती है?

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग **68** प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि और कृषि संबंधी कार्य है जो मुख्यतः मौनसून पर आधारित है जिसमें बेरोजगारी के विभिन्न रूप तो हम देखते ही हैं साथ में अन्य कारणों से भी बेकारी का जन्म होता है जो निम्न हैं–

1. अत्यधिक जनसंख्या :

भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती हुई वर्तमान समय (2001) में **1.02 करोड़** संख्या को पार कर चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विभिन्न प्रकार की बेकारी जन्म ले रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण गाँवों और शहरों में भी बेकारी तेजी से बढ़ रही है जिसे संवाद में हम '**ग्रामीण बेरोजगारी**' और '**शहरी बेरोजगारी**' कहते हैं। विभिन्न प्रकार के बेकारी को हम निम्न शब्दावलियों में व्यक्त करते हैं– **मौसमी बेकारी, छिपी हुई बेकारी, शिक्षित बेकारी, औद्योगिक और तकनीकी बेकारी** इत्यादि।

2. अशिक्षा :

वर्तमान भारतीय आबादी का आज भी **(2001) 34.62** प्रतिशत लोग अशिक्षित है। जिसमें बिहार सबसे नीचे पायदान पर है जहाँ अशिक्षितों की संख्या **53.0** प्रतिशत है।

अशिक्षा के कारण भी बेकारी की दर में वृद्धि देखी जाती है विशेषत: महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण महिला बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक है। ग्रामीण महिलाओं की

© BSTBPC Not to be Published

चित्र : 4.2

अकुशल अशिक्षित महिलाएँ शिक्षा ग्रहण करते हुए

श्रम-शक्ति को नियोजित रोजगार नहीं मिल पाता है और वे अनियोजित रूप से कम मजदूरी पर काम करने को विवश होती हैं। अनियोजित रूप में पाये गये रोजगार में अनिश्चितता होती है और वे किसी समय काम से निकाले जा सकते हैं।

3. कृषि का पिछड़ापन :

भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई है जिसका मुख्य कारण कृषि का मौनसून पर आधारित होना है जो प्रतिवर्ष बिल्कुल ही परिवर्त्तित और अनिश्चित रहती है। कहीं **सुखाड़** तो कहीं **बाढ़** का प्रकोप हमेशा बना रहता है। बिहार इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार को अक्सर सुखा की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष कोसी की बाढ़ का तांडव इसका ज्वलंत उदाहरण है। उत्तरी बिहार में बागमती और अधवारा समूह की नदियाँ भी वर्षों से अपने भीषण बाढ़ के प्रकोप से कृषि को प्रभावित करती रही है। इन कारणों से बिहार में कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

चित्र : 4.3

© BSTBPC Not to be Published

कृषि के परम्परागत तरीके आज भी प्रचलित हैं।

इसके अतिरिक्त खेती को सिंचिंत करने के कृत्रिम साधन जैसे–**नहर, नलकूप, कुएँ, तालाब** इत्यादि भी परम्परागत रूप में विद्यमान है जो कृषि विकास को धीमा करते हैं। सिंचाई के आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं उसका विकास नहीं हो पाया है।

कृषि में अभी भी पुराने यंत्रों व मशीनों का प्रयोग हो रहा है जिसके कारण भी भारतीय कृषि में व्यापक रूप से बेकारी पनपती है।

4. कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ :

भारत की जनसंख्या का आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है जिसके कारण भारतीय जनसंख्या का जीविकोपार्जन का मुख्य पेशा खेती या कृषि है। खेती पर लोगों का अत्यधिक बोझ के कारण अन्य व्यवसाय जैसे–**उद्योग, व्यापार** एवं **सेवा** के अन्य क्षेत्रों पर जनसंख्या का बोझ काफी कम है जिसके कारण कृषि–क्षेत्र में **'छिपी-बेरोजगारी'** भी देखी जाती है, फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ती है।

चित्र : 4.4

खेत में अधिसंख्यक रूप से काम करती महिलाएँ
छिपी बेरोजगारी का द्योतक

5. औद्योगीकरण का अभाव :

भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण उद्योगों का विस्तार अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम हुआ है जिसके कारण उद्योगों का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया है। दूसरी ओर ऊर्जा और संसाधनों की कमी इसके विकास की गति को धीमा बनाये हुए हैं। शिक्षित व प्रशिक्षित आबादी उद्योग क्षेत्र में रोजगार चाहती है जहाँ रोजगार की कमी होती है दूसरी ओर मशीनीकृत उद्योगों में छँटनी भी औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी को जन्म देती है।

© BSTBPC Not to be published

बिहार क्षेत्र में विगत दशकों में जिस किसी भी उद्योग का विकास हुआ वह अब विभाजित बिहार के **झारखण्ड** राज्य में चला गया है। **15 नवम्बर, 2000** में अविभाजित बिहार से झारखण्ड राज्य के गठन से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कमी आई क्योंकि सर्वाधिक औद्योगिक नगर जैसे जमशेदपुर, बोकारो, राँची, धनबाद आदि झारखण्ड राज्य में चले गये। यहाँ कृषि–आधारित उद्योगों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। इस कारण शेष बिहार में कृषि–आधारित उद्योगों की कमी बेकारी को बनाये हुए है।

6. पूँजी का अभाव :

भारत में प्रतिव्यक्ति आय के निम्न स्तर के कारण **'पूँजी का निर्माण-दर'** भी काफी कम है, जिसके कारण कृषि तथा अन्य उद्योगों में वांछित पूँजी का निवेश नहीं किया जा रहा है जिसके कारण प्रत्येक स्तर पर बेकारी, देश एवं राज्य में फैल रही है।

7. प्रशिक्षित श्रम-शक्ति का अभाव :

अशिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में भारतीय मजदूर आधुनिक मशीनों से रू-ब-रू नहीं हो पाते हैं फलस्वरूप तकनीक-आधारित रोजगार जैसे–कम्प्यूटर-कार्य, प्रबंधन कार्य, भारी मशीन आधारित कार्य क्षेत्र में भागीदारी नहीं कर पाते हैं जिससे बेकारी का जन्म होता है।

चित्र : 4.5

ऐसे प्रशिक्षित श्रमशक्ति का अभाव पायी जाती है

© BSTBPC Not to be Published

बेकारी समाप्त करने अथवा रोजगार बढ़ाने के उपाय

बच्चो ! इससे पहले आपने बेकारी के जन्म के विभिन्न कारणों को जाना। अब हम इसके समाप्त करने अथवा रोजगार बढ़ाने के उपायों की चर्चा करेंगे।

बेकारी जो भारत में एक विकट समस्या बनी हुई है जिसके निराकरण या मुक्ति के लिए देश एवं राज्य स्तर पर सरकारी व गैर-सरकारी उपायों की आवश्यकता है। बेकारी की समस्या के निदान के लिए निम्न प्रयास किये जा सकते हैं–

I. सरकारी प्रयास

II. गैर-सरकारी प्रयास

I. सरकारी प्रयास :

बेकारी की समस्या के प्रति सरकार प्रारंभ से ही सक्रिय रही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत **'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम'**, **'क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'**, **'काम के बदले अनाज'** तथा **'निश्चित रोजगार योजना'** इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण योजना चलायी गयी थी। पुन: छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धनता एवं रोजगार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर कई कार्यक्रम चलाये गए थे जिनमें **'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम'**, **'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम'** तथा **'जवाहर रोजगार योजना'** जैसे कई कार्यक्रम चलाये गये जिसका सीधा प्रभाव बेकारी (बेरोजगारी) कम करने पर पड़ा जिसके फलस्वरूप देश में निर्धनता की मात्रा घटी तथा रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध हुए।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में बेकारी खत्म करने हेतु चल रहे कार्यक्रम को हम नीचे बिंदुवार देखेंगे-

- **ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना [TRY SEM]**
- **ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना [DWCRA-1982]**
- **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना [JGSY-1989]**

2006 से उपरोक्त तीनों को मिलाकर **''संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006''** संचालित है जिसके कार्यान्वयन से बेरोजगारी की संख्या में कमी आयी है।

समन्वित विकास कार्यक्रम	–	IRDP
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	–	NREP
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार	–	RLEGP
जवाहर रोजगार योजना	–	JRS
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना	–	TRYSEM
ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना	–	DWCRA

© BSTBPC Not to be Published

रोजगार हेतु सरकारी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

National Rural Employment Guarantee Yojana (NAREGA)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ 2 फरवरी, 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत के 27 राज्यों के 2000 जिलों में 80,000 ग्राम पंचायत में लागू किया गया जिसमें बिहार के कुल 38 जिलों में से 23 जिलों में लागू किया गया। वर्तमान में यह योजना का नाम परिवर्तित कर **'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना'** करके 15 अगस्त 2006 से संपूर्ण देश में लागू कर दी गयी है।

इसके अन्तर्गत निम्न बातें आती हैं–

1. प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार दी गयी है।
2. न्यूनतम मजदूरी प्रतिव्यक्ति 60 रु० निर्धारित है।
3. 15 दिनों तक रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है।
4. रोजगार में 33% महिलाओं की भागीदारी।
5. कार्य के दौरान श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर 25,000/– रु० क्षतिपूर्त्ति के रूप में दिया जायगा ।

© RSTBPC Not to be Published

चित्र : 4.8

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते लोग

II. गैर-सरकारी उपाय :

भारत में बेकारी के स्वरूप और कारणों को देखते हुए इसका निराकरण केवल सरकारी प्रयासों से संभंव नहीं है बल्कि इसे दूर करने के लिए सामुदायिक स्तर पर समूह बनाकर, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर तथा कई **गैर सरकारी संगठनों (Non Governmental Organisation)** व **स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)** बनाकर किया जाना चाहिए।

वर्तमान में गैर-सरकारी उपायों में ग्रामीण स्तर पर बेकारी दूर करने के कई सरल एवं सुगम उपाय अपनाये जा सकते हैं जो निम्न हैं–

(क) कुटीर उद्योगों का विस्तार

छोटे-छोटे उद्योग जिनमें मशीन का कम प्रयोग हो और कम पूँजी पर चलाये जाते हों उस उद्योग को **कुटीर उद्योग** कहते हैं। व्यक्ति कृषि क्षेत्र में कार्य करते हुए छिपी हुई बेरोजगारी (अदृश्य बेकारी) का शिकार होता है। ऐसी स्थिति में कृषि पर से अनावश्यक श्रमिकों का बोझ कम कर कुटीर उद्योग में लगाया जा सकता है। परिवार के सभी लोगों को काम उपलब्ध करवाकर बेकारी कम की जा सकती है।

© BSTBSC Not to be Published

चित्र : 4.7

घर के काम निपटाने के बाद हाथ से सूत काटती हुई
एक ग्रामीण महिला

(ख) स्वरोजगार :

भारत में व्यापक रूप में फैली बेकारी को दूर करने का सबसे प्रभावकारी उपाय–**'स्वरोजगार का निर्माण'** है। इसमें व्यक्ति अपने स्तर से संसाधन जुटाकर रोजगार सृजित करता ही है साथ ही साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु सरकारी स्तर पर अनेक योजनाओं के द्वारा भी पूँजी एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इस कारण ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी में तेजी से कमी की जा सकती है। विशेषत: शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी करने हेतु स्वरोजगार काफी कारगर उपाय है।

चित्र : 4.8

प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा स्वरोजगार का सृजन

© BSTBPC Not to be Published

बेकारी का प्रभाव

बेकारी के कारण समाज में अनेक **सामाजिक** और **आर्थिक** विकृतियाँ फैलती हैं।

सामाजिक प्रभाव

बेकारी का सीधा असर व्यक्ति के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर पड़ता है जिसे निम्न रूप से दर्शाया गया है–

● जनशक्ति संसाधन की बर्बादी

बेरोजगारी के कारण मानव शक्ति का दुरुपयोग होता है जैसे कृषि के क्षेत्र में एक परिवार के चार लोग खेत में काम कर रहे होते हैं और पुन: उसी परिवार के अन्य सदस्य काम करने लायक हो जाते हैं तो वे भी उसी खेत में अपना सहयोग देना शुरू कर देते हैं जिसके कारण सीमांत उत्पादकता में

बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव
- जन-शक्ति संसाधन की बर्बादी
- हीन भावना का जन्म
- सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना
- पलायन की प्रवृत्ति का जन्म

वृद्धि नहीं होती है। किन्तु देखने में यह लगता है कि परिवार के सभी व्यक्ति खेती में लगे हुए हैं। यह श्रमशक्ति की बर्बादी को दर्शाता है।

● हीन भावना का जन्म

बेरोजगार व्यक्ति रोजगार में लगे रहने वाले लोगों की तुलना में अपने को हीन-भावना से देखना शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप उनका मनोवैज्ञानिक-स्तर गिरता चला जाता है और वे अपने को समाज में एक बोझ स्वरूप देखना शुरू कर देते हैं जिसका प्रभाव अन्य सभी बेरोजगारों पर भी पड़ने लगता है।

● सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना

बेरोजगारी के कारण **चोरी**, **डकैती**, **छीना-झपटी**, **ठगी**, **दहेज** इत्यादि जैसे गलत प्रथा का जन्म बेरोजगारों के बीच हो जाता है जिसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है।

● पलायन की प्रवृत्ति का जन्म

व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण रोजगार की खोज में अपने पैतृक-स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाने को मजबूर हो जाता है जिसके कारण वे अपने घर, परिवार, समाज और संस्कृति से तो दूर हो ही जाते हैं साथ ही साथ में कई स्तर पर भी उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप वे कम मजदूरी पर काम करने को विवश होते हैं। बिहार में ऐसी स्थिति ज्यादा देखी जाती है। अतः पलायन स्थाई रोजगार की गारंटी नहीं देता है।

© BSTBPC Not to be Published

आर्थिक प्रभाव

● प्रतिव्यक्ति आय की कमी

बेकारी की अवस्था में **प्रतिव्यक्ति आय** कम रहती है जो कि व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को प्रभावित करता है।

● निम्न जीवन-स्तर

प्रतिव्यक्ति आय में कमी के कारण उसका **रहन-सहन**, **खान-पान**, **भेष-भूषा** निम्न स्तर का होता है फलस्वरूप व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है।

बेरोजगारी का आर्थिक प्रभाव

- **प्रतिव्यक्ति आय की कमी**
- **निम्न जीवन-स्तर**
- **आर्थिक मंदी का खतरा**
- **कर्ज-बोझ में बढ़ोत्तरी**
- **संसाधन का उचित उपयोग न होना**

● आर्थिक मंदी का खतरा

किसी अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास पर बेकारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि **मंदी ग्रस्त** अर्थ व्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें अन्य परिस्थितियों में उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से वे **अर्थव्यवस्था** पर बोझ बनकर रह जायेंगे। देश की अर्थनीति का यह दायित्व होता है कि वह बेरोजगारी के बोझ को कम करे ताकि अर्थव्यवस्था स्वस्थ हो सके ।

● संसाधनों का उचित उपयोग न होना

कम पूँजी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप में नहीं किया जा सकता है जो कि बेरोजगारी का मूल लक्षण है।

सारांश

बेकारी देश की व्यापक एवं गंभीर समस्या है। देश का कोई भी क्षेत्र या समुदाय इससे अछूता नहीं है। इसका स्वरूप संरचनात्मक है। यह अर्थव्यवस्था की अपर्याप्त उत्पादन-क्षमता तथा पूँजी स्टाक में धीमी-वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। यह कोई काल्पनिक समस्या नहीं है जो स्वत: समय के साथ हल हो जाएगी।

इस समस्या के विभिन्न रूप और पहलू हैं। ग्रामीण बेरोजगारी एवं शहरी बेरोजगारी इसके मुख्य अवयव हैं। इस अवयव के अन्तर्गत ही **मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी** इत्यादि मुख्य रूप से आते हैं। इस प्रकार की बेकारी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाया जाता है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आधारभूत संरचना का विकास न होना एवं संसाधनों का प्रचुर मात्रा में उपयोग न करना बेकारी के विभिन्न आयामों को जन्म देता है। इसके निराकरण हेतु प्रत्येक हालत में पूँजी-निर्माण दर में वृद्धि कर ही निवेश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है जो कि बेरोजगारी दूर करने का मूर्त रूप है। केन्द्र और राज्य स्तर पर बेकारी दूर करने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। यह प्रयास अब सकारात्मक रूप लेने लगी है और धीरे-धीरे बेकारी की समस्या हल होने लगी है।

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

1. देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है?
   (क) उच्चशिक्षा (ख) खाद्यान्न की प्रचुरता
   (ग) क्षेत्रीय समानता (घ) गरीबी तथा बेकारी
2. भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है?
   (क) शिक्षित बेकारी (ख) औद्योगिक बेकारी
   (ग) अदृश्य बेकारी (घ) चक्रीय बेकारी
3. बेकारी वह स्थिति है जब?
   (क) पूर्णतः इच्छा से काम नहीं करते।
   (ख) हम आलस्य से काम नहीं करते।
   (ग) हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता।
   (घ) हम अशिक्षित एवं अंपग होते हैं।
4. बिहार में पाई जानेवाली बेरोजगारी है?
   (क) घर्षणात्मक (ख) चक्रीय
   (ग) अदृश्य (घ) इनमें से कोई नहीं
5. बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है?
   (क) औद्योगिक बेकारी (ख) चक्रीय बेकारी
   (ग) अदृश्य एवं मौसमी बेकारी (घ) इनमें से कोई नहीं
6. बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है?
   (क) 53 प्रतिशत (ख) 40 प्रतिशत
   (ग) 65 प्रतिशत (घ) 47 प्रतिशत

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. बेकारी वह स्थिति है जब काम चाहनेवाले तथा योग्य व्यक्ति को रोजगार .... नहीं होता।
2. गरीबी तथा ..... भारत की प्रमुख समस्याएँ हैं।
3. ऐच्छिक बेकारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम ..... चाहता है।

© BSTBPC Not to be Published

4. छिपी हुई बेकारी की स्थिति में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता नगण्य या .... होती है।
5. भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण ..... है।
6. बिहार में छुपी हुई एवं ..... बेकारी पाई जाती है।
7. बिहार में बेरोजगारी का एक कारण ..... शिक्षा का अभाव है।

III. सही कथन में टिक (✓) तथा गलत कथन में क्रॉस (×) करें :

1. भारत में बेकारी गंभीर रूप धारण कर रही है।
2. बेकारी वह स्थिति है जब व्यक्ति को इच्छा एवं योग्यता रहते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं होता।
3. भारत में शिक्षित लोगों में बेकारी नहीं है।
4. भारत में रोजगार में लगे व्यक्ति भी न्यून रोजगार के शिकार है।
5. भारत में पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है।
6. भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेकारी वर्तमान है।
7. भारत में शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी चिंता का विषय नहीं है।
8. बेकारी दूर करने की दिशा में पंचवर्षीय योजना आंशिक रूप से सफल हुई है।
9. बिहार में लोग छुपी हुई बेकारी एवं न्यूनरोजगार के शिकार है।
10. बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेकारी वर्तमान है।
11. बिहार में बेकारी की समस्या लगातार घट रही है।
12. पेशेवर शिक्षा, स्वरोजगार एवं कृषि-आधारित उद्योगों के विकास द्वारा बेकारी दूर करने में मदद मिलेगी ।

IV. लघु उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 20 शब्दों में दें)

1. आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं?
2. छिपी हुई बेकारी से आप क्या समझते हैं?
3. न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन करें।
4. भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें।
5. शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी के मुख्य कारण क्या है?

6. शिक्षा को पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं?
7. बेरोजगारी के चार कारणों का वर्णन करें।
8. बिहार में ग्रामीण बेकारी के समाधान के लिए कुछ उपाय बताएँ।

V. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 100 शब्दों में दें)

1. बेकारी की परिभाषा दें। भारत में बेकारी के प्रमुख कारण क्या है? समाधान के सुझाव दें।
2. भारत में बेकारी की समस्या पर एक लेख लिखें। बेकारी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है।
3. भारत में पाई जानेवाली विभिन्न प्रकार की बेकारी का विवरण दे। इसके समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे।
4. **'समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम'** के विशेष संदर्भ में विभिन्न रोजगार–सृजन कार्यक्रमों का परीक्षण करें। इसके क्रियान्वयन में सुधार के उपाए बताएँ।
5. भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करें। इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है।
6. आप अदृश्य बेकारी से क्या समझते हैं? समाधान के लिए उपाय बताएँ।
7. बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण क्या है? आप इसे कैसे दूर करेंगे?

उत्तर

I. वस्तुनिष्ठ :

(1) घ (2) ग (3) ग (4) ग (5) ग (6) क

II. रिक्त स्थान :

(1) उपलब्ध (2) बेकारी (3) नहीं (4) शून्य
(5) शिक्षा प्रणाली (6) मौसमी (7) पेशेवर

III. सही-गलत :

(1) सही (2) सही (3) गलत (4) सही (5) सही (6) सही
(7) गलत (8) सही (9) सही (10) सही (11) गलत (12) सही

परियोजना कार्य (Project Work) :

1. आपके क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी किस प्रकार की पायी जाती है उसके कारण को बताते हुए एक प्रोजेक्ट तैयार करें।
2. आपके आस-पास के किसी एक परिवार में पायी जाने वाली बेकारी पर लेख तैयार करें।
3. चित्रांकन के द्वारा प्रत्येक प्रकार के बेकारी को दर्शायें और इसे दूर करने के उपाय पर निबंध लिखे।
4. ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार हेतु क्षेत्र में चलाये जा रहे सरकारी कार्यक्रम का विवरण तैयार करें तथा किसी एक महिला जो स्वरोजगार से जुड़ी हो उसका साक्षात्कार विवरण तैयार करें।

संदर्भ :

- N.C.E.R.T. वर्ग IX अर्थशास्त्र
- भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास -श्रीमति उर्मिला शर्मा
- अर्थशास्त्र - डॉ० सुमन
- भारती भवन - वर्ग IX
- भारत का आर्थिक विकास - डॉ० दीपा श्री
- आर्थिक सर्वेक्षण - 2006-07
- भारत की 2001 जनगणना रिपोर्ट
- गरीबी और अकाल - डॉ० अमर्त्य सेन
- आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य - डॉ० अमर्त्य सेन
- कुरुक्षेत्र-मासिक पत्रिका

इकाई-5

कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता

परिचय :

किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि उस देश में कृषि एवं उद्योगों के विकास पर निर्भर करती है। ये दोनों ही क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ माने जाते हैं।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है जहाँ लगभग 64 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर ही आजीविका के लिए निर्भर है। कृषि वस्तुत: भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि मुख्यत: रोजगार का साधन है। देश की शहरी जनसंख्या भी खाद्यान्न तथा कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि पर आश्रित है। संसार में संभवत: कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसका कृषि से इतना प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ सम्बन्ध हो।

प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष प्रो० एम० एस० स्वामीनाथन के शब्दों में, 'कृषि एक मशीनी वस्तु नहीं, बल्कि गाँवों में रह रहे 80 प्रतिशत लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है। कृषि भारत एवं बिहार के आर्थिक विकास का इंजन है।'

प्रसिद्ध कृषि-अर्थशास्त्री **प्रो० स्वामीनाथन** का मानना है कि भारत के कृषक परिवार से देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या संबंधित है। यह राष्ट्रीय आय का औसतन लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करती है तथा ग्रामीण भारत की 80 प्रतिशत श्रम शक्ति को रोजगार देती है। अत: भारत जैसे अर्द्ध-विकसित एवं कृषि प्रधान देश के लिए कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं उच्चतर विकास-दर एकदम जरूरी है। नि:संदेह भारतीय कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार का निर्यात एवं विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण साधन है तथा वह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, पूँजी-निर्माण में वृद्धि लाने तथा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी अमूल्य योगदान देती है।

बिहार में कृषि :

आर्थिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में बिहार सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ कृषि ही प्रधान व्यवसाय है। बिहार की कुल आय का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से उत्पादित होता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अविभाजित बिहार के विभाजन के बाद अधिकांश संगठित उद्योग झारखंड में चले गए। जो बचे हैं वे या तो बंद है या उनकी स्थिति दयनीय है। बिहार की अर्थव्यवस्था अब मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यहाँ के लोगों की जीविका, आय एवं रोजगार का कृषि ही प्रमुख आधार है। बिहार राज्य की बहुसंख्यक जनसंख्या जो लगभग 80 प्रतिशत से अधिक गाँवों में निवास करती है साथ ही राज्य की अधिकांश: जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है।

कृषि बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह बात अनेक तथ्यों से जाहिर हो जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आपूर्ति करता है। बचतों एवं करों के रूप में साधन प्रदान करता है। ग्रामीण जनसंख्या अन्य क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करती है क्योंकि उनके द्वारा की गई वस्तुओं की माँग पर उद्योग, व्यापार आदि का विकास एवं विस्तार निर्भर करता है। राज्य से (नकदी फसल) कृषि वस्तुओं, आम, लीची, गन्ने आदि का निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। ऐसा कहना ठीक होगा कि बिहार की कृषि में बढ़ती हुई उत्पादकता से बिहार के अन्य औद्योगिक विकास में अनेक प्रकार से सहायता मिल सकती है। बिहार की कृषि उत्पादकता अधिक होने पर कृषि-क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को श्रम शक्ति का स्थानांतरण संभव होगा। साथ ही गैर-कृषि क्षेत्र की बढ़ती हुई खाद्य सामग्री की माँग को कृषि व्यवसाय में कम व्यक्ति रह जाने पर भी पूरा किया जा सकता है। इससे कृषि से जुड़े कृषक वर्ग की आय बढ़ जाएगी। **जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो राज्य की आय बढ़ती है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है।** बिहार में कृषि का योगदान राज्य की आय में काफी अधिक है।

बिहार में कृषि का महत्व :

कृषि राज्य में वस्तुओं की खरीद-बिक्री द्वारा अन्य क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार का अवसर प्रदान करती है। यह खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आपूर्ति अन्य क्षेत्रों को करता है तथा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। इस तरह गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे व्यवसाय एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

बिहार में कृषि के महत्व

- राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान
- रोजगार एवं आजीविका का प्रमुख साधन
- औद्योगिक विकास में योगदान
- सरकार की आय का साधन
- योजना की सफलता में योगदान

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण :

बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जिसपर राज्य की बहुसंख्यक जनसंख्या अपनी जीविका, आय तथा रोजगार के लिए निर्भर है परंतु बिहार में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है।

डॉ0 क्लाउस्टन (Dr. Clouston) के अनुसार– 'भारत में पिछड़ी जातियाँ तो है ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी हैं और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें सबसे अधिक पिछड़ी है।' डॉ क्लाउस्टन का उपरोक्त कथन बिहार के संदर्भ में शत् प्रतिशत सच दिखता है जिन्हें निम्न रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण :

- कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार
- भूमि का असमान वितरण
- मौनसून पर निर्भरता
- बाढ़, अकाल तथा सूखे की विभीषिका
- खेती के पुराने अवैज्ञानिक तरीके एवं निम्न उत्पादकता
- उन्नत खाद, उन्नत बीज का अभाव
- सिंचाई सुविधा का अभाव
- पूँजी की कमी
- भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन
- अशिक्षा

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय :

यहाँ यह स्मरणीय है कि कृषि के पिछड़ेपन के उपरोक्त कारणों को दूर करके बिहार के कृषि से अधिक उत्पादकता एवं अन्य लाभ प्राप्त कर बिहार का समग्र विकास किया जा सकता है। तीव्र गति से कृषि विकास के लिए तथा उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है।

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय

- जनसंख्या नियंत्रण
- सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था
- बाढ़ नियंत्रण एवं बेहतर जल-प्रबंधक
- उन्नत, बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग
- कृषि में संस्थागत वित्त का अधिक प्रवाह

फसल के प्रकार

भारत तथा बिहार राज्य में फसल को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है–

फसल के प्रकार

खाद्य फसल	नकदी फसल
(धान, गेहूँ, मक्का, जौ, महुआ, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर आदि।)	(ईंख, जूट, तिलहन, दलहन मिर्च, आलू, प्याज आदि।)

जलवायु की परिवर्तनशीलता का स्पष्ट प्रभाव फसल के प्रारूप (बुआई एवं कटाई) पर पड़ता है। धान राज्य की प्रमुख फसल है लेकिन बिहार के मैदानी भाग में पश्चिम की ओर मकई, गेहूँ, जौ, चना एवं अन्य हल्की वर्षा पर निर्भर फसलों का महत्व बढ़ जाता है। फसल एवं ऋतु के पारस्परिक संबंधों पर राज्य की कृषि चार वर्गों में विभाजित है।

खाद्य फसलों के प्रकार

1. भदई
2. खरीफ या अगहनी
3. रबी
4. गरमा

बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल गेहूँ और धान है। धान के उपयोगी उत्पादन को चावल कहते हैं।

1. **भदई (शरदकालीन)–** भदई की फसलें मई–जून में बोयी जाती है जो अगस्त–सितम्बर तक अर्थात् हिन्दी मास भादो में तैयार हो जाती है। मक्का, ज्वार, जूट एवं धान की कुछ विशिष्ट किस्में मुख्य फसल हैं। मानसून–पूर्व की वर्षा पर आधारित भदई, फसलों का उत्पादन पठारी प्रदेश की अपेक्षा बिहार के मैदानी भाग में अधिक होता है।
2. **खरीफ या अगहनी (शीतकालीन)–** खरीफ या अगहनी फसल में शीतकालीन धान प्रधान फसल है। इसकी बुआई जून में की जाती है और हिन्दी मास अगहन (दिसम्बर) में यह तैयार हो जाता है। बिहार की कृषि में अगहनी फसल का सर्वोच्च स्थान है।
3. **रबी (वसंतकालीन)–** रबी के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, सरसों आदि विभिन्न प्रकार की दलहन एवं तिलहन की फसलें सम्मिलित हैं। अक्टूबर–नवम्बर के महीने में फसलों की बुआई की जाती है और जो मार्च (वसंत ऋतु) तक तैयार हो जाती है। राज्य की कुल कृषि भूमि के एक–तिहाई भाग पर रबी की खेती की जाती है।
4. **गरमा (ग्रीष्मकालीन)–** राज्य में जहाँ भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अथवा नमी भूमि वाले क्षेत्र है वहाँ गरमा फसलों की खेती होती है। गरमा फसलों में हरी सब्जियों का विशेष स्थान है। इस ऋतु में विशेष किस्म के धान एवं मक्का की खेती की जाती है। बिहार के नालन्दा जिले में तथा वैशाली एवं सारण के गंगा तट पर हरी सब्जियों की खेती की जाती है।

चित्र : 5.1

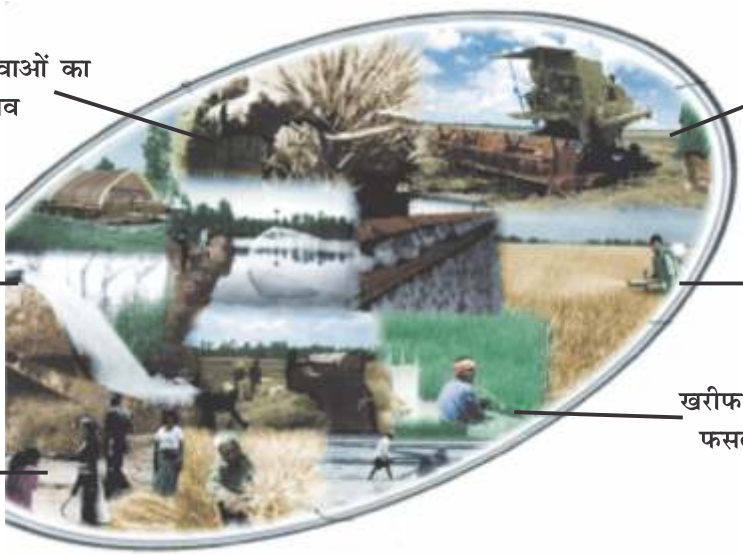

चित्र : विभिन्न प्रकार के फसल के उत्पादन में लिप्त व्यक्ति

खाद्यान्न के स्त्रोत

खाद्यान्न के स्त्रोतः-

- **गहन खेती**
- **कृषि नीति**
- **आयात नीति**
- **जरूरत से अधिक उपज नीति**

अब हम खाद्यान्न के प्रकार के पश्चात् इसके स्त्रोत अथवा इसकी उपलब्धता पर प्रकाश डालेंगे। खाद्यान्न के स्त्रोत से हम जरूरत के अनुसार खाद्य पदार्थों की पूर्ति पर बल देते हैं। खाद्यान्न के स्त्रोत के रूप में मुख्यतः गहन खेती मानी जाती है। **जिस राष्ट्र व राज्य की कृषि नीति जितनी ही अच्छी होगी, उतनी ही कृषि उपज में वृद्धि होगी।** जब बाढ़, सुखाड़, अकाल, भूकम्प, महामारी इत्यादि जैसी प्राकृतिक विकृतियाँ आती हैं तो उस समय खाद्यान्न का स्त्रोत भी ढीला पड़ जाता है। इसलिए खेती का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। चूँकि भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है, इसके लिए खाद्यान्नों की पूर्ति आवश्यक है।

चित्र : 5.2

उन्नत तरीके से की गई सरसो की खेती

खाद्यान्न के अन्य स्त्रोत के रूप में **आयात-नीति**, **भंडारण-नीति** एवं जरूरत से अधिक उत्पादन नीति को माना गया है। खासकर आपदाओं के समय अन्य राष्ट्र से खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है ताकि आम जनता के जीवन को भूख से बचाया जा सके।

जब गहन खेती के कारण कृषि उपज में वृद्धि होती है या जरूरत से अधिक अनाज की उत्पत्ति होती है तो इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए खाद्यान्न का बड़े-बड़े भंडार कक्ष में रखना अनिवार्य हो जाता है। अत: खाद्यान्न का यह स्रोत जो भंडार कक्ष में सुरक्षित होता है, आपदाओं में काफी मददगार होता है।

जब कृषि की सरकारी नीति उदारवादी होती है तो कृषक खुश होकर खेती करते हैं और नए-नए तकनीक का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया से कृषक उपज को जरूरत से ज्यादा उत्पादित कर पाते हैं। इसका सीधा असर **आपदाकाल** में देखा जाता है। जरूरत से अधिक उपज, भविष्य में होने वाले उपज की कमी को दूर करता है। इस प्रकार **खाद्यान्न का सबल स्रोत किसी भी धनी राष्ट्र की पहचान है।** सरकारी उदारवादी नीति का अर्थ सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए पूँजी, सिंचाई, खाद, फसल-संरक्षण को सुविधापूर्वक मुहैया कराना है।

खाद्यान्न की गुणवत्ता

भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना इस बात का परिचायक है कि हम खाद्य पदार्थ में स्वावलंबी हैं। खाद्य पदार्थ के स्वावलंबन का मुख्य आधार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता है। गुणात्मक दृष्टिकोण से खाद्य की उपलब्धि से ज्यादा उसके गुण पर जोर देनी चाहिए। इस संबंध में व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता के अनेक अनुमान हैं। उदाहरणस्वरूप यह अनुमान लगाया गया है कि घर पर रहकर काम करनेवाली स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 3100 कैलोरीयुक्त पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है जबकि एक ऑफिस में काम करने वाले अथवा अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी है। दूसरी तरफ एक सामान्य सक्रिय व्यक्ति तथा डॉक्टर, इंजीनियर एवं दर्जी की आवश्यकता 3000 कैलोरी है। इसी प्रकार एक औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता 3600 कैलोरी है। उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भोजन की पौष्टिक शक्ति की इकाइयाँ भिन्न-भिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न मात्रा में आवश्यक होती है।

कैलोरी के आवश्यकता के अनुसार यदि मनुष्य खाद्यान्न ग्रहण करता है तो उसे आत्म संतुष्टि मिलती है और वह सफल एवं कुशल व्यक्ति के रूप में अपने आप को उपस्थित करता है। इसलिए खाद्य पदार्थ के उपज के साथ-साथ इसके गुणात्मक मूल्य को भी समझना चाहिए। खाद्य का एक गुणात्मक पहलू ही मानव के शरीर में स्वस्थ जीवन व स्वस्थ विचार उत्पन्न करता है। कार्य का अच्छे ढंग से सम्पादन, उसे कुशलतापूर्वक करना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति को गुणात्मक अथवा अच्छे खाद्य पदार्थ मिल रहा है। लोगों के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ की उपलब्धता देश की समृद्धि का प्रतीक है।

1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था– 'आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता' (सं. रा. 1975)। **अमर्त्य सेन** ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुँच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ-साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार, खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 1995 में यह घोषणा की गई है कि "वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा विश्व के स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो" । इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि **"खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है।"**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

- इसका उद्देश्य वर्ष 2011-12 तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ और 2 मिलियन टन दालों का अतिरिक्त उत्पादन करना है ताकि खाद्यान्न की पूर्ति उसकी माँग को पूरा कर सके और देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- देश में 16 राज्यों के 305 जिलों में लगभग 250 लाख किसानों के लाभान्वित होने की आशा है।
- कुछ क्षेत्रों, जिनमें किसान मिशन के प्रचलनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता पाने के पात्र हो सकते हैं, में शामिल हैं:-
  - → बेहतर गुणवत्ता वाले बीज।
  - → फार्म मशीनरी।
  - → खेत पर जल प्रबंधन।
  - → कीटनाशियों के कुशलतम प्रयोग हेतु समेकित कीट प्रबंधन।
  - → मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन।
- किसानों को लाभ पहुँचाने वाले अन्य क्रियाकलापों में निम्न चीजें सम्मिलित हैं:-
  - → बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्रदर्शनों के जरिए उन्नत पैकेज पद्धतियों का प्रदर्शन।
  - → विस्तार समर्थन प्रदान करने के लिए कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस) का आयोजन।

खाद्य सुरक्षा के लिए सुझाव

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि
2. खाद्यान्न वितरण की सुव्यवस्था
3. सामुदायिक विकास द्वारा सहयोग तथा संगठन
4. खाद्यान्न प्रशासन में सुधार
5. जनसंख्या-नियोजन
6. उपभोग की वर्तमान आदतों में परिवर्तन

रामू की कहानी

रामू माधोपुर गाँव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू दस वर्ष का है। वह भी गाँव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए एक हजार रुपये मिलते हैं। रामू के तीन बेटे और दो बेटियाँ हैं लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी कुछ समय के लिए अंशकालीन पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिल कर खेतों में काम करती है और आमदनी बढ़ा लेती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधा-रोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने की अवधि के दौरान लगभग चार महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे दिनों में काम की तलाश करता है। कभी-कभी उसे ईंट भट्ठे में या गाँव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के दो जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी तो उसे तथा उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियाँ भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के चार महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है।

अकाल के दौरान खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

एम0 एस0 स्वामीनाथनः- राष्ट्रीय किसान आयोग के सुझाव के मद्देनजर देश में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और प्रभुसत्ता परिषद् स्थापित की जानी चाहिए और हमें पूरी जानकारी के साथ आपदाओं या अकाल के दौरान तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता एवं आदत विकसित करनी होगी। तभी हम जरूरी खाद्यान्न भंडार बना पाएँगे, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी तक पहुँचा पाएँगे।

किसी प्राकृतिक आपदा (जैसे, बाढ़, सूखा, अकाल, भूकम्प, महामारी आदि) के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग ऊँची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते क्योंकि कम आय के कारण उच्च कीमत पर खाद्य पदार्थ पाना उनके पहुँच के बाहर होता है। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। अकाल की स्थिति में व्यापक भुखमरी आ जाती है।

देश में बढ़ती आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है जिससे कई राज्यों में भीषण अकाल आम बात है। इस कारण जहाँ एक ओर लोग भूखे रह रहे हैं वहीं गरीबी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

अकाल के दौरान सबको खाद्यान्न (भोजन) मिल सके इसके लिए कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज न करते हुए इसे अधिक अहमियत देने की जरूरत है। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो राज्य के लगभग 64 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। इसी कारण इन आपदाओं से निपटने या निराकरण के लिए किसान की जरूरतों के मद्देनजर **राष्ट्रीय किसान आयोग** बना जिसने एक एकीकृत रणनीति रखते हुए खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सिंचाई पर लगातार ध्यान रखने और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग पर जोर देने के साथ ही किसानों के कर्ज व बीमा व्यवस्था में सुधार, खेती की नयी तकनीक और बाजार की सुविधा जैसे अहम पहलुओं पर सरकार को ध्यान देने का प्रस्ताव रखा। इस दिशा में सरकारी प्रयास देखें भी जा सकते हैं।

जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त है कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है जो दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारी तथा भुखमरी के कारण होती है।

भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा आजादी के पूर्व 1943 में बंगाल में पड़ा था जिसे बंगाल का भयानक अकाल **(Great Famine of Bengal)** कहते हैं जिसकी विभीषिका की चर्चा नोबेल पुरस्कार विजेता एवं विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी किया है। उस समय भारत के बंगाल प्रांत में करीब तीस लाख लोग भूख से मरे थे।

चर्चा करें:-

क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहनकर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में मरनेवालों अधिकांश इसी वर्ग के गरीब लोग थे।

बंगाल प्रांत में चावल की उपज

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)	आयात (लाख टन)	निर्यात (लाख टन)	कुल उपलब्धता (लाख टन)
1939	79	04	–	83
1940	82	03	–	85
1941	68	02	–	70
1942	93	–	01	92
1943	76	03	–	79

आइए चर्चा करें :

- कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी का अध्ययन करें और बताएँ कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
- किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई?

चित्र : 5.3

चित्र 4.1 : राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग, 1945

राहत केन्द्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग

चित्र : 5.4

चित्र 4.2 : 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगाँव जिले में गाँव छोड़ कर जाता हुआ एक परिवार।

1943 के बंगाल के अकाल के दौरान अपने गाँव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार

भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहाँडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहाँ अकाल जैसी स्थिति अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहाँ भूख के कारण अक्सर गरीब लोगों की मृत्यु होती रहती है। हाल के वर्षों में झारखंड के पलामू जिले, बिहार के नवादा, गया एवं मुंगेर जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अकाल ग्रस्त होने के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न के भंडार तो पर्याप्त हैं किन्तु आवश्यकता है इसे गरीब लोगों को उपलब्ध कराने की ।

अकाल एवं अन्य आपदाओं के समय आत्मनिर्भर रहने के लिए आवश्यक है कि किसानों की दशा को ठीक करना। किसानों के लिए अधिक से अधिक आय कैसे सुनिश्चित हो? इन पर विशेष जोर देने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है किसानों को दिए जाने वाले समर्थन मूल्य में वृद्धि की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को ऐसा मौलिक तंत्र बनाया जाना चाहिए जो किसान एवं गरीब जनता पर केंद्रित हो। अकाल एवं अन्य संभावित प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से निबटने के लिए आवश्यक है कि गरीबों एवं किसानों की आय को सुदृढ़ किया जाय। फसल बीमा को और कारगर बनाने के साथ ही कृषि, लघु उद्योग एव अन्य व्यापार क्षेत्र से जुड़े हर पहलू में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए **दीर्घकालीन योजना (Road-Map)** को बनाया जाय ताकि गरीब किसान आत्मनिर्भर हो सकें।

खाद्य सुरक्षा में सरकारी एवं गैर सरकारी योगदान

देश की आजादी के लगभग 61 साल बाद भी लगभग 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके कम से कम एक सदस्य को साल में कम से कम एक दिन भूखा रहना पड़ता है। आज हमारी आबादी एक अरब से भी ऊपर जा चुकी है। लेकिन बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और घटती खाद्यान्न की पैदावार ने लोगों को दो जून की रोटी के लिए तरसा रखा है। जमीन सीमित है और आबादी हर दिन बढ़ती जा रही है। सभी को भोजन मिले, इसके लिए जमीन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कई कारणों से जमीन बेकार पड़ी रहती है। साथ ही भारी मात्रा में कृषि उपज की बर्बादी भी होती है। ऐसे में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका कारगर हो सकती है जो समय-समय पर किसानों एवं नागरिकों को उचित सलाह दे सकें।

सरकार के सकारात्मक कदमों के कारण 70 के दशक के प्रारंभ में **हरित क्रांति** के आने के बाद से मौसम के विपरीत होने की स्थिति में भी अकाल की स्थिति नहीं आयी।

देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले तीस वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अन्य विपरीत स्थिति जैसे मौसम की खराबी आदि के कारण भी कोई कमी नहीं आयी है और खाद्यान्न उपलब्धता सामान्य रूप में सुनिश्चित कर दी गई है । अनाज की उपलब्धता के दो मुख्य घटक हैं– (क) **बफर स्टॉक** और (ख) **सार्वजनिक वितरण प्रणाली।**

(क) बफर स्टॉक

भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल को सरकारी भंडार में सुरक्षित रखा जाना है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को **न्यूनतम समर्थित कीमत** कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज सरकारी खाद्य भंडारों जैसे– भारतीय खाद्य निगम में रखा जाता है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System)

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली

चित्र : 5.5

उत्पादित खाद्यान्न को भंडार गृह में संचित करने की योजना बनाते कृषक

(पी०डी०एस०) कहते हैं। जहाँ से वे खाद्यान्न वितरित होती है उसे हम राशन की दुकान भी कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। **देश भर में अभी लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं।** राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है।

क्या आप जानते हैं

सरकार बफर स्टाक क्यों बनाती है? ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है।

राशन कार्ड के प्रकार :–

(क) निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए **अंत्योदय कार्ड**।

(ख) निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए **गरीब रेखा वाला कार्ड** (BPL Card)।

(ग) अन्य लोगों के लिए **गरीब रेखा के ऊपर वाला कार्ड** (APL)।

भारत में अनाज की उपज (करोड़ टन)

आरेख : 5.1

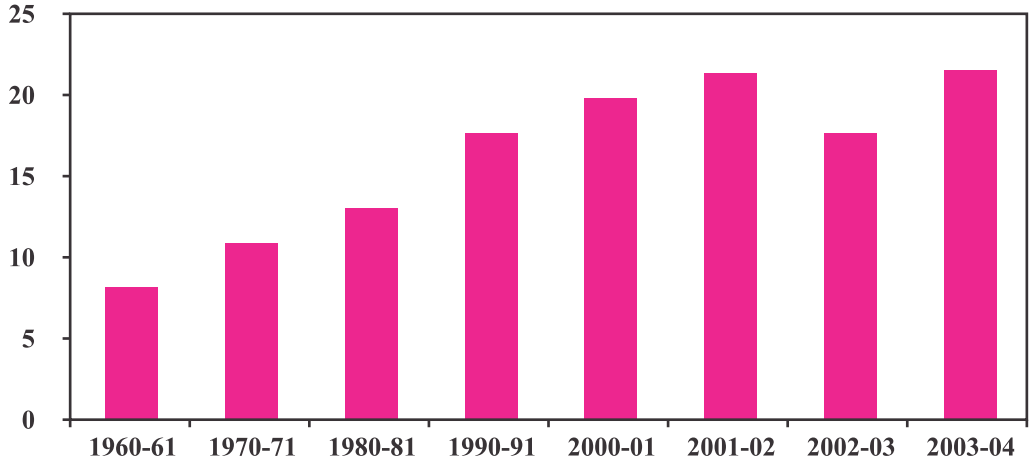

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2004-05

भारत में राशन व्यवस्था की शुरूआत :

भारत में राशन व्यवस्था की शुरूआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एन०एस०एस०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी प्रणाली जो पहले से ही थी, उसे और अधिक मजबूत किया गया और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 1977–78 में शुरू किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (**पी०ए०पी०**) चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अधिकतर पी०ए०पी० भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोत्तरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं।

राशन दुकान से उचित दर पर वस्तुएँ खरीदते हुए व्यक्ति

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम :

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर, 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। इसे शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और राज्यों को नि:शुल्क अनाज मुहैया कराया जाता रहा है। जिला स्तर पर कलक्टर शीर्ष अधिकारी हैं और उन पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वयन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है। वर्ष 2004–05 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज के अतिरिक्त 2,020 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।

अंत्योदय अन्न योजना :

अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर, 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल, 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून, 2003 और अगस्त, 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवार दो बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।

सहायिकी (सब्सिडी) वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायिकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊँची आय कायम रखते हुए, उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका :

भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में गैर सरकारी संगठन एवं सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियाँ निर्धनों लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल, बिहार में दूध तथा दूध उत्पादों में पटना डेयरी जो 'सुधा' नाम से जाना जाता है सफल सहकारी समिति का उदाहरण हैं। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। एकेडमी आफ डेवलपमेंट साइंस (ए०डी०एस०) अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है।

सारांश

→ भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 64% से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही आजीविका के लिए निर्भर करती है। कृषि बिहार के मुख्य व्यवसाय होने के साथ ही बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

→ बिहार राज्य में फसल मुख्यत: नकदी फसल एवं खाद्य फसल के रूप में बाँटा जाता है। खाद्य फसलों को चार प्रकार से बाँटा गया है जिनमें (i) **भदई** (ii) **खरीफ** या **अगहनी** (iii) **रबी** (iv) **गरमा** है बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल चावल है।

किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुँचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतनवाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है जैसे–आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके दो घटक हैं: **(क) बफर स्टॉक (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली।** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियाँ और गैर-सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

(1) बिहारवासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है?

(क) उद्योग (ख) व्यापार

(ग) कृषि (घ) इनमें से कोई नहीं

(2) राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है?

(क) कुएँ एवं नलकूप (ख) नहरें

(ग) तालाब (घ) नदी

(3) बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है?

(क) फसल की (ख) मनुष्य एवं मवेशी की

(ग) आवास की (घ) इन सभी की

(4) अकाल से राज्य में बर्बादी होती है?

(क) खाद्यान्न फसल (ख) मनुष्य एवं मवेशी की

(ग) उद्योग (घ) इनमें से कोई नहीं

(5) शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है?

(क) भदई (ख) खरीफ या अगहनी

(ग) रबी (घ) गरमा

(6) सन् 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा?

(क) बिहार (ख) राजस्थान

(ग) बंगाल (घ) उड़ीसा

(7) विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान

(क) बढ़ा है (ख) घटा है

(ग) स्थिर है (घ) बढ़ता-घटता है।

(8) निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है?

(क) बी०पी०एल० कार्ड (ख) अंत्योदय कार्ड

(ग) ए०पी०एल० कार्ड (घ) इनमें से कोई नहीं

(9) निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्त्रोत हैं?

(क) गहन खेती नीति (ख) आयात नीति

(ग) भंडारण नीति (घ) इनमें सभी

(10) गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है?

(क) पटना डेयरी (ख) मदर डेयरी

(ग) अमूल डेयरी (घ) इनमें कोई नहीं

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

(1) बिहार राज्य में कृषि ..... जनसंख्या के आजीविका का साधन है।

(2) बिहार में कृषि की ..... निम्न है।

(3) बिहार की कृषि के लिए सिंचाई ..... महत्व रखती है।

(4) राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र ..... है।

(5) बफर स्टॉक का निर्माण ..... करती है।

(6) निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए ..... कार्ड है।

(7) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ..... है।

(8) औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता ..... कैलोरी है।

(9) दिल्ली में ..... डेयरी कार्य करती है।

(10) हरित क्रांति ..... से प्रभावित होकर भारत में लागू की गयी।

III. सही कथन को टिक (✔) तथा गलत कथन को क्रॉस (✕) करें।

(1) बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

(2) बिहार की कृषि अत्याधुनिक है।

(3) राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफी अधिक है।

(4) कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है।

(5) एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी है।

(6) खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाएँ रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है।

(7) 'जय जवान-जय किसान' का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया।

(8) कृषि भारत एवं बिहार का आर्थिक इंजन है।

IV. लघु उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 20 शब्दों में दें)

(1) बिहार के कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चार उपाए बताएँ।

(2) खाद्य फसल एवं नकदी फसल में अंतर बताएँ।

(3) कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं?

(4) क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। कैसे?

(5) सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है?

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं?

(7) राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? चर्चा करें।

V. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 100 शब्दों में दें)

(1) बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें।

(2) बिहार के खाद्यान्न फसल एवं उसके प्रकार की विस्तार से चर्चा करें।

(3) जब कोई आपदाएँ आती हैं तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? चर्चा करें।

(4) गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए।

(5) खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें।

VI. टिप्पणी लिखें:-

(i) न्यूनतम समर्थित कीमत

(ii) सब्सिडी (अनुदान)

(iii) बी०पी०एल० कार्ड

(iv) बफर स्टॉक

(v) जन-वितरण प्रणाली

उत्तर

I. वस्तुनिष्ठ :

(1) ग, (2) क, (3) घ, (4) क, (5) ख, (6) ग,
(7) ख, (8) ख, (9) घ, (10) क,

II. रिक्त स्थान :

(1) बहुसंख्यक, (2) उत्पादकता, (3) अत्यधिक, (4) काफी अधिक,
(5) सरकार, (6) बी०पी०एल०, (7) कृषि, (8) 3600,
(9) मदर, (10) मेक्सिको

III. सही-गलत :

(1) गलत, (2) गलत, (3) सही, (4) सही,
(5) सही, (6) गलत, (7) सही, (8) सही

परियोजना कार्य (Project Work) :

(1) आपके आस-पास किस तरह की फसलों की खेती होती है?

(2) पता करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है?

(3) कोसी नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बिहार के कौन-कौन से जिले अधिक प्रभावित हुए हैं? चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित करें।

(4) क्या आपने अकाल पीड़ितों को कभी (धन, खाद्य सामग्री, कपड़ों, दवाओं आदि के रूप में) सहायता की है?

(5) अपने आस-पड़ोस के राशन की दुकान का चित्र द्वारा दिखाएँ एवं वहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्रियों की सूची बनाएँ।

(6) राशन की दुकानें क्यों जरूरी है? इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी वस्तु (मात्रा एवं मूल्य सहित) खरीदी है? वर्णन करें।

संदर्भ :

- N.C.E.R.T. वर्ग IX अर्थशास्त्र
- हाई स्कूल अर्थशास्त्र – तेज प्रताप सिंह (भारती भवन)
- भारतीय अर्थव्यवस्था – भगवान प्रसाद सिंह
- योजना – मासिक पत्रिका
- अर्थशास्त्र – डॉ० सुमन
- बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण – 2006-07
- भारत की जनगणना– 2001
- कुरुक्षेत्र – मासिक पत्रिका
- भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्र दत्त एवं के० पी० एम० सुन्दरम्

इकाई-6

कृषक मजदूर

परिचय–

पिछले अध्याय में हमने बिहार के कृषि के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के बारे में भी अध्ययन किया था। खासकर प्राकृतिक आपदा जैसे: अकाल, बाढ़, महामारी एवं भूकंप के समय खाद्य पदार्थों की कैसे आपूर्ति किया जाए? इसका उपाय हमने देखा था।

अब हम इस अध्याय में खाद्य पदार्थ किसके द्वारा उत्पादन की जाती है अर्थात् कृषक मजदूर के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के कृषक तथा बिहार के कृषक मजदूरों के बीच कौन-सी समस्याएँ हैं तथा इसका समाधान कैसे किया जाएगा? इन बातों का भी विशेष अध्ययन करेंगे।

बिहार जैसे राज्य के लिए जब कृषि के समय विभिन्न प्रकार की बेकारी उत्पन्न होती है तो उस समय हमारे कृषक मजदूर रोजी-रोटी के तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। पलायन के समय उन्हें कितने तरह की पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को झेलना पड़ता है, इन बातों का भी अध्ययन इस अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे।

© BSTBPC Not to be Published

उद्देश्य :

बिहार में कृषक मजदूर की जीवन-लीला पढ़ने योग्य है। बदलते मौसम के कारण कृषक मजदूर भी अपने आपको बदल डालते हैं। इस बदलाव का क्या कारण है? यह जानना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कृषक मजदूर की दयनीय अवस्था का समाधान करना भी हमारा मुख्य लक्ष्य है। भारत तथा बिहार सरकार के द्वारा इन मजदूरों के लिए समय-समय पर कौन-सी कल्याणकारी योजना चलायी गयी है एवं चलायी जा रही है? इन सब पर भी प्रकाश डालना हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

कृषक मजदूर :

बच्चो! इस चित्र के द्वारा कृषक मजदूर को समझने का प्रयास करेंगे।

चित्र : 6.1

खेत में धान की रोपनी करते कृषक मजदूर

© BSE Not to be Published

हम देख रहे हैं कि इस चित्र 6.1 में कुछ ग्रामीण महिलाएँ एक साथ मिलकर धान रोपनी का काम कर रही हैं। ये सारी महिलाएँ कृषक मजदूर के रूप में अपने-अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए बड़े किसानों के खेत में काम कर रही हैं। अर्थात् ये ऐसे कृषक मजदूर हैं जो बिल्कुल ही **भूमिहीन** हैं जिनकी बाध्यता है कि ये मजदूरी करके ही पेट का पालन करें।

इसलिए कृषक मजदूर को समझना नितांत आवश्यक है। भारत की कुल आबादी का 64 प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं। इसमें से 75 प्रतिशत आबादी कृषक मजदूर के रूप में हैं। **ग्रामीण ऋणग्रस्तता** के कारण कृषक मजदूर की आर्थिक दशा काफी **दयनीय** है।

कृषि श्रमिक

प्रथम कृषि जाँच समिति के अनुसार– ''कृषि श्रमिक वे लोग हैं, जो कृषि कार्य में लगे हैं और जो वर्ष भर में जितने दिन काम करते हैं, उसका आधा या आधे से अधिक भाग मजदूरी पर करते हैं। अतः वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हों, उन्हें कृषि-श्रमिक कहा जाएगा।''

कृषक मजदूर से हमारा मतलब गाँव में काम करने वाले उन लोगों से है जो कृषि के कार्य में मजदूर के रूप में काम करते हैं। 1950-51 की प्रथम कृषि श्रम-जाँच समिति के अनुसार कृषि श्रमिक वे लोग हैं, जो कृषि कार्य में लगे हैं और जो वर्ष में जितने दिन काम करते हैं, उसका आधा या आधे से अधिक भाग मजदूरी पर करते हैं। अतः वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हों, उन्हें कृषि-श्रमिक कहा जाएगा।

भारतीय ग्रामीण जनता का एक बड़ा भाग इन्हीं कृषक मजदूरों का है। जैसा कि **क्वेसने (Quesney)** ने कहा था कि– **''दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश''** यह कथन अन्य देशों में भले ही लागू न हो लेकिन भारत में अवश्य ही लागू होती है। जिस देश के किसान गरीब हैं वहाँ दूसरे के खेतों पर काम करके जीविका चलाने वाले मजदूरों की क्या दशा होगी? इसका अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है। इन मजदूरों को **भरपेट भोजन** नहीं मिल पाता, पहनने के लिए **वस्त्र** नहीं हैं और रहने के लिए **आवास** नहीं है। भोजन, वस्त्र और आवास के अभाव में ये कृषक मजदूर, बेसहारा की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं।

सामान्यतः कृषक मजदूर को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

(1) खेत में काम करने वाले मजदूर– जैसे हलवाहे, फसल काटने वाले आदि इन्हें पूर्ण रूप से कृषक मजदूर कहा जा सकता है जिसने अपने काम के क्रम में कुछ कुशलता प्राप्त कर ली है ।

(2) कृषि से सम्बद्ध अन्य कार्य करने वाले मजदूर– जैसे कुआँ खोदने वाले, गाड़ीवान आदि। इन्हें अर्द्ध कुशल मजदूर कहा जा सकता है।

(3) वैसे मजदूर जो कृषि के अलावे अन्य सहायक उद्योगों में भी लगे हुए हैं– जैसे बढ़ई, लोहार आदि। इन्हें ग्रामीण कलाकार भी कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग (National Labour Commission) ने कृषक मजदूरों को दो भागों में बाँटा है–

(1) भूमिहीन श्रमिक– ये ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती।

(2) बहुत छोटा किसान– ये ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास बहुत थोड़ी मात्रा में अपनी भूमि होती है। अतः ये अपना अधिकांश समय श्रमिकों के रूप में ही व्यतीत करते हैं। **तालिका 6.1** से स्पष्ट है कि बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 1991 में 37.1 प्रतिशत थी वहीं पूरे

© BSTBPC Not to be Published

भारत में कृषक मजदूरों की संख्या 26.1 प्रतिशत थी। 2001 में जहाँ बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 48 प्रतिशत थी वही पूरे भारत में कृषक मजदूरों की संख्या 26.5 प्रतिशत थी।

तालिका-6.1

कृषक मजदूरों का अनुपात

वर्ष	बिहार	भारत
1991	37.1%	26.1%
2001	48.0%	26.5%

स्रोत–बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07

बिहार में कृषक मजदूरों की समस्याएँ– बिहार में एक तरफ जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषक मजदूरों की समस्या बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ इनकी दशा बहुत ही गिरी हुई तथा दयनीय है। बिहार के कृषक मजदूर काफी गरीब हैं । इनका सारा जीवन गरीबी, बेकारी, शोषण, उत्पीड़न तथा अनिश्चितता से भरा हुआ है। इनकी सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। कई स्थानों पर कृषक मजदूरों की दशा गुलामों जैसी पायी जाती है।

कृषक मजदूरों की प्रमुख समस्याएँ

- कम मजदूरी
- मौसमी रोजगार
- काम के अधिक घंटे
- ऋणग्रस्तता
- निम्न जीवन स्तर
- आवास की समस्या
- बंधुआ मजदूर
- सहायक धंधों का अभाव
- संगठन का अभाव
- कृषि में मशीनीकरण से बेकारी
- निम्न सामाजिक स्तर

बिहार में कृषक मजदूरों की अनेक समस्याएँ हैं जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:–

1. कम मजदूरी– बिहार में कृषक मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या कम मजदूरी दर है। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन मजदूरों के द्वारा अत्यधिक कार्य करने के बावजूद भी इन्हें मजदूरी बहुत ही कम दी जाती है। उनके पास चूँकि कोई वैकल्पिक साधन नहीं है इसलिए वे कम मजदूरी पर भी काम करने को मजबूर हैं।

© BSTBPC Not to be published

2. मौसमी रोजगार– हमारे कृषक मजदूरों की मुख्य समस्या मौसमी रोजगार की है। अर्थात् इन मजदूरों को पूरे वर्ष काम न मिलकर केवल कुछ समय के लिए ही किसी खास मौसम में काम मिल पाता है। अतः वे साल में कम से कम 4 महीने बेकार बैठे रहते हैं। इस तरह उन्हें बहुत बड़ी अवधि तक बेकारी तथा अल्प रोजगार का सामना करना पड़ता है।

3. काम के अधिक घंटे– बिहार में कृषक मजदूरों की एक बड़ी समस्या यह है कि उनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं हैं। ये 10 से 14 घंटे तक कार्य करते हैं और कभी-कभी तो उन्हें जब रात के समय चौकीदारी करनी पड़ती है तब पूरी 24 घंटे ही काम पर रहना पड़ता है।

4. ऋणग्रस्तता– बिहार में कृषक मजदूरों की मजदूरी कम होने के कारण वे सदा ही ऋणग्रस्त रहते हैं। इसके चलते उन्हें महाजन या बड़े किसान की बेगारी करनी पड़ती है।

5. निम्न जीवन स्तर– कृषक मजदूरों का जीवन स्तर काफी निम्न है। उनकी मजदूरी कम होने से ये रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। दुःख की बात यह है कि इन्हें ठीक से दो जून की रोटी भी नहीं मिल पाती है। शरीर पर फटे-चिटे कपड़े होते हैं। मकान का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

6. आवास की समस्या– बिहार में कृषक मजदूरों की एक समस्या उनकी आवास की भी है। ये मजदूर मालिक या ग्राम-समाज की भूमि पर उनकी अनुमति से एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये झोपड़ियाँ केवल ऐसे स्थान है जहाँ पर मजदूर केवल पैर फैलाकर सो सकता है। इन झोपड़ियों में शुद्ध वायु एवं प्रकाश के लिए खिड़कियों का पता तक नहीं रहता। इसके लिए मजदूर एवं बच्चों का स्वास्थ्य स्तर धीरे-धीरे गिरता चला जाता है।

7. बंधुआ मजदूर– ऐसे कृषक मजदूर किसी ऋण के चलते मालिक के यहाँ आजन्म या ऋण चुकता होने तक भोजन के बदले काम करते हैं। उनके काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बँटाते रहते हैं जिन्हें कुछ मजदूरी दे दिया जाता है। ऐसे मजदूर **बंधुआ मजदूर** (Bonded Labour) कहलाते हैं। ये बंधुआ मजदूर भूमि के मालिकों से जुड़े रहते हैं और भूमि के मालिक उनका शोषण करते हैं।

8. सहायक धंधों का अभाव– गाँव में सहायक धंधों का अभाव है। यदि किसी प्रकार गाँव में बाढ़, अकाल, सूखा आदि के कारण से फसल नहीं होती है तो कृषक मजदूर को जीवन-निर्वाह का अन्य कोई साधन नहीं मिल पाता जिसके चलते वे कर्ज में दिन-प्रति-दिन और ज्यादा डुबते चले जाते हैं।

© BSTBPC Not to be Published

9. संगठन का अभाव– बिहार में कृषक मजदूरों की एक अन्य समस्या उनके संगठन का अभाव है। कृषक मजदूर अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी होते हैं। संगठन के अभाव में उनमें **मेल-जोल** करने की क्षमता नहीं होती है। इसके चलते वे अपनी मजदूरी बढ़वाने, कार्य के घंटे नियमित कराने, बेगारी बंद कराने की आवाज तक उठा नहीं पाते।

10. कृषि में मशीनीकरण से बेकारी– बिहार में अब कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग होने लगा है। कृषि में मशीनों के प्रयोग के चलते कृषक मजदूरों में बेकारी बढ़ती जा रही है। यह कृषक मजदूरों की एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

11. निम्न सामाजिक स्तर– बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के हैं जिनका सदियों से शोषण होता आ रहा है। इससे इनका सामाजिक स्तर निम्न कोटी का बना हुआ रहता है।

चित्र : 6.2

© BSTBPC Not to be Published

कृषक मजदूरों की दशा

चित्र 6.2 से बिहार में कृषक मजदूरों की अवस्था का पता चलता है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार के कृषक मजदूरों की हालत काफी **दयनीय** है।

कृषक मजदूरों के पलायन को प्रमुख लोकगीतकार **भिखारी ठाकुर** ने अपने **लोकगीतों** के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। उनके गीतों के कुछ **छन्दों** को बच्चों को समझने की दृष्टि से यहाँ देना उचित लगता है।

भिखारी ठाकुर के शब्दों में–
लागल झूलनिया के धक्का,
बलम गईलन कलकत्ता।

लोकगीतकार भिखारी ठाकुर ने यह समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह बिहार के लोग काम की तलाश में बिहार से बाहर अन्य राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पलायन करते थे। उस समय कलकत्ता जूट मिलों के लिए काफी प्रसिद्ध था। बिहारी कृषक मजदूर अधिक संख्या में वहाँ पलायन करते थे तथा नौकरी प्राप्त कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। आज भी पंजाब की कृषि की सफलता के पीछे बिहारी मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इसी प्रकार बिहार के कृषक मजदूर यहाँ से दूसरे देशों जैसे– मॉरिशस, त्रिनिदाद, युगाण्डा, नेपाल आदि देशों में भी काम की तलाश में पलायन करते थे और उन देशों में काम करते-करते अपनी योग्यता तथा कुशलता के बल पर काफी लोकप्रिय भी हुए। सर शिवसागर राम गुलाम का उदाहरण ताजा है। सर शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हें मॉरिशस का राष्ट्रपिता कहा जाता है। स्मरणीय है कि सर शिवसागर राम गुलाम अपने बिहार प्रांत के शाहाबाद (वर्तमान में भोजपुर) जिले के हैं और अपनी राजधानी पटना में अपने बिहार के सपूत के सम्मान में गाँधी मैदान के दक्षिणी छोर के सड़क का नामकरण सर शिवसागर राम गुलाम पथ रखा गया है।

© BSTBPC Not to be Published

होनहार बालक की कहानी

चित्र : 6.3

होनहार बालक
सर शिव सागर राम गुलाम

बिहार राज्य के आज के भोजपुर (आरा) जिले के एक छोटे से गाँव में जन्मा एक बालक यह नहीं समझा था कि उसका परिवार अपने बिहार प्रान्त और भारत देश का इतना सम्मान दिला पायेगा। यह कहानी **स्व0 मोहित राम गुलाम की है।** यह होनहार बालक बड़ा होने पर रोजी-रोटी की तलाश करने लगा। गाँव में कृषि ही मुख्य पेशा थी। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उन्हें कुछ समय तक कृषक मजदूर के रूप में काम करना पड़ा था। लेकिन इससे उनका काम चलने वाला नहीं था। वे बाहर जाने के लिए विचार करने लगे। अंततः वे काम की तलाश में मॉरिशस के लिए प्रस्थान कर गए। मॉरिशस देश में जाकर वे काम करने लगे और वे मॉरिशस के एक छोटे से गाँव बेलेरिभे (Belle Rive) में अपने परिवार के साथ रहने लगे। यह परिवार अपनी मेहनत, ईमानदारी तथा काम के बल पर पूरे मॉरिशस की जनता का प्रिय बन गया। **स्व0 मोहित राम गुलाम के पुत्र के रूप में शिव सागर राम गुलाम का जन्म हुआ।** यह बालक तो और होनहार निकला। पढ़ाई हो या राजनीति सबमें श्रेष्ठ निकला। मॉरिशस का वह एक **लोकप्रिय नेता** बन गया। बाद में उन्हें **सर की उपाधि** दी गयी। अब वे **सर शिव सागर राम गुलाम** के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का श्रेय **सर शिव सागर राम गुलाम** को मिला। बच्चो ! आज जिस तरह से भारत में महात्मा गाँधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ठीक उसी तरह **सर शिव सागर राम गुलाम** को मॉरिशस का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अपने पिता के विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए आज मॉरिशस का प्रधानमंत्री **श्री नवीन चन्द्र राम गुलाम सर शिव सागर राम गुलाम के सुपुत्र हैं।**

© BSTBPC Not to be Published

कृषक मजदूरों का पलायन–

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार में कृषक मजदूरों की अनेक समस्याएँ हैं। उनकी स्थिति काफी दयनीय है। उनके सामने गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी की समस्याएँ उत्पन्न होती

चित्र : 6.4

© BSTBPC Not to be Published

काम धंधे की तलाश में पलायन करता एक परिवार

हैं। इसके कारण वे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। इन सब कारणों से वे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। **''पलायन'' का अर्थ होता है रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना।** इधर देखने को मिला है कि बिहार के अधिकतर कृषक मजदूर पंजाब, हरियाणा, असम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि की ओर पलायन कर रहे हैं। चित्र 6.4 से स्पष्ट हो जाता है कि काम धंधे की तलाश में किस तरह से एक परिवार पलायन कर रहा है।

इस पलायन को बिहार के कृषक–मजदूर अपने लिए हितकर मान रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनके पलायन से बिहार में अनेक तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। एक तरफ बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या में कमी हो रही तथा कृषि कार्य के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहारी कृषक मजदूरों का अन्य राज्यों में काफी शोषण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में बिहारी कृषक मजदूरों से अधिक घंटे तक काम कराया

जाता है। कुछ समय पहले की बात है कि वर्ष 2007 में असम में बिहारी मजदूरों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया था। कई मजदूरों की हत्या कर दी गई। इसके चलते बिहारी मजदूर बिहार की ओर आने लगे। इसी से मिलती-जुलती समस्या वर्ष 2008 में मुंबई की है। वहाँ भी बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की गई तथा उनकी हत्याएँ भी हुई। इसके चलते बिहारी मजदूर भयभीत होने लगे हैं। यह एक गंभीर समस्या बन गयी है।

चित्र : 6.5

कोसी में बाढ़ के चलते पलायन करते हुए मजदूर

इसी संदर्भ में वर्तमान में बिहार के आर्थिक विकास का कार्यक्रम सराहनीय है। मुम्बई में बिहारियों (जिन्हें उपेक्षा के रूप में 'भैया' कहा करते हैं) पर किये गए अत्याचार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री **नीतीश कुमार** का यह वक्तव्य काफी महत्व रखता है जिसमें उन्होंने कहा था–"**जो भी बिहारी मजदूर अन्य राज्यों में चले गए हैं वे पुनः बिहार में चले आएँ। उन्हें काम की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार उनके साथ अच्छा वर्ताव करेगी।**" इस वक्तव्य का असर अन्य राज्यों में रह रहे बिहारी मजदूरों पर गहरा पड़ा और वे अपनी जन्मभूमि की ओर लौटने लगे। खुशी की बात है कि अब कुछ दिनों में बिहार के मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगा।

© BSTBPC Not to be republished

पलायन का एक अन्य कारण प्राकृतिक प्रकोप भी है। बाढ़ तथा अकाल के चलते भी कृषक मजदूर पलायन करते हैं। हाल के कोशी बाढ़ ने तो बिहार की दशा ही बदल दी। चित्र 6.5 से स्पष्ट होता है कि किस तरह से बाढ़ के चलते कृषक मजदूर तथा अन्य पलायन कर रहे हैं।

समस्या का निदान :

यह हम जान चुके हैं कि बिहार में कृषक मजदूरों की समस्या ही उनके पलायन का कारण है। इसलिए जबतक हम उनकी समस्या का निदान कर नहीं लेते तबतक उनका पलायन पूर्ण रूप से रुक नहीं सकता।

उनकी समस्या का निदान निम्न रूप से कर सकते हैं:–

1. कृषि पर आश्रित उद्योगों का विकास– बिहार में कृषक मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषक मजदूर खाली समय में इन उद्योगों में काम कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर जीवन स्तर में सुधार ला सके।

2. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास– ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी किया जाना चाहिए जिससे कि भूमिहीन श्रमिक इस प्रकार के कार्यों में लग सके और अपनी आय में वृद्धि कर सके।

समस्या का निदान

- कृषि पर आश्रित उद्योगों का विकास
- लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास
- न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन
- कार्य के घंटे को निश्चित करना
- कार्य दशाओं में सुधार
- मकानों का निर्माण
- कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना
- ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना
- कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था
- कृषि मजदूरों के लिए उचित संगठन की व्यवस्था
- सहकारी संस्थाओं की स्थापना
- शिक्षा का प्रसार
- भूदान

3. न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन– बिहार सहित भारत के सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है जिनमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान

© BSTBPC Not to be Published

है। लेकिन इन अधिनियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते उनको कम मजदूरी दी जा रही है। अत: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन उचित ढंग से किया जाए।

4. कार्य के घंटे को निश्चित करना– कृषक मजदूरों के कार्य के घंटे निश्चित किये जाने चाहिए। यदि मालिक इन निर्धारित घंटों से अधिक काम लेता है तो उन्हें अतिरिक्त मजदूरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

5. कार्य दशाओं में सुधार– कृषक मजदूरों के कार्य दशाओं में भी सुधार किया जाना चाहिए। उनको समय-समय पर छुट्टियाँ मिलनी चाहिए और यदि कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो श्रमिकों को उचित सहायता दी जानी चाहिए।

6. मकानों का निर्माण– कृषक मजदूरों को रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कर उनको उपलब्ध किया जाना चाहिए।

7. कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना– गाँवों में प्रखण्ड स्तर पर कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि मजदूर अपनी चोट तथा बीमारी आदि का इलाज करा सके।

© BSTBPC Not to be Published

8. ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि रोजगार संबंधी सूचनाएँ कृषक मजदूरों को मिल सके और वे शहरी क्षेत्रों में जाकर रोजगार प्राप्त कर सकें।

9. कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था– भूमि व्यवस्था में सुधार कर अतिरिक्त भूमि को कृषि मजदूरों को दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही बंजर भूमि या खाली भूमि को भी उचित प्रकार से खेती योग्य बनाकर इन कृषक मजदूरों मे बाँटी जानी चाहिए।

10. कृषि मजदूरों के लिए उचित संगठन की व्यवस्था– कृषि मजदूरों के लिए एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि मजदूरों का शोषण बन्द हो सके। वे अपनी बात कह सके तथा सरकार से अपने लिए कल्याणकारी योजनाएँ लागू करवा सकें।

11. सहकारी संस्थाओं की स्थापना– ऐसी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जो मजदूरों को ऋण सुविधाएँ दे सके और ऋण की वापसी किश्तों में ले सके। इसके लिए व्याज दर भी कम होनी चाहिए।

12. शिक्षा का प्रसार– यह बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे बिहार में कृषक मजदूरों के छोटे बच्चे आर्थिक हालत खराब होने के कारण स्कूलों में नहीं जाते हैं और भूमि के मालिक के गाय, बैल, भैंस आदि की देखभाल करते हैं। जब गाँवों में काम नहीं मिलता तो वे शहरों में जाकर होटलों में जूठे बर्तन साफ करते हैं। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। अत: इन मासूम बच्चों से काम नहीं कराये जाएँ। शिक्षा का व्यापक प्रचार एवं प्रसार उनकी बहुत सी समस्याओं को हल करने में योगदान दे सकता है।

13. भूदान– आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक **आंदोलन** चलाया जिसे **भू-दान** कहते हैं। उन्होंने बड़े-बड़े भूमिपति से अतिरिक्त भूमि माँगकर भूमिहीन मजदूरों को देने के लिए एक आंदोलन चलाया था। ऐसे इस योजना में बहुतों ने अपनी ऐसी जमीन दी जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस आंदोलन से कृषक मजदूरों में आत्म विश्वास तथा साहस बढ़ा है। अत: भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने के साथ ही साथ उन्हें उन्नत कृषि करने हेतु सभी आवश्यक साधनों जैसे– उन्नत बीज एवं खाद आदि की व्यवस्था की जाय।

सरकारी प्रयास :

© BSTBPC Not to be Published

हमारी सरकार ने कृषक मजदूरों की समस्याओं को हल (निदान) करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं–

(i) **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)** कृषि पर भी लागू कर दिया गया है। अत: बिहार सहित देश के सभी राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय कर दी गयी है।

(ii) **भूमिहीन मजदूरों को मकान** बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट (जगह) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **पंचवर्षीय योजनाओं** में व्यवस्था की गयी है।

(iii) **जमींदारी प्रथा समाप्त** करने के चलते बहुत-सी भूमि अतिरिक्त बची थी जिसको इन भूमिहीन मजदूरों में बाँट दिया गया है। **भूदान आंदोलन** के अंतर्गत भी कुछ भूमि भूमिहीन मजदूरों में बाँटी गयी है।

(iv) **1976 में आपातकाल** के समय एक अधिनियम बनाकर **बंधुआ मजदूर प्रथा** को **समाप्त** कर दिया गया। अब जो भूमिपति बंधुआ मजदूर को रखते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बंधुआ मजदूर रखने के कारण कितने **भूमिपति** गिरफ्तार हुए हैं।

(v) जोत की **सिलींग (उच्चतम निर्धारित सीमा) से बची हुयी भूमि,** बंजर भूमि को कृषक मजदूरों के बीच वितरित किया जा रहा है।

(vi) **कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास** करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने कई **ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ** स्थापित की हैं।

(vii) इन्हें **वित्तीय सुविधा** देने के लिए **कृषि सेवा समितियों की स्थापना** की गयी है।

(viii) भूमिहीन मजदूरों को **पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने** के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न राज्यों ने **कानून** बनाये हैं।

(ix) केन्द्रीय सरकार ने कृषक मजदूरों के लिए एक **स्थायी समिति** की नियुक्ति की है।

(x) इसी तरह सरकार ने **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम** तथा **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम** शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों के लिए **रोजगार के अवसरों** में सुधार तथा वृद्धि करना है।

(xi) बाल श्रमिक निरोधक अधिनियम के द्वारा कृषक मजदूरों के बच्चों के शोषण को कानूनी अपराध घोषित किया गया है।

(xii) इसके अलावे, हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में **कृषक मजदूरों की स्थिति में सुधार** के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

© BSTBPC Not to be Published

सारांश :

इस **अध्याय** में हमने **कृषक मजदूर** के बारे में चर्चा किया है कि कृषक मजदूर किसे कहेंगे? कृषक मजदूर कितने प्रकार के होते हैं? बिहार में कृषक मजदूरों की क्या समस्याएँ हैं? बिहार में कृषक मजदूरों का पलायन क्यों हो रहा है? कृषक मजदूरों की समस्या का निदान कर पलायन को रोका जा सकता है। इसके लिए हमने अनेक **सुझाव** दिए हैं और हमारी सरकार जो **उपाय** की है उसके बारे में भी हमने वर्णन किया है।

सरकार द्वारा कृषक मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए जो **कदम** उठाए गए हैं उनकी दिशा तो ठीक है लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में तीन बातें ध्यान देने की है–

(i) सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन्हें तेजी से बढ़ाया तथा फैलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषक मजदूरों को **लाभ** पहुँचाया जा सके।

(ii) इन कार्यक्रमों के लिए **अधिक राशि** प्राप्त की जानी चाहिए ताकि साधन का अभाव इसके रास्ते में अड़चन न पैदा करे।

(iii) इन कार्यक्रमों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सही तरीके से इसे लागू करने के लिए **समुचित तथा कुशल प्रबन्ध** किया जाना भी जरूरी है।

छोटे उद्योगों को ग्रामीण जीवन में अपनाकर **स्थायी सुधार की** आशा की जा सकती है। **भूमि की भूख** बढ़ाने की नीति भावी **आर्थिक विकास** की दृष्टि से ठीक नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि भूमिहीन मजदूरों को भूमि पर ही बसाया जाए। कृषक मजदूर वर्ग को भूमि के बजाय रोजगार देने की जरूरत है। उचित तो यह होगा कि **वैज्ञानिक कृषि** को अपनाकर भूमि पर बढ़ते हुए जनसंख्या के भार को घटाया जाए तथा अतिरिक्त जनसंख्या को **पूँजी निर्माण** कार्यों की ओर ले जाया जाए जिससे आर्थिक विकास हो सके तथा बेकार **श्रम-शक्ति** उत्पादक बन सके। बाँध बनाना, मिट्टी की रक्षा के कार्य, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नहरें निकालना इत्यादि कार्यों में गाँवों की विशाल श्रम-शक्ति को लगाना चाहिए। रोजगार के अवसर प्रदान कर तथा **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम** को बिहार के सभी जिलों में उचित ढंग से अपनाकर बिहार के कृषक मजदूरों के **पलायन** को रोका जा सकता है तथा कृषक मजदूरों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। इस संदर्भ में **कृषि सुधार समिति** (Agricultural Reform Committee) ने ठीक ही कहा था– **''कृषि सुधार की किसी भी योजना में कृषि मजदूरों की समस्या को शामिल न करना देश की कृषि-व्यवस्था में एक भयंकर घाव को बिना मरहम-पट्टी के छोड़ देने के समान है।''**

© BSTBPC Not to be Published

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

1. 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी–

(क) 48% (ख) 42% (ग) 52% (घ) 26.5%

2. 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी–

(क) 26.1% (ख) 37.1% (ग) 26.5% (घ) 37.8%

3. बिहार के कृषक मजदूर हैं–

(क) अशिक्षित (ख) शिक्षित (ग) ज्ञानी (घ) कुशल

4. सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है–

(क) तीन (ख) दो (ग) चार (घ) पाँच

5. ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है उन्हें कहते हैं–

(क) छोटा किसान (ख) बड़ा किसान

(ग) भूमिहीन मजदूर (घ) जमींदार

© BSTBPC Not to be Published

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. जो मजदूर कृषि का कार्य करते हैं उन्हें हम ..... मजदूर कहते हैं।
2. क्वेसने ने कहा था कि– दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र ..... ।
3. बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर ..... एवं पिछड़ी जातियों के हैं।
4. बिहार में अब कृषि कार्यों में ..... का प्रयोग होने लगा है।
5. बिहार के कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर .... कर रहे हैं।

परियोजना कार्य (Project Work) :

1. अपने गाँव के 10 कृषक मजदूर परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण करें।
2. पलायन कर रहे किसी एक परिवार की कहानी लिखें।
3. पलायन कब, कहाँ और कैसे होता है? उस पर एक संक्षिप्त नुक्कड़ एवं नाटक प्रसिद्ध लोकगीतकार भिखारी ठाकुर के संदर्भ में प्रस्तुत करें।

संदर्भ :

- बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2006-07
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2005-06
- कृषि विभाग, बिहार सरकार
- भारत की जनगणना, 2001
- भारतीय अर्थव्यवस्था– रूद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम्
- भारत की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण– देवेन्द्र प्रसाद सिंह
- भारतीय अर्थव्यवस्था– भगवान प्रसाद सिंह
- योजना– मासिक पत्रिका
- N.C.E.R.T.– वर्ग IX– अर्थशास्त्र
- कुरुक्षेत्र– मासिक पत्रिका

© BSTBPC Not to be Published